षष्ठम् माला, खंड 10, अंक 2, मंगलवार, 21 फरवरी, 1978/2 फाल्गुन, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. X, No. 2, Tuesday, February 21, 1978/ Phalguna 2, 1899 (Saka

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

[खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. X contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 21 फरवरी, 1978/2 फाल्गुन 1899 (शक)

No. 2, Tuesday, February 21, 1978/Phalguna 2, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा के कार्य के बारे में	Re : Business of the House .	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	**Oral Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 1, 3 से 5	*Starred questions Nos. 1, 3 to 5	2—10
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	**Written answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 6 से 20	Starred Questions Nos. 6 to 20 .	10—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 101 और 103 से 174	Unstarred Questions Nos. 1 to 101 and 103 to 174	24—125
सभा पटल पर रखे गये पत्र	**Papers laid on the Table** .	125
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills . . .	125—126
रेल बजट, 1978-79	Railway Budget, 1978-79 . .	126
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate . .	127—145
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	146
बम्बई के निकट एयर इंडिया के जम्बो विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Crash of an Air India Jumbo near Bombay	146
श्री प्रद्युम्न बाल	Shri Pradyumna Bal .	146
श्री पुरुषोत्तम कौशिक	Shri Purushottam Kaushik	147
श्री कचरुलाल हेमराज जैन	Shri Kacharulal Hemraj Jain	148
निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक—पुरःस्थापित	Deposit Insurance Corporation (Amendment and Miscellaneous Provisions) Bill—Introduced . .	148
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 377 .	149
(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थनमें धरना देने का समाचार	(i) Reported decision of the Central Government employees to stage Dharnas	149
(दो) नेपाल को चोरी छिपे पटसन भेजने का समाचार	(ii) Reported Smuggling of Jute to Nepal	149

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
(तीन) फरीदाबाद और दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में कथित श्रमिक अशान्ति	(iii) Reported Labour Unrest in Faridabad and Delhi Industrial Complex	150
(चार) सासाराम के निकट रेपुथा में हरिजन को जिन्दा जलाये जाने का समाचार	(iv) Reported Burning of a Harijan in Reputha near Sasaram . .	150
बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक	Child Marriage Restraint Bill	150
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	150
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	150
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	151
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	Shrimati Bibha Ghosh Goswami .	151
कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल	Km. Maniben Vallabbhai Patel	152
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	152
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan .	153
श्री ए० सुन्ना साहिब	Shri A. Sunna Sahib .	153
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi .	154
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	154
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	154
प्रो० पी० जी० मावलंकर .	Prof. P. G. Mavalankar .	155
श्री आर० वेंकटारमन	Shri R. Venkataraman .	155
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	156
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	156
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman .	157
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O. V. Alagesan . .	157
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	157
श्री हुकम देव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	158
खण्ड 2 से 6 और 1	Clauses 2 to 6 and 1 . .	159-164
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass as amended	164
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan .	165
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	165
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	166
11वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।	Eleventh Report presented	166

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 21 फरवरी, 1978 / 2 फाल्गुन 1899 (शक)

Tuesday, February 21, 1978/Phalguna 2, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair]

सभा के कार्य के बारे में
Re.: Business of the House

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि आज ली जाने वाली कार्यवाही के क्रम में मैंने कुछ परिवर्तन किया है। रेलवे बजट प्रस्तुत किये जाने की मद को ध्यान आकर्षण और नियम 377 के अधीन सूचनाओं की मदों से पहले लिया जायेगा।

Some Hon'ble Members: Shri Jagjivan Ram has been insulted in Varanasi **Interruptions).**

अध्यक्ष महोदय : आप उसके लिए नियम 184 के अधीन सूचना दें। मैं आपको उस पर चर्चा के लिए अवसर दूंगा। (व्यवधान) मैं इसे एक गम्भीर मामला मानता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta: Sir, this incident should be condemend in a forthright manner. The Leader of the opposition should also condemn it.

श्री यशवंतराव चव्हाण : यह एक गम्भीर मामला है। पर कांग्रेस का इस मामले से कोई संबंध नहीं।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस मामले की जांच करायी जाये।

श्री के० गोपाल : हम इस बात से सहमत हैं। जांच से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पर्दाफाश हो जायेगा।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से मैं इसे गम्भीर मामला मानता हूं जिस पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिये। कल को वे लोग संसद को भी धोयेंगे। सारा देश इस घटना से क्षुब्ध है और देशवासी भड़क सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अस्पृश्यता अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। अतः पहले गृह मंत्री जी सभा में वक्तव्य दें। तब उस पर चर्चा होगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : गृह मंत्री जी द्वारा वक्तव्य के बाद चर्चा की जाये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आश्वासन दिया है कि कल इस पर चर्चा के लिए समय दिया जायेगा। लेकिन मुझे कार्यमंत्रणा समिति से परामर्श जरूर करना होगा। मेरा गृह मंत्री जी से भी अनुरोध है कि वह कल यहां मौजूद रहें यदि वे न आ सकें तो इस मामले पर 23 को चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : गृह मंत्री जी को सभा में सही स्थिति बतानी चाहिये।

श्री चित्त बसु : गृह मंत्री जी सभा में वक्तव्य दें और सभा उस पर चर्चा करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आश्वासन दिया है कि कल इस मामले पर चर्चा के लिए समय दिया जायेगा।

Shri Mani Ram Bagri: The opposition parties have been raising this question of untouchability many times in the past. I will request you to let me know the time when it will be taken up for discussion tomorrow.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत के नए मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति

*1. **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के प्रश्न पर विवाद है, जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है;

(ख) सरकार भारत के नए मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति कब कर रही है; और

(ग) उक्त नियुक्ति के लिये सरकार किन सिद्धान्तों पर विचार कर रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) भारत के नए मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के बारे में कुछ विवाद था। सरकार ने अब उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम अवर न्यायाधीश श्री वाई० वी० चन्द्रचूड़ को तारीख 22 फरवरी, 1978 से भारत के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। जो विवाद उठा था उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह विनिश्चय किया कि यह नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपतियों से परामर्श करके की जाए।

Shri Kanwar Lal Gupta: Sir, I can not decide whether to welcome or not the appointment of Mr. Justice Chandrachud as Chief Justice of India. But I consider this step quite right in the present circumstances. It is a fact that Justice Chandrachud was unable to give justice to the people during emergency but the Janta Party has done justice to him. It is often said that Article 124 relating to the appointment of Chief Justice is vague. Similarly Article 359 was diluted to shape the faith of people by suspending even the right to life at that time. May I know the steps being taken to remove vagueness so that this controversy does not crop up again.

श्री शान्ति भूषण : माननीय सदस्य ने प्रश्न के दो पहलुओं के बारे में पूछा है। एक यह कि अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपतीय आदेश द्वारा कतिपय मूल अधिकारों को भी निलम्बित कर दिया गया और जीवन का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। मैं उन्हें बता दूं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है। ऐसा प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 359 में ऐसे उपबन्ध अन्तःस्थापित किये जायें जिस से

अनुच्छेद 21 द्वारा मिले जीवन का अधिकार को किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में निलम्बित न किया जा सके। सरकार को आशा है कि सभा में सभी सदस्यों की सहायता से अगले संशोधन विधेयक इसे शामिल किया जा सकेगा। दूसरा पहलू उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इस समय अनुच्छेद 124 के अधीन उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श का उपबन्ध है। इस बारे में भी कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस मामले को विधि आयोग को सौंपा गया है। आयोग की सिफारिश मिलने पर सरकार उस पर विचार करेगी। निःसन्देह इसके लिए भी संविधान में संशोधन किया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta: Recently there was a controversy raised by certain eminent jurists like Mr. Chagla about the appointment of Shri Chandrachud. But he should have been impeached if he was not capable of becoming a judge. So I have welcomed the appointment. If he can be a judge, then certainly he can be appointed Chief Justice also.

I want to pay my tributes to Justice Khanna who had the courage to say correct thing even in those circumstances. 'New York Times' had also showered praise on Justice Khanna. There is another point Justice Chandrachud will remain Chief Justice for seven years which is a very long period. Will he consider to limit the tenure of Chief Justice to three years as is the practice regarding the tenure of Commander-in-Chief.

My second question is as to what was discussed with the Chief Justice and other Judges of the Supreme Court in regard to the appointment?

श्री शान्ति भूषण : काफी समय पहले श्री शीतलवाड की अध्यक्षता में विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अल्प अवधि के लिए न होकर 5 या 7 वर्ष के लिए होनी चाहिये। इस बारे में अलग राय हो सकती है। लेकिन संविधान के अनुसार सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी गई है। अतः अवधि चाहे कितनी भी हो यह आयु 65 वर्ष ही रहेगी।

अन्य बात उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से सलाह की है। वास्तव में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था और उसी विवाद को उनके सम्मुख रख कर उनकी राय पूछी गई थी और उन्होंने अपना विचार बता दिया था।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी : यह कहा गया कि न्यायाधीशों का ध्यान विवाद की ओर दिलाया गया था। लेकिन क्या उनके सम्मुख कोई विकल्प भी रखा गया था ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय सरकार के पास कोई विकल्प नहीं।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी : विचार विमर्श के दौरान क्या उन्होंने किसी विकल्प की बात कही थी ?

श्री शांति भूषण : सरकार ने अपना कोई विचार नहीं रखा। उन्होंने केवल विवाद को उनके सामने रख दिया था और सरकार ने निर्णय पर पहुंचने के लिए उनसे सहायता चाही थी।

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या सरकार ने मुख्यतः वरीयता के सिद्धान्त के अनुसार काम किया और क्या मुख्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की राय सर्वसम्मत थी या कोई मतभेद था ?

श्री शांति भूषण : जो विवाद उठाया गया है और जो प्रेस में भी छपा है उसके बारे में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित किया गया था और उनसे उनके विचारों के बारे में पूछा गया था कि सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए। सारा मामला मुख्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष था। उन्हें अपने विचार

व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। सरकार को क्या करना चाहिए इस बारे में परामर्श देने की स्वतंत्रता थी। इन परिस्थितियों में सरकार को क्या कार्यवाही की जानी उचित होगी। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या विचार सर्वसम्मत हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मामले में सभी लगभग मतैक्य था। यह बात सर्वसम्मत पाई गई कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न संख्या 1 में दो नाम हैं। इस बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कार्यालय में कुछ गलती हुई है। कार्यालय ने उन्हें बताया है कि उनके नाम वहां हैं। कार्यालय द्वारा ऐसा करना सरासर गलत है। अनुपूरक प्रश्नों का चयन करना मेरा अधिकार है न कि मेरे अधिकारों का। मुझे इस बात का खेद है।

Shri Vijay Kumar Malhotra: I would like to know the policy and views of Government in regard to rehabilitation of those three or four judges, who fell victims to unjustice and excesses during emergency and also about judges, who were brought here because of their being committed to Government.

It is a different thing that Government held consultations with others on this matter but I would like to know what is Government's policy and views to compensate those who fell victims to excesses during emergency or were removed from here and to withdraw the benefits given to others in their place?

श्री शांति भूषण : दो अतिरिक्त जज थे; दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जज को आपातस्थिति में स्थायी नहीं बनाया गया। उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया और उन्हें अधीनस्थ न्यायपालिका में वापस भेज दिया गया। सरकार ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का जज पुनः नियुक्त कर दिया है। दूसरे जज थे बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री ललित। उनका कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया गया और वह जज नहीं रहे। सरकार ने यह निर्णय लिया कि उन्हें स्थायी न बनाने या जज न बने रहने देने के लिये कोई उचित कारण नहीं था। अतः उन्हें आगाह किया गया; परन्तु वह उच्च न्यायालय के पुनः जज बनने के लिये तैयार नहीं थे। अतः मामले को समाप्त कर दिया गया।

Shri Vijay Kumar Malhotra: Sir, I had asked what steps Government propose to take to rehabilitate those senior judges, who were removed?

श्री शांति भूषण : सभी सीनियर जज 65 वर्ष की आयु के हो गये हैं। अतः उच्चतम न्यायालय में उनकी नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहता हूं। आप ने कहा है कि कार्यालय ने गलती की है जिसके कारण आप ऐसा कर रहे हैं। अभी तक प्रथा यह रही है कि यदि एक ही विषय पर दो से अधिक सदस्यों ने कोई प्रश्न पूछा है और यदि यह अतारांकित प्रश्न है तो दो से अधिक नाम जोड़े जाते हैं। परन्तु जहां तक तारांकित प्रश्नों का संबंध है, इस सभा में प्रथा यह है कि केवल दो नाम ही जोड़े जाते हैं। यदि एक तारांकित प्रश्न के लिए दो से अधिक नाम हैं तो दो नामों का फैसला करने की प्रथा क्या है? क्या सूचना देने वाले पहले दो सदस्य होंगे या बैलट या लोक सभा सचिवालय अपनी मर्जी के दो नामों का चयन करेगा?

अध्यक्ष महोदय : यदि एक ही विषय पर दो से अधिक सदस्यों से सूचना प्राप्त होती है तो पहले दो नामों का निर्धारण नोटिस प्राप्त होने की तारीख और समय के अनुसार किया जाता है। जहां तक सम्भव होगा अध्यक्ष प्रश्न पूछने का अवसर अन्य सदस्यों को देगा, यदि वह यह महसूस करेगा कि प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दिया गया है।

श्री वयालार रवि : समाचार पत्रों से यह पता चलता है कि जनता पार्टी की कार्यकारिणी समिति ने बंगलौर में मामले पर चर्चा की और श्री चन्द्रचूड़ की नियुक्ति पर राजनीतिक असहमति पाई गई। अतः इस सरकार ने सारे मामले को राजनीतिक बना दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में कम से कम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं होंगी। ये वरीयता के आधार पर होंगी।

श्री शान्ति भूषण : वर्तमान नियुक्ति संविधान के उपबन्धों के अनुरूप की गई है। संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों से परामर्श करने की अनुमति है। भविष्य में भी सरकार का विचार संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार नियुक्तियां करने का है।

विदेशी औषधि कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

*3. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में 24 जनवरी, 1978 को प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार ने यह पक्का निश्चय कर लिया है कि हाथी समिति की सिफारिशों के अनुसार विदेशी औषधि कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और उन पर विदेशी साम्य पूंजी को कम करने सम्बन्धी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की पाबन्दियां लागू नहीं होंगी ?

(ख) यदि हां, तो समाचार के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने हाथी समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है और सिफारिशों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) Yes Sir.

(b) & (c) All the recommendations of Hathi Committee are under the active consideration of Government and final decision is expected to be taken shortly.

Shri Hargovind Verma : The question of not nationalising these drug companies came up after the Hathi Committee report. I want to know whether Government propose to implement the recommendation of the committee set up by the previous government or propose to set up another committee to go into the question of nationalisation ?

Shri Janeshwar Mishra : The report of the Hathi Committee is under consideration of the cabinet. I do not think that another committee will be set up. A cabinet sub-committee has been set up. The said sub-committee has almost taken the decision and its report and decision will be placed before the full cabinet.

Shri Hargovind Verma: Will the Hon. Minister be pleased to state whether the Indian companies will be able to stand up against the foreign companies if the later are not nationalised ?

Shri Janeshwar Mishra : I have not said that the foreign companies will or will not be nationalised.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हाथी समिति के प्रतिवेदन के पृष्ट 96 पर स्पष्ट रूप मे बताया गया है :

"भारत में चल रहे बहु-राष्ट्रीय यूनिट बल्क ड्रग्स का बहुत कम भाग उत्पादित करते हैं। बहु-राष्ट्रीय यूनिट मुख्यतः प्रसाधन सामग्री और ऐशो-आराम के सामान का उत्पादन करते हैं। इन्हें दिये गये प्रगति पत्र और सी० ओ० बी० लाइसेंसों से उनकी आस्तियों में भारी वृद्धि हुई है जो इनकी निवेश पूंजी के अनुपात में बिल्कुल नहीं है।

हमें विश्वास है कि देश में उनके बने रहने से हम आत्मनिर्भरता के टेक्नोलोजिकल लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पायेंगे ।

मूल औषधियां भारतीय सेक्टर जिसमें सरकारी सेक्टर भी शामिल है, में उत्पादित की जाती हैं और इससे देसी टेक्नीकल कुशालता में हासिल की गई क्षमता का पता चलता है।

भारी लाभ कमाने के ध्येय वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का देश में बने रहने से केवल इनके व्यापार हितों को ही बढ़ावा मिलेगा। अतः यथाशीघ्र भारत से इन्हें हटाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

अतः हम पुरजोर सिफारिश करते हैं कि औषधियों और भैषजों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और उनका प्रबन्ध प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध प्राधिकार के हाथों में होना चाहिये" ।

हाथी समिति की इस सिफारिश के सन्दर्भ में देश में विदेशी औषध कम्पनियों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया या उन्हें अपने हाथों में क्यों नहीं लिया ? मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

Shri Janeshwar Mishra: I have already stated that the report of the Hathi Committee is under consideration of the Government and a decision is likely to be taken very soon.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रतिवेदन अप्रैल, 1975 को सरकार को प्रस्तुत किया गया था। और कितना समय लगेगा ?

Shri Janeshwar Mishra: The recommendations of the Hathi Committee are under consideration of Government and the recommendation referred to by the Hon. Member is also under consideration.

Shri O.P. Tyagi: The report of the Hathi Committee was submitted in 1975 and it is still under consideration and crores of rupees are being sent out of the country annually by these multi-national Companies. I would like to know when a decision is likely to be taken on the report of the Hathi Committee and whether Government propose to nationalise these multi-national drug Companies?

Shri Janeshwar Mishra: I have already stated that a decision will be taken soon.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : श्री बहुगुणा ने गत सत्र में दिसम्बर, 1977 में स्पष्ट रूप से यह बताया था कि हाथी समिति की सिफारिशें मंत्रिमंडल के विचाराधीन हैं और शीघ्र ही उस पर निर्णय लिया जा सकता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि विदेशी औषधि कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी मामले पर सरकार द्वारा निर्णय न लिये जाने के कौन से विशेष कारण या बाधाएं हैं ?

Shri Janeshwar Mishra: There are no obstacles. As I have stated already, a cabinet sub-committee was set up under the Chairmanship of Babu Jagjivan Ram, and Shri Bahu guna, Shri H.M. Patel and Shri George Fernandes are its members. This committee has prepared its report and the same is being sent to the full cabinet for consideration. I understand that the work is being done expeditiously.

Shri Kalyan Jain: Every time it is stated that a decision will be taken soon on the report of the Hathi Committee. In drug industry, it is not the drugs but the name of the company which sells. The Hathi Committee has recommended that there should be generic name of drug. Have Government taken any decision in this regard or not ? It appears that nobody is aware that the drugs manufactured by this (multi-national) drug companies are sold at ¼ price by the Indian drug companies. Chloroquine is sold here at the rate of Rs. 100 for 1000. The Hathi Committee has recommended that there should be generic name of drug and an assurance was given in the House earlier in regard to implementation of this recommendation and early decision in this regard. All Members want

it and Government's attention has been drawn that drugs are very costly. May I know whether Government propose to give generic name to drugs?

Shri Janeshwar Mishra : I have already stated that all the recommendations of the Hathi Committee are under active consideration of Government.

पूर्व रेलवे के बोगांव–सियालदह सैक्शन को दुहरा किया जाना

श्री चित्त बसु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में बोंगांव —सियालदह सैक्शन को दुहरा करने की परियोजना अब किस चरण पर है;

(ख) क्या इसको वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) इस खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने के लिये किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली यह परियोजना अलाभप्रद है। अतः इस लाइन का निर्माण का काम तभी शुरू किया जा सकता है जब इस लाइन की पूंजीगत लागत पर लाभांश के भुगतान और इस लाइन को चालू करने के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से रेल मंत्रालय को छूट दिये जाने के प्रश्न पर विनिश्चय हो जायेगा।

(ख) जी नहीं

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री चित बसु : मुझे कहना चाहिये कि यह निराशाजनक है। क्या मंत्री महोदय का ध्यान पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा लिखे गये 21 नवम्बर, के उस पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी लिखा था।

"मैंने उन बुनियादी बातों का जिक्र करने का प्रयास किया है जिनके कारण राज्य सरकार इस मार्ग को दोहरा करना चाहती है"

उन्होंने इस परियोजना के रेलवे के अगले वर्ष के कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश भी की है। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या उनका ध्यान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन द्वारा मुझे लिखे गये पत्र की ओर दिलाया गया है। इसमें लिखा है:—

"आप जानते ही हैं कि रेल मंत्रालय ने इस योजना के लिये राशि का प्रबन्ध करने हेतु वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग को लिखा है। हम इस पर उचित ध्यान दे रहे हैं और इसे योजना आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाली 1978-79 की वार्षिक योजना में शामिल करेंगे।"

क्या मैं उनका ध्यान रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शिव नारायण द्वारा मुझे लिखे गये पत्र कि ओर दिला सकता हूं। क्या यह सच है कि योजना आयोग स्वयं इस योजना के लिये स्वीकृति नहीं दे रहा। यदि हां, तो क्या योजना आयोग इस मामले में ज्यादती नहीं कर रहा?

प्रो० मधु दंडवते : मेरा ध्यान उन सब बातों की ओर दिलाया गया है जो कुछ उन्होंने कहा है प्रश्न के भाग (ख) के बारे में मैं योजना आयोग पर कोई आक्षेप नहीं करता लेकिन मैं केवल

इतना कहना चाहता हूं कि मैंने भी वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को ऐसे ही पत्र लिखे हैं जैसे माननीय सदस्य ने लिखे हैं और हमें सूचित किया गया है कि यह मामला सार्वजनिक पूंजी-निवेश बोर्ड के सामने रखना पड़ेगा और निर्णय होने पर यह मामला निपटाया जायेगा। हम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : जैसे कि आप जानते हैं, रेलवे देश का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। क्या सरकारी क्षेत्र को लाभ कमाने के साथ-साथ लोगों के हितों की ओर ध्यान देना नहीं होता ? यह लाईन, जैसे कि रेल मंत्रालय ने कहा है, लाभप्रद नहीं, इसलिये इसके बारे में योजना आयोग को लिखा गया है। क्या रेलवे बोर्ड इसे जनोपयोगी लाईन समझेगा क्योंकि राज्य सरकार के विचार में यह एक जरूरी लाईन है। चूंकि प्रश्न जनोपयोगिता का है, इसलिये लाभप्रदता अथवा अलाभप्रदता का प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय सदस्य की हर बात से सहमत हूं। मामला सार्वजनिक पूंजी-निवेश बोर्ड पर निर्भर करता है। हमने सभी लाईनों के बारे में वही दलीलें दी हैं जो माननीय सदस्य ने दी हैं। हमने कहा है लाभप्रदता अथवा अलाभप्रदता पर ध्यान न देकर समूची नीति पर ध्यान दिया जाना चाहिये। योजना आयोग ने एक टीम का गठन किया है और उस टीम के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि कटवार से बंदेल वाली लाईन को दोहरा करने अथवा उसका विद्युतीकरण करने संबंधी परियोजना······

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं। यह बोंगांव—सियालदह लाईन से संबंधित है। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं।

Shrimati Chandravati : I want to bring a point to your notice. Our questions do not come here. I want to know about the name of the members and number of questions sent by them and number of questions admitted for reply. There is a lot of bungling about it (*Interruption*) : We do not also get opportunity for putting supplementaries. I want to know the number of question sent by us during a session and number of questions admitted out of them? I want to know the extent of bungling by your secretariat.·····

अध्यक्ष महोदय : हर सदस्य के साथ समान व्यवहार किया जायेगा।

Shrimati Chandravati : We want an assurance about it.

अध्यक्ष महोदय : हर सदस्य के साथ समान व्यवहार किया जायेगा।

अप्रचलित औषधियों का आयात

*5. **श्री मुरली मनोहर जोशी** :

श्री डी०डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार देखे हैं कि बड़ी मात्रा में ऐसी औषधियां आयात की गई हैं जो पुरानी हो चुकी हैं और प्रयोग किये जाने के योग्य नहीं है ;

(ख) ऐसी औषधियां कितनी मात्रा में आयात की गई तथा उनका अन्य व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

The Minister of State for Petroleum Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) Yes, sir. However, the Ministry of Health & Family Welfare, who are responsible for the quality control of drugs, including imported drugs, have on an investigation, found that there is no substance in the allegations made in the press reports.

(b) & (c) : Do not arise.

Shri Murli Manohar Joshi : The drugs were imported according to the licence issued under replenishment entitlement scheme and these licences were issued to all type of exporters right from cloth to pickle items so that they could import drugs from there. Multinational companies allowed maximum exemptions and discount because these drugs were substandard and imported only two months before their expiry dates as prescribed by the W.H.O, so that they could be saved from legal complications and imported here before expiry date if that is so.

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आयें ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । इसके कई भाग हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है······

अध्यक्ष महोदय : हर प्रश्न महत्वपूर्ण है ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : हर प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

Are these the same spurious drugs which were seized after raids? Is it also a fact that these drugs were imported with maximum exemption from the foreign countries, through the importers of cloth etc. etc.

Shri Janeshwar Mishra : The bulk drugs are imported through S.T.C., Licence holders and drug manufacturers. We got these reports immediately after appearing in the press, examined through our agencies. The Drug Controller ascertains the quality of the drug. The reports received by the Government indicate that no drugs having duration of less than three years were imported to this country.

Dr. Murli Manohar Joshi: I have not received any reply to my supplementary questions. Reply to only 1st part of the question has come.

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न इतना लम्बा था कि इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता था ।

Dr. Murli Manohar Joshi : My basic question is that as to why multinational companies sent these drugs with maximum discount? Were these drugs sent out of mercy to the poor people of this country ?

मेरे प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं आया ।

Shri Janeshwar Mishra : The Hon. Member was our teacher sometime ago. I know his technique of asking questions. Fresh licence holders were allowed to import same drugs in place of exporting certain items. It was certainly doubted that same spurious drugs are being imported but the Drug Controller after necessary examination found that doubt baseless.

Dr. Murli Manohar Joshi : What was the purpose of allowing commission.

इस रिप्लेनिशमेंट एनटाईटलमेंट स्कीम के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने बहुत कमीशन दिया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय प्रश्न को टाल रहे हैं तो इसके लिये आप जिम्मेवार हैं ।

Dr. Murli Manohar Joshi : Will the Government prevent the licence holders from importing drugs under replenishment entitlement scheme in view of the report regarding possibility of drugs being spurious ?

Many a times it has been pointed out that spurious drugs are doing a lot of harm. The Government should completely ban the import of foreign drugs after receiving the drug policy.

Shri Janeshwar Mishra : The ban has been imposed in September, 1977. The manufacturing and exporting parties can only import bulk drugs.

Dr. Murli Manohar Joshi : Will you completely ban the import of drug ?

Shrimati Chandravati : It is taken into consideration that licence holder should be drugist or chemist ? Have some qualifications been prescribed ?

Shri Janeshwar Mishra : Yes, it is taken into consideration.

Shrimati Chandravati : Will you make an enquiry that licences were also issued to persons who do not fulfil the qualifications ?

Shri Janeshwar Mishra : An enquiry can be conducted in case some specific case is pointed out.

Shrimati Chandravati : We will not find out. It is for you to see.

श्री विनोद भाई बी० शेठ : क्या औषध उद्योग की सस्ते दामों पर गरीबों को औषधियाँ उपलब्ध करने संबंधी असफलता को ध्यान में रखते हुए औषध उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर विचार करेगी ?

Shri Janeshwar Mishra : The Government is taking into consideration recommendations of the Hathi Committee.

Shri Hukam Dev Narain Yadav: Adulteration in drugs has taken a serious turn in the country. A man is sentenced to death for murdering another man. Adulterated drugs claim hundreds of lives. This evil can not be checked till a comprehensive law is enacted. Is the Government prepared to amend the Indian Penal Code and provide for life imprisonment and death sentence for those who are found guilty of adulterating the drugs?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है ।

Shri Janeshwar Mishra : It is really a good suggestion. It will be referred to the Law Ministry.

Shri Kishore Lal : Is it a fact that I.D.P.L. gave 200 or 250 Chemical formulae to the foreign companies?

Shri Janeshwar Mishra : I want a separate notice for it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Simplification of Companies Act and M.R.T.P. Act

*6. **Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indian Chamber of Commerce, Calcutta has made any suggestions to make the Companies Act and Monopoly and Restrictive Trade Practices Act simple and rational; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Yes, Sir. These have been sent in response to a question naire issued by the Expert Committee appointed by the Government to examine the Companies Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

(b) These as well as other suggestions and comments received from various Chambers of Commerce, Association and other bodies are being considered by the Expert Committee which will be submitting its report to Government by middle of 1978. In view of this, the question of Government considering the suggestions of the Indian Chamber of Commerce, Calcutta does not arise.

Railway Accidents due to Sabotage

****7. Shri R. L. P. Verma :**

Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Railways** be pleased to lay a statement showing :

(a) the number of Railway accidents due to sabotage or otherwise, zone-wise from March, 1977 till date;

(b) the number of culprits involved in the sabotage apprehended and the number of cases in which enquiry is going on;

(c) the action so far taken against the guilty railway employees involved in the accidents; and

(d) the action being taken to prevent accidents ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandvate): (a) During the period March, 1977 to January, 1978, there were 803 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Indian Government Railways. In 8 of these cases, the trains were involved in accidents due to acts of sabotage. Zonewise position is as under:—

Zonal Railways	Total number of train accidents	Train accidents due to sabotage
1	2	3
Central	102	2
Eastern	47	..
Northern	98	2
North Eastern	74	1
Northeast Frontier	71	..
Southern	88	1
South Central	68	..
South Eastern	122	1
Western	133	1
Total	803	8

(b) Thirtysix persons were apprehended. All the cases of sabotage are under police investigation.

(c) The punishments awarded to the railway employees held responsible for accidents given below:

(i)	Dismissal/Removal	11
(ii)	Temporary employees discharges	4
(iii)	Reversion to lower grade or in the same grade or stoppage of promotion	17
(iv)	Withholding of increments for varying periods	154
(v)	Stoppage of passes and PTOs	11
(vi)	Censured/Warning	27
	Total	224

(d) Since failure of railway staff is the largest single factor responsible for accidents, Safety Organisations on the railways have been engaged in relentless campaign to create greater safety consciousness amongst the staff connected with the running of trains and to ensure that staff do not violate rules or indulge in short-cut methods. 10,000 additional posts of operational categories connected with running of trains and 2,700 additional posts of running staff have been sanctioned to implement Miabhoy Tribunal Award and the 10 hours duty rule.

In order to reduce dependence on the human element, various sophisticated aids like ultrasonic flaw detectors for wheels, axles and rails, track circuiting, automatic warning system etc. are being introduced progressively.

It has been decided recently to track circuit run through lines at 50 stations by 31-3-1978 and at the remaining 430 stations on the trunk routes by 1981. In addition, track circuiting from fouling mark to Advanced Starter at 25 vulnerable stations will be completed by 31-3-1978 and at another 75 such stations within the next one and a half years.

Besides keeping a close cooperation and coordination with the State Police by holding periodical meetings at various levels and assisting them in detection, apprehension and prosecution of miscreants, Railways have also employed 14,000 engineering gangmen and 11,000 R.P.F. personnel to patrol the track, particularly in vulnerable areas, as a preventive measure against sabotage.

फिश-प्लेट्स हटाने की घटनायें

*8. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'फिश-प्लेट्स' हटाने के उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनका रेलवे विभाग ने हाल ही में पता लगाया है ;

(ख) इस सबंध में, जोनवार, स्थानों का विवरण क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में तोड़-फोड़ के कार्यों में लगे कुछ लोगों का पता चला है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) : हाल ही में फिश-प्लेट हटाये जाने के जिन मामलों का पता लगाया गया उनका रेलवे-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मध्य रेलवे	19-11-1977 को लगभग 10.10 बजे फिश-प्लेट हटाये जाने के कारण माना और मुर्तजापुर के बीच अकोला जिला महाराष्ट्र में पी० 30 अप माल गाड़ी पटरी से उतर गयी—16 माल डिब्बे उलट गये और 21 माल डिब्बे पटरी से उतर गये ।
पूर्व रेलवे	1. 18-11-1977 को लगभग 08.00 बजे हावड़ा–बर्दवान कलकत्ता खंड की डाउन लाइन से बेलूर और वाली रेलवे स्टेशनों के बीच कि० मी० 712–718 के बीच 5 जोड़ी फिश-प्लेटें गायब पायीं गयीं । 25-11-1977 को एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और उसके बताये जाने पर 10 जोड़ी फिश-प्लेटें बरामद की गयीं ।
	2. 17-12 1977 को लगभग 20.30 बजे, बिहार के मुंगेर जिले के झाझा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के ग्रामवासियों द्वारा एक बाहरी व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके पास 15 दुतरफा चाबियां, 5 बोल्ट और 5 नट थे । उन्होंने उसे स्थानीय पुलिस झाझा के हवाले कर दिया । पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 379/411 के अन्तर्गत मामला सं० 8 चलाया गया ।
	3. 24-1-1978 को लगभग 08.35 बजे, हावड़ा मंडल में कि० मी० 5/26–27 पर डाउन लाइन पर एक फिश प्लेट खुली पायी गयी और एक फिश प्लेट का एक टूटा हुआ बोल्ट रेल पथ पर पड़ा पाया गया । इस मामले की जांच की जा रही है ।
उत्तर रेलवे	1. 26-12-1977 को लगभग 07.40 बजे, सी० ओ० डी० शटल के ड्राइवर, श्री श्यामलाल को यात्रियों से इलाहाबाद मंडल के इलाहाबाद-नैनी रेलवे स्टेशनों के बीच कि० मी० 823/5-7 पर अप लाइन की दायीं ओर के रेलपथ से एक फिश-प्लेट और 19 चाबियां हटायी जाने की सूचना मिली ।
	2. 18-12-1977 को लगभग 09.30 बजे गैंगमेट, श्री हरिया ने देखा कि एक भीतरी फिश-प्लेट हटा दी गयी है और वह रेलपथ के अंदर की ओर पड़ी है । जोधपुर मंडल के जेठाचन्दन और श्री भदारिया लाठी के बीच कि० मी० 249/4–5 पर 3 बोल्ट खुले पाये गये और 3 नट रेलपथ के अन्दर की ओर पड़े पाये गये ।
	3. 15-1-1978 को गैंग नं० 17 के चाबी वाले, सुन्दर द्वारा लगभग 14.30 बजे पश्चिमी/केबिन/रामपुर को यह सूचित किया कि कि०मी० 1372/6–7 पर रेलपथ जोड़ के उत्तर की तरफ की पटरी के 4 फिश बोल्ट और 2 फिश प्लेटें तथा दक्षिण की तरफ की पटरी के 2 फिश बोल्ट हटा दिये गये हैं और गायब हैं ।

इस मामले में सरकारी रेलवे पुलिस मुराब मुरादाबाद द्वारा गैंग नं० 17 के 2 कर्मचारियों श्री सुन्दर तथा मिश्रीलाल को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वोत्तर रेलवे . . 1. 19-12-1977 को लगभग 11.10 बजे जब 144 डाउन सवारी गाड़ी इज्जतनगर मंडल के पीलीभीत—भोजीपुरा खंड पर सैंथल और भोजीपुरा के बीच चल रही थी तो गाड़ी एक गैंगमैन द्वारा रोक ली गयी क्योंकि उसने देखा था कि कि० मी० 293/2–3 पर एक फिश प्लेट गायब है और कि० मी० 291/1-2 पर रेलपथ से 7 फिश बोल्ट निकाल दिये गये हैं।

2. 2-1-1978 को लगभग 07.30 बजे रेलवे सुरक्षा दल/गैंगमैन ने देखा कि समस्तीपुर मंडल पर काकर घाटी और तारसराय के बीच दो स्थानों पर फिश प्लेट निकाले गये हैं। सरकारी रेलवे पुलिस, दरभंगा द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 1. 28-8-1977 को लगभग 18.30 बजे गश्त लगाने वाले ने किसी बाहरी व्यक्ति को चंगरी और रंगिया स्टेशनों के बीच 4 बोल्ट हटाते हुए देखा। सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन/रंगिया द्वारा वह बाहरी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126/ख के अंतर्गत मामला सं० 13 (एस)-77 चलाया गया।

2. 8-12-1977 को चाबी वाले ने देखा कि सील पाथर और तेलाम स्टेशनों के बीच कि० मी० 416/3-4 पर 7 जोड़ों के 13 फिश बोल्ट गायब हैं।

3. 13-12-1977 को लगभग 05.30 बजे एक गैंगमैन को बेलाकोया और रानीनगर के बीच कि० मी० 21/2-3 पर 2 फिश प्लेट खुले हुए मिले। सरकारी रेलवे पुलिस/जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार मंडल (पश्चिम बंगाल) द्वारा इस मामले में चार बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

4. 16-12-1977 को लगभग 00.55 बजे एक गैंगमैन को कुमारगंज और सामसी के बीच फिश प्लेटों के 2 बोल्ट गायब मिले।

5. 5-1 1978 को मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (डी), मालीगांव के निरीक्षण के दौरान पिट सं० 4 के एक पटरी के जोड़ की 2 फिश प्लेटें गायब पायी गयीं और 2 अन्य बोल्ट ढीले पाये गये।

6. 6-1-1978 को रेलवे सुरक्षा दल के गश्ती दल को गारोपाड़ा और कालचीनी स्टेशनों के कि० मी० 273/6-7 के निकट 2 फिश प्लेटें खुली हुई मिली।

दक्षिण रेलवे . . 21-12-1977 को मेलपाक्कौर के गैंगमैन द्वारा मद्रास मंडल के इञ्चिपुत्तूर और अरकोणम स्टेशनों के बीच कि० मी० 71/16–17 पर अप लाइन में दो जोड़ों पर फिश प्लेटें निकाले जाने की सूचना दी गयी। मौके का निरीक्षण किये जाने पर पटरियों को मिलाने वाले 2 जोड़ों पर 4 फिश प्लेटें गायब पायी गयीं। रेलवे पुलिस के साथ राज्य के गुप्तचर विभाग की सेवाओं का भी उपयोग किया गया। मद्रास के गुप्तचर विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे . 1. 27-1-1977 को खोरधा रोड मंडल में उत्तरी केबिन/बालू गांव से लगभग 1/2 किलोमीटर की दूरी पर दो बाहरी व्यक्तियों को कि० मी० 525/6–4 से 2 फिश प्लेटें और 6 बोल्ट गायब मिले। इस मामले की जांच की जा रही है।

2. 7-12-1977 को 6 व्यक्तियों की बाल्तेरु मंडल के मुनिगासन स्टेशन के निकट एक कांटे पर इस्पात की चाबियां डालने के कारण गिरफ्तार किया गया।

3. 12-12-1977 को बालू गांव स्टेशन के निकट कि० मी० 525/10 पर, अप लाइन पर एक पत्थर रखने के कारण एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

पश्चिम रेलवे . . 23-11-1977 को 2 डाउन अहमदाबाद–दिल्ली मेल फिश-प्लेट और नट हटाए जाने के कारण अजेरका और बावल स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गयी। उक्त डाक गाड़ी का इंजन और 10 सवारी डिब्बे उतर गये। 19 यात्री मारे गये और 24 गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले की जाँच की जा रही है।

(ग) अभी तक 36 व्यक्तियों को पकड़ा गया है जिनमें से 27 व्यक्तियों को फिश-प्लेटें निकालने के कारण गिरफ्तार किया गया। बाकी व्यक्तियों को इस्पात की चाबियाँ डालने, रेल-पथ को अवरूद्ध करने तथा बोल्टों एवं नटों को निकालने के लिए गिरफ्तार किया गया।

अमरीकी फार्मास्यूटिकल्स कम्पनियों पर विश्वासघात के मुकदमे

*9. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**
श्री शिव सम्पत्ति राम :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि विदेशी सरकारें अमरीकी विभागों के विरुद्ध विश्वासघात के मुकदमें चला सकती है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने 6 अमरीकी फार्मास्यूटिकल निर्माताओं के विरुद्ध विश्वासघात के मुकदमे दायर किये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में भारत सरकार ने अब तक कितनी राशि खर्च की है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) भारत सरकार ने ब्राड स्पैक्ट्रम एन्टीबायोटिक्स का संयुक्त रूप से मूल्य निर्धारित करने और स्वदेशी तथा विदेशी खरीददारों से अधिक मूल्य लेने का षडयंत्र करने के लिये यू० एस० एन्टी-ट्रस्ट लॉ के अन्तर्गत अमेरिका की छः औषध निर्माता कम्पनियाँ, अर्थात् फाइजर, साइनामाइड, स्क्विब, ब्रिस्टल मैसर्स, अपजोन और ओलिन के खिलाफ अमेरिका की अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया हुआ है । मुद्दालेह कम्पनियों ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में यह अपील की थी कि यू० एस० एन्टी-ट्रस्ट लॉ के अन्तर्गत कोई भी विदेशी राष्ट्र हानि के लिये कम्पनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि क्लेटन अधिनियम के अनुसार विदेशी राष्ट्र एक 'व्यक्ति' है अतः वह यू० एस० एन्टी-ट्रस्ट-लॉ के अन्तर्गत हानि के लिये दावा कर सकता है। संबंधित मुद्दालेह कम्पनियों से ब्राड स्पैक्ट्रम एन्टीबायोटिक्स खरीदने से हानि के लिये दावा करने के संबंध में आगामी कार्यवाही हमारे कानूनी सलाहकार के परामर्श से की जा रही है ।

(घ) नवम्बर, 1977 के अन्त तक कानूनी फीस और हमारे कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई सेवाओं के भुगतान के रूप में कुल 1,32,592.31 अमेरिकी डालर खर्च हो गये थे ।

Inquiry into Accident near Rewari

†*10. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Railways** be plesaed to state :

(a) whether the Railways have completed enquiry into the accident which occurred near Rewari on 23rd November, 1977;

(b) whether some persons have been arrested on the suspicion of sabotage in this connection: and

(c) If so, the details thereof ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) This accident has been inquired into by the Additional Commissioner of Railway Safety, Bombay, who functions under the administrative control of the Ministry of Tourism & Civil Aviation. According to his provisional finding, the accident was due to sabotage.

(b) and (c) One person was arrested on suspicion on 8-12-1977. He was kept in custody till 12-12-1977 and interrogated. But, nothing useful came out in interrogation Hence he was released on personal bond on 12-12-1977.

यूरिया पर आधारित उर्वरकों का उत्पादन

*11. **डा० बापू कालदाते** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया पर आधारित उर्वरकों का उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1977-78 के दौरान यूरिया का उत्पादन 34 लाख मी० टन के लक्ष्य की तुलना में 32 लाख मी० टन होने की आशा है ।

(ख) यूरिया के उत्पादन में कमी होने के अनेक कारण हैं जैसे यांत्रिक खराबी, बिजली की कटौती, बिजली सप्लाई की अस्थिरता और श्रमिक समस्या ।

(ग) माँग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त आयात की योजना बनाई गई है ।

World Bank Loan for Development in the Sea bed near Bombay

†*12. **Shri Manohar Lal :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank has sanctioned a loan for the exploration of oil and development work in the sea-bed near Bombay;

(b) if so, the amount of loan, the rate of interest and other conditions thereof; and

(c) the purposes for which this loan would be utilised and how much benefit would accrue therefrom ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) Yes sir, the International Bank for Reconstruction and Development has sanctioned a loan for the implementation of Phase III of Bombay High development programme.

(b) The amount of loan is US $ 150 million (a little over Rs. 134 crores). It carries interest at the rate of 8.2% per annum on Amounts drawn and a commitment charge of three fourths of one per cent per annum on amounts undrawn; and the interest and the commit ment charge are payable semi-annually each year. The principal amount is re-payable in equal half-yearly instalments of US $ 4,410,000 beginning January 1, 1981 through January 1, 1997 with the last instalment of US $ 4,470,000 on July 1, 1997.

(c) the loan is intended for part financing of Phase III Development Programme of the Bombay High project. The loan as presently envisaged is to be utilised for

(i) Installation of sub-sea pipelines;

(ii) construction and equipment of two well platforms and of two processing platforms;

(iii) construction and equipment of gas fractionation plant.

The implementation of Phase III of the programme for the development of Bombay High which includes partial development of North Bassein field also would help set up a production potential of about 6 million tonnes of oil per annum from Bombay High field and one million tonnes per annum of oil from North bassein field.

अनुसूचित जातियों के लिये विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण

*13. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के लिये विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण करने की कसौटी क्या है और यह आरक्षण कितने समय के लिये किया जाता है ;

(ख) इस प्रकार आरक्षित किये गये संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की राज्यवार संख्या तथा उनके ब्यौरे क्या हैं और वे कितने समय के लिए आरक्षित हैं ; और

(ग) निर्वाचन क्षेत्रों को 10 अथवा 15 वर्षों से अधिक अवधि के लिये आरक्षित रखने के कानूनी अथवा प्रशासकीय कारण क्या हैं और भविष्य के लिये उन्हें साधारण निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) अनुसूचित जातियों के लिए विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण, संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) के अधीन इस संबंध में बनाई गई विधि के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के उपबंधों के अधीन किए जाते हैं । संविधान के अनुच्छेद 334 के अधीन वह अवधि जिसके लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं, संविधान लागू होने की तारीख से तीस वर्ष है ।

(ख) संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आदेश, 1976 के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, उनकी राज्यवार विशिष्टियाँ दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । इन निर्वाचन क्षेत्रों की बाबत स्थानों का आरक्षण पिछली लोक सभा के विघटन की तारीख से लागू हुआ है । सामान्य रूप से ये स्थान निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन किए जाने तक आरक्षित बने रहेंगे । किन्तु संविधान के अनुच्छेद 334 के अधीन, जैसा कि वह इस समय है, यह आरक्षण संविधान लागू होने की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के बीतने पर समाप्त हो जाएगा ।

(ग) लोक सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध संविधान में इसलिए किया गया है कि लोक सभा में ऐसी जातियों के सदस्यों के लिए स्थानों की न्यूनतम संख्या की गारंटी दी जा सके । लोक सभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षित स्थानों को साधारण स्थानों के रूप में घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

क्रम संख्या और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल स्थान	अ०जा० के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या	आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० और नाम
1	2	3	4
राज्य			
1. आंध्र प्रदेश . .	42	6	9-अमालापुरम्, 19-नेल्लोर, 20-तिरुपति, 28-नगरकरनूल 32-सिद्दीपेट और 36-पेड्डापल्ली ।
2. आसाम .	14	1	1-करीमगंज
3. बिहार . .	54	8	1-बगहा, 8-हाजीपुर, 16-रोसेड़ा, 22-अररिया, 38-सासाराम, 42-नवादा 43-गया और 54-पलामू

1	2	3	4
4. गुजरात . .	26	2	9-धन्धुका और 13-पाटन
5. हरियाणा . .	10	2	1-अम्बाला और 10-सिरसा
6. हिमाचल प्रदेश	4	1	1- शिमला
7. जम्मू-कश्मीर .	6	--	--
8. कर्नाटक .	28	4	1-बीदर, 10-कोलार, 15-चामराजनगर, 76-चिक्कोड़ी
9. केरल . .	20	2	8-ओटापालम और 17-अदूर
10. मध्य प्रदेश .	40	5	1-मुरैना, 5-सागर, 16-सारंगगढ़, 33-शाजापुर और 38-उज्जैन
11. महाराष्ट्र . .	48	3	18-बुलढाना, 36-उस्मानाबाद और 38-पंढरपुर
12. मणिपुर .	2	—	—
13. मेघालय	2	—	—
14. नागालैंड . .	1	—	—
15. उड़ीसा . .	21	3	3-भद्रक, 4-जाजपुर और 15-फूलबनी
16. पंजाब . .	13	3	5-फिल्लोर, 7-रोपड़ और 11-भटिंडा
17. राजस्थान .	25	4	1-गंगानगर, 10-बवाना, 13-टोंक और 22-जालौर
18. सिक्किम .	1	—	—
19. तमिल नाडु .	39	7	4-श्रीपेरुम्बुडुर, 12-चिदम्बरम्, 15-राशिपुरम्, 21-पाल्लाची, 28-पैरम्बलूर, 30-नागापट्टीनम और 37-टेनकासी
20. त्रिपुरा .	2	—	—
21. उत्तर प्रदेश .	85	18	5-बिजनौर, 18-मिसरिख, 19-हरदोई, 21-मोहनलाल गंज, 27-अकबरपुर, 29-बाराबंकी, 34-बस्ती, 37-बाँसगाँव, 46-लालगंज, 49-सैदपुर, 53-राबर्टसगंज, 57-चैल, 62-जालौन, 63-घाटमपुर, 72-फिरोजाबाद, 75-हाथरस, 77-खुर्जा, और 85-हरिद्वार
22. पश्चिमी बंगाल	42	8	1-कूच बिहार, 6-बालूरघाट, 12-नवद्वीप, 15-जोयनगर, 16-मथुरापुर, 36-विशनुपुर, 37-दुर्गापुर और 42-बीरभूम

1	2	3	4
संघ राज्यक्षेत्र			
23. अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	2	—	—
25. चण्डीगढ़	1	—	—
26. दादरा और नगर हवेली	1	—	—
27. दिल्ली	7	1	7–करौल बाग
28. गोवा, दमण और दीव	2	—	—
29. लक्षद्वीप	1	—	—
30. मिजोरम	1	—	—
31. पांडिचेरी	1	—	—
कुल	542	78	

Scheme of Allotment of Gas Agencies to Tribal and Backward Areas

*14. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Government have a scheme to give priority to tribal and backward areas in the allotment of gas agencies; and

(b) if so, the action being taken by Government on the applications for allotment of gas agencies in the tribal district of Betul in Madhya Pradesh ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Since there has been no plan to market cooking gas in Betul District, the question of taking action on applications for allotment of gas agencies did not arise.

बम्बई हाई में तेल उत्पादन

*15. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान 'बम्बई हाई' में तेल की खोज और पाइपलाइन के निर्माण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष के आरम्भ में और 31 दिसम्बर, 1977 को कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ, और

(ग) क्या तेल के उत्पादन की दर को देखते हुए इसका कार्य आरम्भ होने के समय से चार वर्ष के अन्त तक निर्धारित एक करोड़ टन का लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जनवरी से दिसम्बर, 1977 की अवधि के दौरान बम्बई हाई संरचना के उत्तरी भाग में तेल की विद्यमानता की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए एक अन्वेषी कुंआ नं० बी०एच०–15 खोदा गया था। चार प्लेट फार्मों से उत्पादन होने लग गया है। पांचवाँ प्लेट फार्म स्थापित कर दिया गया। 15-2-1978 की यथा स्थिति के अनुसार लगभग 173.5 किलो मीटर से अधिक की दूरी तक 30" व्यास की तेल लाइन और 26" व्यास की 365 किलो मीटर की दूरी तक गैस लाइन बिछा दी गई है। बम्बई हाई से उरान तक जितनी दूरी पर इन पाइप लाइनों को बिछाया जाना है, वह 205 किलो मीटर है।

(ख) 1 जनवरी, 1977 और 31 दिसम्बर, 1977 को उत्पादन की दैनिक दर क्रमशः 15,537 बैरल और 61,597 बैरल थी।

(ग) जी, हाँ। वर्ष 1981-82 तक प्रति दिन 2,00,000 बैरल की उत्पादन दर स्थापित की जाने की आशा है, जो कि वार्षिक 10 मिलियन मीटरी टन के बराबर होगी।

रेल दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों के मुआवजे के दावे

*16. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेल दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों के मुआवजे के लिए कितने दावों का निपटान अभी भी होना शेष है ;

(ख) इन मामलों के निपटान में विलम्ब होने के क्या विशेष कारण हैं ; और

(ग) मुआवजे के लिए सभी अनिर्णीत मामलों का कब तक निपटान कर दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

विवरण

(क) रेलों पर विभिन्न गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहत और घायल व्यक्तियों के संबंध में, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अंतर्गत 31-1-1978 को क्षतिपूर्ति के कुल मिलाकर 465 दावे तदर्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों के न्यायालयों में विचाराधीन थे।

(ख) और (ग) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अंतर्गत सामान्यतया दुर्घटना होने के तीन महीने की अवधि के भीतर दावेदारों की ओर से क्षतिपूर्ति के दावे तदर्थ दावा आयुक्त/पदेन दावा आयुक्त के यहां दायर किये जा सकते हैं। पर्याप्त कारण दिये जाने पर दावा आयुक्त दुर्घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर भी दावेदार को दावा दायर करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिये जाने से पूर्व संपूर्ण न्यायालय कार्यवाहियाँ की जाती हैं और दोनों पक्षों अर्थात् दावेदार और रेल प्रशासन को दावा सिद्ध करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है ताकि किसी गलत पक्ष को क्षतिपूर्ति का अनियमित रूप से भुगतान करने से बचाया जा सके। न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर रेल प्रशासन की ओर से अविलम्ब इन दावों का भुगतान कर दिया जाता है।

त्रिवेन्द्रम में रेलवे डिवीजन

17. **श्री के० ए० राजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिवेन्द्रम में प्रस्तावित रेलवे डिवीजन का कार्य आरम्भ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम में नया डिवीजन बन जाने के पश्चात् ओलवाकोट स्थित पुराना डिवीजन कार्य करना बन्द कर देगा;

(घ) यदि हां, तो क्या केरल में रेल प्रयोक्ता संघ ने ओलवाकोट स्थित डिवीजन को बन्द न करने का सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) इस बारे में ब्यौरा और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) आशा है, नया तिरुवनन्तपुरम मंडल किसी वर्तमान इमारत में ही काम करना शुरू करेगा जब तक कि मंडल के लिए अपेक्षित नयी इमारतों का निर्माण कार्य जो 1978-79 में प्रारंभ होगा, पूरा नहीं हो जाता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में तोड़ फोड़ के कार्यों से सम्बद्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने के लिये इनाम देने का प्रस्ताव

*18. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों पर तोड़फोड़ के कार्य से सम्बद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के दल को गिरफ्तारी के लिये सूचना देने वाले को 5000 रुपये का इनाम देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव के पश्चात् कोई सूचना प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक ने अपने 31-12-77 के परिपत्र के द्वारा यह घोषणा की थी कि सरकार ने फैसला किया है कि जो व्यक्ति रेलपथ की तोड़फोड़ में लगे किसी संदिग्ध व्यक्ति या व्यक्तियों के दल के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी देगा जिससे उनकी गिरफ्तारी की जा सके, उसे 2000 रु० का इनाम दिया जायेगा। बाद में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनाम की रकम 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर देने का फैसला किया गया।

Retrechment of Casual Labour Under D.S.T.E., Southern Railway

†*19. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the retrenchment is being made of casual labour under District Signal and Telecommunication Engineer, Tambaram, Southern Railway;

(b) whether these casual labourers do not get any facility like, T.A., Railway Pass, Leave and medical facility, etc.;

(c) whether these casual labourers include certain skilled workers like carpenters, fitters, blacksmiths, wiremen, painters, welders etc.who are not paid according to their work; and

(d) if so, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Railways : (Shri Sheonarain) : (a) 72 junior-most unskilled casual labourers working under D.S.T.E. (Works), Tambaram, were retrenched from 24-12-1977 for want of work.

(b) As per extent rules, casual labourers are not entitled to railway pass, travelling allowances and leave but are entitled to limited medical facilities when they sustain injuries at work. However, after putting in continuous service for 120 days in the same type of work on the open line, they are granted temporary status whereupon they become entitled to such benefits. Casual labourers on projects do not get these facilities except that when they are sent out on duty away from the station of their posting they are paid travelling allowance.

(c) & (d) : Skilled casual labourers like fitters, etc. are paid according to their category of work.

11-डाउन दादर-मद्रास एक्सप्रेस यात्री के पटरी से उतरने के कारण मरने वालों की संख्या

*20. **श्री ग्रार० बी० स्वामिनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 दिसम्बर, 1977 को सोलापुर स्टेशन से 5 किलोमीटर पहले वाले स्टेशन के निकट 11-डाउन दादर-मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण 1 बालक तथा 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई जांच की गई है; ग्रौर

(घ) दिसम्बर 1977 में ग्रौर जनवरी 1978 में कुल कितनी दुर्घटनायें हुई ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी नहीं। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया ग्रौर 11 ग्रन्य घायल हुए जिनमें से एक रेल कर्मचारी सहित तीन को गम्भीर चोटें ग्रायीं।

(ख) 18-12-1977 को लगभग 00.37 बजे, जब गाड़ी नं० 11 डाउन दादर-मद्रास एक्सप्रेस मध्य रेलवे के बाले स्टेशन से रन-थ्रू जा रही थी, तब डाउन दिशा में सबसे बाहरी पिछले कांटों से जरा ग्रागे कि०मी० 0449/5-8 पर उस गाड़ी के पिछले 5 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ग) जी हां। बम्बई में रेल संरक्षा के उपर ग्रायुक्त जो पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के ग्रधीन एक स्वतन्त्र सांविधिक प्राधिकारी है, ने इस दुर्घटना की जांच की है ।

(घ) दिसम्बर, 1977 ग्रौर जनवरी, 1978 के दौरान भारत को सरकारी रेलों पर टक्कर, डब्बों के पटरी से उतरने समतारों पर होने वाली दुर्घटनाग्रों तथा गाड़ियों में ग्राग लगने की कोटियों के ग्रन्तर्गत 155 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई ।

सरकारी माध्यम से आयातित औषधियों का महीनेवार विवरण पत्र

1. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरणीकारक (केनेलाईजिंग) एजेंसी द्वारा औषधि और मध्यवर्ती औषधि के आयात के बारे में आर०ई०पी० नीति के अधीन विभिन्न आयातकर्ताओं द्वारा वर्ष 1977-78 के दौरान देश में आयात की गई सरणीबद्ध (केनेलाइज्ड) औषधि और मध्यवर्ती औषधि का माहवार विवरण और तुलनात्मक लागत मूल्य का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरणीकारक एजेंसी अधिक मूल्य पर खरीद करती रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनें

2. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने घोषणा की थी कि पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाने की योजनाएं इस आधार पर रद्द नहीं कि जायेंगी की वे अलाभकर हैं;

(ख) क्या यह भी सच नहीं है कि खंडवा-दोहद रेलवे लाइन का प्रस्तावित निर्माण अलाभकर नहीं होगा; और

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि प्रस्तावित खंडवा-दोहद रेलवे लाइन लाभकर होगी और उससे खारगांव और झाबना के आदिवासी जिलों का विकास भी होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) गत वर्ष अपने बजट भाषण में रेल मंत्री जी ने केवल यही कहा था कि देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु नयी लाइनों के निर्माण के लिए वे सभी साधनों का पता लगाएंगे।

(ख) 1953 में इन्दौर और दोहद के बीच रेल सम्पर्क के लिये किये गये यातायात सर्वेक्षण से पता लगा था कि इसमे कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा।

(ग) खारगांव और झाबुआ जिलों में होकर गुजरने वाली इस लाइन का निर्माण यद्यपि लाभप्रद नहीं होगा, लेकिन यह इस क्षेत्र के विकास में सहायक होगा।

भारत में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में अरब पूंजीपतियों द्वारा धन लगाया जाना

3. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्थापित किये जाने वाले पेट्रो-रसायन उद्योग समूहों में पूंजी निवेश करने में अरब पूंजीपतियों ने रुचि प्रकट की है; और

(ख) ऐसे कितने उद्योग समूहों की स्थापना करने का प्रस्ताव है और कितनी अरब पूंजी का उपयोग करने का प्रस्ताव है और उसकी क्या शर्तें होंगी ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Tube Railway in Calcutta

4. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the expenditure likely to be incurred on the construction of tube railway in Calcutta city; and

(b) whether it is a fact that after laying this tube railway line the number of accidents has increased ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The project is estimated to cost Rs. 249.54 crores.

(b) No. The tube railway is still under construction.

Doubling of Railway Line Between Kiul and Barharwa

†5. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any difficulty in introducing more fast and passenger trains between Kiul and Barharwa to meet the traffic problem of the area in the absence of a double line there;

(b) whether there is a big railway workshop at Jamalpur between Kiul and Barharwa where trains operate to bring and leave workers daily in the morning and evening from Kajara, Monghyr and Sultanganj;

(c) whether passenger trains operating on this section get delayed in the absence of double line and the operation of workshops trains for despatching labour; and

(d) whether in order to remove the above inconvenience and keeping in view the increasing population and traffic in the region, Government propose to construct a double railway line between Kiul and Barharwa and if so, by what time ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) . (a) No.

(b) Yes.

(c) No.

(d) An Engineering-cum-Traffic survey for augmentation of sectional capacities including doubling between Kiul and Bhagalpur and a traffic survey between Bhagalpur and Barharwa is in progress. A decision can be taken only when the survey report is submitted and examined.

Laboratories for Research and Tests of Drugs

6. **Shrimati Chandravati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of the laboratories in the country in Private and Public Sector for research and tests of drugs and whether Government proposed to set up any laboratory for research and formulation of drugs; and

(b) if so, the names of the States where the laboratories are proposed to be set up and if not whether Government think that the drugs available in the country are adequate and if so, the basis of such thinking ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) and (b) Besides the forty (40) in-house R & D laboratories including that of IDPL, a public sector undertaking, which have been recognised by the Deparment of Science and Technology, there are eight laboratories under the Council of Scientific and Industrial Research and one at Hindustan Antibiotics Ltd., another public sector undertaking, which are engaged in research on drugs, development of technologies for drugs or isolation of compound of medicinal value from natural resources. In addition, a number of units in private sector are also said to have their own R & D laboratories with limited facilities. As regards testing of drugs, apart from three Central Laboratories having testing facilities for all categories of drugs, three States have Quality Control Laboratories with similar facilities and twelve other States have facilities for testing on non-biological products.There are another eight States which have limited facilities for testing of some of the drugs. In addition, a number of private organisations have also set up facilities for quality control of drugs.

Although there is no specific proposal to set up any research laboratory at present there are three proposals for the production of drugs formulations, as joint sector units which are under consideration of the Government. These joint sector units would be between the public sector undertakings and the State Governments, as indicated below:—

(i) Rajasthan with IDPL

(ii) Karnataka with HAL

(iii) Maharashtra with HAL

Government has been laying emphasis on the promotion of R&D activities and utilisation thereof by the industry. Several steps have been taken in this direction. Governmen has also decided to exempt from the licensing provisions any capacity established on the basis of technology developed by a National Laboratory, except for those falling within the purview of MRTP or FERA. The Hathi Committee has also considered this aspect and made certain recommendations which are being examined.

To meet the increasing demands of medicines, additional facilities for thei; production would need to be set up within the country and proposals from both the private and public sector units are considered and approved on merits.

मुगलसराय स्टेशन पर कमीशन पर काम करने वालों से अभ्यावेदन

7. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को पूर्वी रेलवे के मुगलसराय स्टेशन पर कमीशन पर काम करने वाले फेरीवालों, विक्रेताओं, "रिक्त स्टाल" वालों आदि से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) कमीशन पर काम करने वाले वेंडरों और स्टाल वालों ने नियमित रेल कर्मचारियों के रूप में समहित किये जाने के लिए अभ्यावेदन किया है।

(ग) कमीशन पर काम करने वाले वेंडर और स्टाल वाले रेल कर्मचारी नहीं है। उनके द्वारा की गयी बिक्री पर उन्हें कमीशन मिलता है।

कमीशन पर काम करने वाले वेंडरों को अन्य लोगों के साथ-साथ खान-पान तथा अन्य विभागों में श्रेणी चार की रिक्तियों में नियमित रूप से समहित किये जाने का पहले ही पात्र बना दिया गया है।

रेलवे आरक्षण गिरोह (रेल रिजर्वेशन रेकेट)

8. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी, 1978 में "रेल रिर्जवेशन रेकेट" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न रेलवे आरक्षण स्थानों पर, जहां-जहां पर गिरोह बड़े पैमाने पर सक्रिय है; इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल गाड़ियों में स्थानों को घेरने के सम्बन्ध में अनाधिकृत एजेंटों और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा अपनाए जा रहे भ्रष्ट आचरणों पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं/किये जा रहे हैं :—

(i) नयी गाड़ियां चलाकर वर्तमान गाड़ियों की वहन दूरी में वद्धि करके, उनके चालन क्षेत्र में विस्तार करके, साप्ताहिक/सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाकर तथा यातायात का परिवहन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मार्गों पर विशेष अवकाश गाड़ियां चलाकर मांग और प्रति पूर्ति के बीच अन्तर कम करने के प्रयास किये जाते हैं।

(ii) असामाजिक तत्व गाड़ियों में स्थानों को न रोकने पायें तथा वास्तविक यात्रियों को काफी पहले अपनी रेल यात्रा की योजना बनाने के लिए अधिक विकल्प देने के उद्देश्य से सभी स्टेशनों पर सभी गाड़ियों से अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 6 महीने कर दी गयी है।

(iii) यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रमुख स्टेशनों/आरक्षण केन्द्रों पर अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां, आरक्षण काउंटर, आदि खोलकर आरक्षण प्रक्रिया और व्यवस्था सरल और कारगर बना दी गयी है।

(iv) आरक्षण के सम्बन्ध में कदाचार में लगे असामाजिक तत्वों और रेल कर्मचारियों का पता लगाने के लिए धोखा-धड़ी निवारक दस्तों, सतर्कता संगठनों, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल की मदद से छापे मारने के काम में तेजी लायी गयी है। इन मामलों में सुधार करने के लिए अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। जहां कहीं संभव होता है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भी सहायता ली जाती है।

(v) असामाजिक तत्वों के भ्रष्ट और अनियमित कार्यकलापों पर निरन्तर निगरानी रखने तथा इस बुराई पर नियंत्रण रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करने और प्रभावकारी उपाय अपनाने के लिए रेल प्रशासनों को सावधान कर दिया गया है।

दिल्ली-आगरा रेल मार्ग का विद्युतीकरण

9. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-आगरा रेलमार्ग के विद्युतीकरण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य किस तारीख तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दिल्ली-आगरा खंड के विद्युतीकरण का काम अभी भी विचाराधीन है।

गियोवेनोला बिन्नी लिमिटेड

कोचीन द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

10. **श्री रामदेवी राम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गियोवेनोला बिन्नी लिमिटेड, कोचीन, केरल द्वारा कम्पनी की सामान्य वार्षिक बैठक नहीं बुलाई जा रही और न ही इसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनियों के पंजीयक के पास समुचित लेखे दायर किये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी का शेयर रजिस्टर भी ठीक प्रकार से नहीं रखा जा रहा है और इससे कम्पनी के विदेशी शेयर धारियों की संख्या व अन्य ब्यौरों का ठीक से पता नहीं चलता;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) और (ख) के ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) मामले की जांच के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ) कम्पनी ने समय पर 31-3-1976 को अन्त हुए वर्ष के लिए बैलेन्स शीट और लाभ हानि खाते को और 30 सितम्बर, 1976 तक बनाए गए वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत कर दिया। कम्पनी को 30 दिसम्बर, 1977 तक वार्षिक साधारण बैठक को करने का समय दिया गया क्योंकि कम्पनी ने यह निवेदन किया था कि 23-3-1977 से 18-9-1977 के समय मध्य हड़ताल/तालाबन्दी के कारण काम ठप्प था। कम्पनी ने 31-3-1977 की बैलेन्स शीट और लाभ-हानि लेखे के लिये बढ़ाई गई तारीख अर्थात् 29 जनवरी, 1978 तक इसे प्रस्तुत नहीं किया है। कम्पनी को 28 फरवरी, 1978 तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी है। यदि आवश्यक हुआ तो उल्लंघनों के लिए कम्पनियों के रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। तथापि यह सूचित किया गया है कि कम्पनी का शेयर रजिस्टर उचित रूप से रखा जा रहा है।

कन्नानोर और चिराक्कल रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

11. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कन्नानोर जिले के रेलवे प्रयोक्ताओं से अभ्यावेदन मिला है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि कन्नानोर और चिराक्कल रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध की जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) कण्णनर और चिरक्कल स्टेशनों पर जिन सुविधाओं की मांग की गयी है वे इस प्रकार :—

(i) **कण्णनर** : स्टेशन इमारत के ढांचे में परिवर्तन, प्लेटफार्म के दोनों तरफ पूरी छत डालने की व्यवस्था और एक ऊपरी पैदल पुल का निर्माण।

(ii) **चिरक्कल** : जयन्ती जनता एक्सप्रेस जैसी तेज गाड़ियों द्वारा सभी रेलों को पार्सल भेजने की सुविधाएं, वर्तमान प्लेटफार्म को ऊंचा करना और वर्तमान पहुंच मार्ग को पक्का करना।

(iii) **गाड़ी सुविधाएं** : मंगलूर-शेरुवण्णूर लिंक एक्सप्रेस को फिर से चलाना, मंगलूर से हवड़ा तक एक सीधी गाड़ी चलाना, मलाबार एक्सप्रेस तथा वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का डीजलीकरण, 62 कण्णनर-कोयम्बटूर सवारी गाड़ी को कासरगोड या पय्यनूर तक बढ़ाया जाना, 533 चेरुवत्तूर-मंगलूर सवारी गाड़ी को कण्णनर तक बढ़ाना और मंगलूर से कण्णनर तक एक गाड़ी चलाना ।

(ग) कण्णनर स्टेशन पर सभी आधारभूत यात्री सुविधाओं की व्यवस्था मौजूद है । वर्तमान सुविधाओं का विस्तार करने, स्टेशन इमारत के ढांचे में परिवर्तन करने की योजना रेल उपयोगकर्त्ता सुविधा समिति के अनुमोदन से चरणबद्ध तरीके से बनाई जायेगी बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। प्लेटफार्म पर 1417 वर्ग मीटर में छत मौजूद है तथा अन्य 183 वर्ग मीटर में छत डालने का काम आरम्भ किया जा रहा है। वर्तमान प्लेटफार्म 557 मीटर लम्बा है जो यात्री गाड़ियों के लिए पर्याप्त समझा जाता है। इस स्टेशन पर एक नये ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है।

चिरक्कल : यह इकहरी लाइन वाला फ्लैग स्टेशन है और कोई तेज गाड़ी यहां नहीं रुकती । इस प्रकार तेजगाड़ियों द्वारा पार्सल यातायात भेजने का प्रश्न नहीं उठता। मानदण्डों के अनुसार ऐसे स्टेशनों पर रेल स्तर के प्लेटफार्मों की व्यवस्था की जाती है जो वहां पहले से ही मौजूद है। वाहन यातायात बहुत कम होने के कारण पहुंच मार्ग को पक्का करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

सप्ताह में दो बार चलने वाली 83/84 **क्षेरुदनूर**-मंगलूर लिंक एक्सप्रेस का चलना बरकरार रखा गया है और 131/82 जयन्ती जनता एक्सप्रेस और 81 जयन्ती जनता एक्सप्रेस/मेल द्वारा एक सीधे जाने वाले यात्री डिब्बे की व्यवस्था की गयी है और 13/14 जनता एक्सप्रेस और बम्बई वी०टी० और मंगलूर के बीच चलने वाली 27/28 वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में अन्य दो डिब्बे लगाने की व्यवस्था की गयी है। अन्य मांगों को फिलहाल औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक नहीं पाया गया है। लेकिन, 29/30 मलाबार एक्सप्रेस में दो बोगियां और बढ़ा दी गयी हैं।

मध्य तथा पश्चिम रेलवे की उपनगरीय समय सारणियों के हिन्दी संस्करण

12. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रेल** मंत्री बम्बई की उपनगरीय रेलगाड़ियों की समयसारणी के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 311, दिनांक 15 नवम्बर, 1977 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे की उपनगरीय रेल गाड़ियों की समय सारणियों के हिन्दी प्रकाशन की स्थिति की पुनरीक्षा के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं; और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) यदि अभी तक कोई उपाय नहीं किये गये हैं तो उसके कारण क्या हैं और उसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारयण) : (क) और (ख) मध्य और पश्चिम रेलों के बम्बई क्षेत्र की उपनगरीय समय सारणियों के अगले संस्करण हिन्दी में भी प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर सीकाकुलामा रोड पर मजदूरों की छंटनी

13. **श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में सिकाकुलामा रोड पर अनेकों मजदूरों को छंटनी के नोटिस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो मजदूरों की संख्या क्या है और नोटिस कब तक दिया गया था और वह कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं;

(ग) उस क्षेत्र में छंटनी नोटिस जारी करने के पश्चात् कितने नये मजदूर भर्ती किये गये हैं ;

(घ) नये मजदूरों की भर्ती किस कारण की गई हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार छंटनी किये गये मजदूरों को नये क्षेत्रों में काम देने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 5-1-1978 से 18 दिन की अवधि के लिए 63 नैमित्तिक श्रमिकों को एक विशिष्ट कार्य के लिए लगाया गया था । काम पूरा हो जाने पर उन्हें 23-1-1978 से बर्खास्त कर दिया गया था।

(ग) और (घ) नये नैमित्तिक श्रमिकों को नहीं लगाया गया।

(ङ) छंटनी किये गये नैमित्तिक श्रमिकों को उनकी वरिष्ठता और उस क्षेत्र में शुरू किये जाने वाले किसी नये काम की आवश्यकताओं के अनुसार फिर से लगा लिया जाता है।

बड़े औद्योगिक घराने

14. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सर्वोच्च 100 बड़े औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों में, उद्योगवार उनकी पूंजी में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26(2) के अन्तर्गत पंजीकरण पर आधारित, संलग्न विवरण पत्र 1 में उन 81 औद्योगिक घरानों, जिनके एक या अधिक उपक्रम, अधिनियम की धारा 20(क)(1) या (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं तथा 18 वृहद स्वतन्त्र उपक्रमों, जो अधिनियम की धारा 20 (क)(1) के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं, के नामों की पूर्ण सूची दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1520/78]

(ख) 45 औद्योगिक घरानों, जिनकी परिसम्पत्तियां 1975 में 50 करोड़ रु० या इससे अधिक थीं, की 1972 व 1975 में कुल परिसम्पत्तियों द्वारा मापित पूंजी की बाबत सूचना उपलब्ध है, तथा विवरण पत्र 2 में प्रदर्शित है। 20 शीर्षस्थ घरानों की, 1972, 1973, 1974 व 1975 की कुल परिसम्पत्तियों की बाबत ब्यौरे, दिनांक 20 दिसम्बर, 1977 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 503 के भाग (ख) के उत्तर में दिये गये हैं।

निर्वाचन संबंधी विधि में सुधार

15. **श्री यशवंत बोरोले :**
श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला :
श्री उग्रसेन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री निर्वाचन संबंधी सुधार के प्रस्तावों के बारे में 15 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्यांक 36 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्वाचन संबंधी विधि में व्यापक सुधार कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ख) इन सुधारों का क्या स्वरूप है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) निर्वाचन विधि में संशोधनों के प्रस्तावों की अभी भी जांच की जा रही है। इन प्रस्तावों का गंभीरता के साथ अध्ययन और उन पर सावधानी से विचार करना आवश्यक है, अतः सरकार को इस मामले में विनिश्चय करने में कुछ और समय लगेगा।

(ख) ये सुधार स्वतन्त्र, निष्पक्ष और निर्बाध निर्वाचन सुनिश्चित करने की दिशा में होंगे और ये अन्य बातों के साथ निर्वाचनों में शासकीय प्राधिकार और तन्त्र के दुरुपयोग को रोकने, निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण और धन शक्ति को हटाने, निर्वाचन अर्जियों को शीघ्र निपटाने, निर्वाचन व्यय कम करने, निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन बनाए रखने, आदि के लिए कार्यवाही करने के संबंध में होंगे।

फिरोजपुर और अमृतसर के बीच रेल मार्ग

16. **श्री महेन्द्र सिंह सायनवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, फिरोजपुर और अमृतसर को माखू और तरन्ता (तरन तारन) बरास्ता हरिके पट्टन के बीच थोड़ी दूरी के रेल मार्ग द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) क्या कपास, धान और गेहूं की फसल को उठाने और देश में उपभोक्ता केन्द्रों तक उन्हें पहुंचाने के हित में फाजिल्का को अबोहर के साथ रेल मार्ग द्वारा जोड़े जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) हरिके पत्तन के रास्ते मखू से तरन तारण तक छोटी दूरी की रेलवे लाइन द्वारा फिरोजपुर और अमृतसर को मिलाने अथवा फाजिल्का को अबोहर के साथ जोड़ने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

एल-बेस की नीति

17. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि उद्योग में एक विशिष्ट वर्ग को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से समय-समय पर एल-बेस की नीति में तोड़-मरोड़ करने में निहित स्वार्थ वाले अधिकारियों द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं की ओर विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा उनका ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या कोई जांच की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिसम्बर, 1977 में 5 संसद सदस्यों ने निम्नलिखित मुद्दों पर तथ्यों का पता लगाने के लिये जांच करने पर जोर दिया था :—

(i) समस्त शुल्कों आदि का भुगतान करने के पश्चात् यदि सरणीबद्ध एजेंसियों को एल बेस की लागत 500 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ती है और एजेंसी द्वारा उसके लिये प्रति किलोग्राम 650 रुपये मूल्य लिया जाना है तो उस एजेंसी को इतना बड़ा लाभ कमाने की अनुमति क्यों दी जाती है और उपभोक्ताओं में क्लोरमफेनीक्ल को इतना लोकप्रिय क्यों बनाया जाता है।

(ii) क्या मैसर्स मैक लेबोरेटरीज प्रा० लि० को अधिक लाभ पहुंचाने के लिये मूल्यों में बनावटी वृद्धि की गई है, क्योंकि मैक लेबोरेटरीज के बारे में यह रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने आई टी सी नीति के अनुसार निर्यात गृहों के अपने निर्यात के बदले लगभग 50 मी० टन एल-बेस की खरीद का निर्णय कर लिया है और उनके द्वारा एक इटली की फर्म के साथ निर्यात गृह की ओर से खरीद का निर्णय करने के तुरन्त पश्चात् मंत्रालय ने एल-बेस को आयात-निर्यात सम्बद्ध सूची में शामिल कर दिया था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य फर्में निर्यात गृहों के माध्यम से एल-बेस का अधिक मात्रा में आयात न कर सकें ?

(iii) अन्तिम उत्पाद, अर्थात्, क्लोरफैनीकल पावडर का मूल्य बढ़ाने से कलकत्ता की फर्म डाई-सी-कैम को उनके पास स्टाक से कितना लाभ हुआ जिसको उन्होंने सरणीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से पहले से हो निर्धारित 524 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचना था ?

(4) क्या मूल्यों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से बेतुके निवेश की आवश्यकता और परोक्ष रूप से लघु पैमाने के एककों को कुचलने के कारण सरणीबद्ध एजेंसियों द्वारा एल-बेस का कम उठान हुआ है ?

(ख) मामले की जांच की गई है और उपरोक्त (क) के प्रत्येक प्रश्न के बारे में सही **स्थिति नीचे** दर्शायी गई है :

(i) एल-बेस का बिक्री मूल्य 650 रुपये प्रति किलोग्राम पर निर्धारित करना एक विवेकशील निर्णय है ताकि ऐसे एककों के अप्रत्याशित लाभ को समाप्त किया जा सके, जो पहले एल-बेस को 422 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर उसे एक ही प्रक्रिया में क्लोरमफेनीकल में परिवर्तित करने में लगे हुए थे और उसे 586 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे थे। एल-बेस का बिक्री मूल्य 588 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने से ऐसे एककों को क्लोरमफेनीकल के 586 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिसूचित बिक्री मूल्य के संदर्भ में उचित लाभ प्राप्त हो जाता है। इस निर्णय का एक और दीर्घ-कालीन उद्देश्य यह है कि क्लोरमफेनीकल के उत्पादन को प्रारंभिक स्तर से प्रोत्साहन दिया जाय।

एल-बेस को 650 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से स्टेट कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० को जो अधिक लाभ होगा उसे उनके पास नहीं रहने दिया जायेगा बल्कि उसे वर्ष 1978-79 के लिये विभिन्न सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के बिक्री मूल्य निर्धारित करते समय समा-योजित किया जायेगा ।

(ii) आर ई पी लाइसेंसों पर आयातित प्रपुंज औषधों के लिये डी जी एच एस के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के अनुसार 15-12-77 तक एक निर्यात गृह द्वारा 1977-78 की आई टी सी नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत 2.3 मी० टन एल-बेस का आयात किया गया था। नीति के इस प्रावधान में

27-9-77 को संशोधन किया गया था ताकि आर ई पी लाइसेंसों पर एल-बेस के आयात की अनुमति तभी दी जाय जब उसके बदले क्लोरमफेनीकल अथवा उसके सूत्रयोगों का निर्यात किया जाय। तथापि आर ई पी लाइसेंसों पर एल-बेस के आयात के लिये यदि 27-9-77 से पूर्व कोई अपरिवर्तनीय साख पत्र खोला गया हो तो एल-बेस का आयात 27-9-77 के बाद भी संभव है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या मैसर्स मैक लेबोरेटरीज प्रा०लि० ने एल-बेस के आयात के लिये ऐसी कोई व्यवस्था की है।

(iii) मैसर्स डाई सी कैम से यह पता लगाया गया है कि जब 4-4-76 को क्लोरमफेनीकल के बिक्री मूल्य को 524.60 रुपये से 586 रुपये प्रति किलोग्राम में संशोधन किया गया था उस समय उनके पास केवल 702 किलोग्राम क्लोरमफेनीकल का स्टाक जमा था जिसको उन्होंने बाद में 524.60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया था न कि 586 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिक मूल्य पर।

(iv) कुछ लघु पैमाने के एककों ने उनको आवेदित एल-बेस का उठान नहीं किया है अथवा उन्होंने सी पी सी को अस्थगित प्रेषण के लिये कहा है।

कुकिंग गैस सिलिण्डरों की जांच

18. **श्री रोबिन सेन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैस एजेंसियों द्वारा ग्राहकों को सप्लाई किये जाने से पूर्व गैस सिलिण्डरों में भरी हुई कुकिंग गैस की वास्तविक मात्रा की जांच करने का प्रबन्ध किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो गैस सिलिण्डर ग्राहकों को सप्लाई किये जा रहे हैं, उनमें गैस कम होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं की शिकायतों को तत्काल दूर करने से संबंधित कार्रवाई करने हेतु तेल कम्पनियों को हिदायतें दे दी गई हैं। तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) के भरण संयंत्रों पर सिलिण्डरों को उन गैस भरने वाली मशीनों के वजन के अनुसार भरा जाता है। सिलिण्डरों को फुटकर विक्रेताओं के पास भेजने से पूर्व उनमें गैस भरण सम्बन्धी यथान्वितता की पूरी जांच की जाती हैं और उन्हें मोलबन्द किया जाता है। विक्रेताओं के शो रूम और गोदामों में भी इनकी जांच की जाती है। साथ ही खाली सिलिण्डरों के वजन का उल्लेख उनके ढांचे (बाडी) पर है। सिलिण्डर में भरी गई खाना पकाने की गैस से वजन की जांच उसे तोल कर और उसमें से धड़े के वजन को निकाल कर की जाती हैं यदि इस आशय की इच्छा जाहिर की जाये तो सिलिण्डरों का वजन ग्राहक की उपस्थिति में विक्रेता के शो रूम/गोदाम में किया जा सकता है।

बहुराष्ट्रीय निगमों/कम्पनियों की सहायक कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

19. **श्री बसंत साठे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने बहुराष्ट्रीय निगमों/कम्पनियों द्वारा संचालित सभी 171 भारतीय सहायक कम्पनियों और उनकी शाखाओं द्वारा 1974-75 से 1977-78 तक की अवधि में किये गये कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक एकत्र की गई जानकारी का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) (ख) तथा (ग) बहुराष्ट्रीय निगमों/कम्पनियों को भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित सूचना संग्रह की जा रही है। संग्रह के पूरा हो जाने के बाद ही विस्तृत विवरण जाना जायेगा। अग्रिम कार्यवाही का निर्णय भी केवल उसी स्तर पर हो सकेगा।

Supply of Petroleum Products to the Farmers of Saurashtra

20. Shri Dharmasinhbhai Patel : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmes of Saurashtra region in Gujarat State had to face great difficulties in getting crude oil, Kerosene oil, High speed Diesel, Mobile oil etc., in time and in full quantity during Rabi season and when and from which places representations in this regard have been received and the contents of such representations;

(b) arrangements made by Government to supply crude oil, kerosene oil, High Speed Diesel and Mobile oil to dealers and agents of Sourashtra region from Koyali-Sabarmati so that dealers and farmers could get them in time; and

(c) action being taken to make the supplies available from Koyali as the farmers have to face great difficulties in getting their supplies from Gandhidham ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a), (b) and (c) No crude oil allocation is made to the States. In the case of Kerosene oil the despatches of the product during October-December 1977 to Gujarat State were more than the allocations made for the State. No complaint has been received about inadequate supply of high speed diesel oil but complaints were received about inadequate supply of light diesel oil in Saurashtra area from the Collectors of Junagadh, Bhavnagar and Amreli during December 1977 and beginning of January 1978. Secretary, Civil Supplies Govt. of Gujarat, had called a meeting of the oil industry at Ahmedabad on 13-1-78 to take stock of the situation. The actual sales of LDO for the period October 1977 to January 1978 have been higher than that anticipated earlier. During December 1977 there was a marginal shortfall due to delay in the arrival of tankers. However, this shortfall was made up in January 1978. It is the normal practice to supply as much quantity of the product as possible from Koyali Refinery to avoid hardships to farmers. The balance required is supplied from Gandhidham.

Withdrawal of Air-conditioned Coaches

21. Shri Ugrasen : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have withdrawn Air-conditioned passenger coaches from rail routes and if so, whether any study has been conducted to determine its impact on railway revenue and passengers' reaction thereto; and

(b) the future policy of Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) During this year, first class air-conditioned accommodation has been withdrawn from 305/306 Howrah-Asansol Express, 41/42 Bombay-Viramgam Express, 161/162 Tata Nagar-Amritsar Express, and 11/12 Agra Fort-Kathgodam Express due to poor patronisation and for want of adequate number of air-conditioned coaches. The released room has been utilised for augmentation by first class/second class coaches and therefore there is no adverse impact on the railway revenue.

(b) No first class air-conditioned coaches are proposed to be manufactured on additional account.

Thefts on Trains in Kotah and Sawai Madhopur Areas

22. Shri Chaturbhuj : Will the Minister of **Railways** be pleaesd to state :

(a) whether Government have traced out the gang responsible for committing repeated thefts and dacoities on the passenger trains recently in the areas of Kotah, Sawai Madhopur, Bharatpur etc. in Rajasthan; and

(b) the details thereof and the measures being taken to prevent such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) In the section between Kota and Sawai Madhopur on Western Railway, two cases of thefts were reported on 28-8-77 and 23-12-77. Investigation of these cases by Government Railway Police led to the arrest of five persons viz. Vishwanath of Hyderabad and his associates. In the theft case of 28-8-77, the stolen property was partially recovered. Government Railway Police has intensified patrolling of the affected section and is providing armed escorts to passenger trains in the affected section.

Catering Contracts given to S.C. and S.T.

21. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of small and big catering contracts given in each division of the Western Railway;

(b) whether 10 per cent of contracts in respect of catering and other stalls have been given to the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the rules in this regard; if not the reasons therefor;

(c) the number, names of persons and the addresses of those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been given small and big contracts in all the Divisions of the Western Railway at present; and

(d) the number of small and big contractors whose contracts were renewed three or four times.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The number of big (Restaurants, Refreshment Rooms, Dining Cars etc.) and small (stalls & vending) catering contracts on Western Railway, Division-wise is indicated below :

Division	Big catering contracts	Small catering contracts
Bombay Central	5	288
Baroda	8	359
Ratlam	5	140
Ajmer	4	260
Jaipur	4	188
Rajkot	7	176
Bhavnagar	4	134

(b), (c) & (d) 56 contracts have been given to persons belonging to the Scheduled Castes and 12 to persons belonging to the Scheduled Tribes. The information regarding percentage of contracts given to persons belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe and parts (c) & (d) is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

आसाम तेल कम्पनी का अधिग्रहण

24. श्री प्रद्युमन बाल :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम आयल कम्पनी के अधिग्रहण तथा बर्मा आयल कम्पनी की 50 प्र०श० साम्यपूंजी के अधिग्रहण के लिए चल रही बातचीत इस समय किस स्थिति में है; और

(ख) क्या इस बीच मुआवजे के प्रश्न और भुगतान पद्धति के बारे में विचार कर लिया गया है, और यदि हां, तो क्या तय किया गया है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तथा (ख) मुआवजे की राशि तथा भुगतान पद्धति सहित असम तेल कम्पनी को अधिग्रहण करने से संबंधित बातचीत चल रही है।

दक्षिणी रेलवे में हड़ताल

25. श्री के० मालतेकर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के क्या कारण थे जिससे हाल में मदुरै के दक्षिण में संपूर्ण रेल यातायात अस्त व्यस्त हो गया था, और

(ख) हड़ताल की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार ने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क) अतिरिक्त महगाई भत्ते की जमा राशियों की रोकी गयी राशि और बाढ़ अग्रिम का भुगतान न किये जाने के विरोध में जिसके लिए वे सामान्यतः पात्र नहीं थे।

(ख) 17 जनवरी और 24 जनवरी, 1978 के बीच की विभिन्न तारीखों को स्थिति सामान्य हो गयी थी। कर्मचारियों को यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि जमा राशियों का समय से पहले भुगतान केवल राज्य सरकार द्वारा घोषित विशिष्ट क्षेत्रों में तूफान/बाढ़ से पीड़ित कर्मचारियों के मामले में अनुमेय है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मतदान की आयु का कम किया जाना

26. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों के निर्वाचनों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी इस संबंध में ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) समाचारपत्रों में छपी खबरों के अनुसार बिहार और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भी पंचायतों के निर्वाचनों में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर के 18 वर्ष करने का विनिश्चय किया है। किन्तु इस संबंध में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

स्वदेशी और आयातित मोम के बीच लागत में अन्तर

27. **श्री राम सागर :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या आल इंडिया पेपर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स मेन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि स्वदेशी मोम के लागत मूल्य अर्थात् ढ़ाई रुपये प्रति किलो ग्राम और आयातित मोम के मूल्य जो लगभग तेरह रुपये प्रति किलो ग्राम बैठता है, के बीच अन्तर को समाप्त किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में सरकार का वास्तविक प्रयोक्ताओं को क्या राहत देने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) (ख) तथा (ग) : स्वदेशी तथा आयातित मोम की लागत में असमानता को दूर करने के लिए अखिल भारतीय कागज तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्माताओं के संघ से प्राप्त आवेदन पत्रों सहित पेराफिन मोम के वास्तविक उपभोक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें बहुत सी समस्यायों के सम्मिलत होने के कारण इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये कुछ और समय लगेगा।

Appointment of former Judges to serve on Commissions

28. **Shri Jagdish Prasad Mathur :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs be pleased to state :**

(a) the present number of former judges of Supreme Court and High Courts, appointed to serve in the Commissions; and

(b) whether Government think it proper to change their policy in regard to such appointments ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No such change is being contemplated at present.

Railway Line Between Ratlam and Banswara

29. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the action that remains to be taken by Government in regard to the survey conducted for construction of new railway line between Ratlam and Banswara (Madhya Pradesh, Rajasthan).

(b) whether the survey for the said railway line had been conducted twice and if so the reasons therefor and for the delay taking place in this connection ;

(c) whether the previous survey-site had to be changed because of some dam; and

(d) the time by which a final decision will be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) : Preliminary engineering and traffic surveys for a broad gauge railway line between Ratlam and Banswara with possibility of its extension to Dungarpur have been completed in 1977. It is true that the alignment had to be altered to avoid a dam site. The two alignments as noted below were surveyed by the Survey Team :

(i) Ratlam to Banswara via Shivgarh, Bajana with a length of 78.76 Kms., Estimated to cost Rs. 24.55 crores, and

(ii) Ratlam to Banswara via Sailana, Danpur, Sarwan with a length of 95.13 Kms., Estimated to cost Rs. 34.26 crores.

The cost of construction in both the cases is very high due to hilly terrain involved and the line is not expected to offer sufficient traffic to justify its immediate construction and the return on capital investment has been found to be negative.

Prices of Gas Cylinders

30. Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that the price of Gas cylinders is being charged in an arbitrary manner;

(b) if so, the reaction of Government thereon; and

(c) whether Government will make available gas cylinders to consumers at reasonable price along with the gas connections ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Prices of cylinders have been fixed by Government for different locations. When gas connections are given to new customers, the same price of cylinders is charged along with other charges which apply to new connections.

Total Value of Imported Medicines

31. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and ertilizers** be pleased to state :

(a) the total value of medicines imported during 1976-77 and till the end of 1977;

(b) the names of these medicines; and

(c) whether these medicines cannot be manufactured indigenously ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) :

(a) The total value of bulk drugs, finished formulations and drug intermediates/chemicals imported during 1976-77 is about Rs. 54.5 crores. During the period April-November 1977 the value of such imports is about Rs. 53 crores. Data for December 1977 is not yet available.

(b) A list of major drug items whose imports took place during 1976-77 for a value exceeding Rs. 10 lakhs is attached.

(c) Items like Streptomycin, Semi-Synthetic Penicillins, Chloroquin, Metronidazole, Analgin, Amidopyrine, Piperazines, Vitamin B1, B2, B6, Sulpha drugs, Tetracyclines, Erythromycin, Gentamycin Sulphate, Doxycycline, Griseofulvin, Pentothenate, Phenobarbitone, etc., are on the current and further production programmes of units in the public sector. Sufficient capacity in the private sector has also been created for Oxy-phenylbutazone.

The production of essential drugs like Ampicillin, Sulphamethaxazole, Diloxamide Furoate, Chlorpheniramine Meleate, Calcium Pentothenate, Ethambutol, Frusemide, and Nitrofurans has started in the country during the years 1975, 1976 and 1977. It is thus observed that the range of self-sufficiency in the field of drugs and pharmaceuticals in the country is steadily increasing. However, the nature of the drug industry is such that large amount of obsolescence takes place; and there is always a need to keep a constant vigil to get over the situation for bringing in newer items of drugs. Efforts are, however, being made in the country to develop a research base with a view to developing new drugs so as to meet the increasing demand in the country for drugs and avoid dependence on imports to the maximum extent possible.

LIST

PARTLY INDIGENOUS

1. Analgin
2. Oxyphenylbutazone
3. Indomethacin
4. Amidopyrine
5. Piperazine Hexahydrate
6. Chloramphenicol
7. Tetracycline
8. Ampicillin
9. Streptomycin Sulphate
10. Griseofulvin
11. Erythromycin
12. Neomycin
13. Chlorpheneramine Maleate
14. Ethambutol Hcl
15. Chloroquin Salts
16. Frusemide
17. Dexamethasone
18. Prednisolone
19. Ephedrines
20. Vitamin B1
21. Vitamin B2
22. Pantothenates
23. Ethisterone
24. Nor-Ethisterone
25. Alkaloid Ergot
26. Sulphamethoxazole
27. Metronidazole
28. Lynoestronol
29. Poliomylitis Vaccine
30. dianobal.

TOTALLY IMPORTED

1. Ibuprofen
2. Dextropropoxyphene & its salts
3. Doxycycline
4. Framycetin Sulphate
5. Gentamycin Sulphate
6. Cycloserine D Tartrate
7. Rifampicin
8. Dimethindone Maleate
9. Clofazimine (Lamperene)
10. Ethionamide
11. Pyrazinamide
12. Primaquin Phosphate
13. Methyl Dopa
14. Polyvinyl Pysolidone (PVP)
15. Aminophylline
16. Theophylline
17. Triamcinolone and its salts
18. Salbutamol
19. Vitamin B6
20. Oxytocin
21. Thioridazine
22. Sulphamerazine
23. Sulphamethoxypyridazin
24. Sulphadimethoxine
25. Iodine
26. Pyrthioxine
27. Fenfluramine

कालटैक्स तेल शोधक कारखाने का हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ विलय करने का निर्णय

32. **श्री के० प्रधानी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काल्टैक्स तेल शोधक कारखाने को हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के साथ विलय करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र की इन दो फर्मों का विलय सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन फर्मों में लगे कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा ?

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विलय करने के आदेश के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। इन कम्पनियों में नियुक्त किये गये कर्मचारी विलय की गई कम्पनी कर्मचारी बने रहेंगे।

कालटैक्स ग्रायल रिफाइनरीज विशाखापत्तनम का विस्तार

33. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम (ग्रान्ध्र प्रदेश) स्थित काल्टैक्स ग्रायल रिफाइनरी (इंडिया) लिमिटेड का विस्तार करके इसकी चालीस लाख टन उत्पादन क्षमता करने ग्रौर इसके साथ पेट्रो-रसायन समूह सम्बद्ध करने सम्बन्धी योजनायें बनाई हैं ;

(ख) क्या सरकार को ग्रांध्र प्रदेश राज्य विधान सभा के 37 सदस्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुग्रा है; ग्रौर

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1978--83 की योजना ग्रवधि के दौरान ग्रतिरिक्त तेल साफ करने की क्षमता सम्बन्धी ग्रावश्यकता पर विचार करने के लिए एक ग्रध्ययन दल का गठन किया गया है ग्रौर ग्रध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) कि काल्टैक्स ग्रायल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमि० को किसी ग्रन्य निगम के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिये । परन्तु इसे एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में बनाये रखा जाना चाहिये;

(2) कि विशाखापत्तनम स्थित काल्टैक्स तेल शोधक कारखाने की तेल साफ करने की क्षमता का 4 मिलियन मी० टन तक विस्तार किया जाना चाहिये ग्रौर उसके पेट्रो-रसायन काल्टैक्स से सम्बद्ध किया जाये; ग्रौर

(3) कि मुख्य-कार्यालय को बम्बई से विशाखापत्तनम में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिये ।

पिछड़े राज्यों में रेल लाइनें

34. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े राज्यों में नई रेल लाइन बिछाने पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रैल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) ग्रौर (ग) देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण संबंधी एक नयी नीति सरकार के विचाराधीन है । ज्योंही इस नीति को ग्रन्तिम रूप दे दिया जायेगा, संसद में घोषणा कर दी जाएगी ।

संवैधानिक संशोधनों संबंधी विधेयक

35. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक के उस प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और तैयार कर लिया है जिसमें संविधान के 42 वें सशोधन अधिनियम के यदि सब नहीं तो अधिकांश ऐसे उपबंध समाविष्ट हैं जिनका पूरी तौर से निरसन किया जाना है और/या जिनमें उपयुक्त और ऐसे उपांतर किए जाने हैं जिन पर मौटे तौर पर सहमति हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विधेयक को संसद के चालू बजट सत्र में इस पर विचार किए जाने और इसे पारित किए जाने के लिये पुरःस्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उसका मुख्य संकेत क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे संवैधानिक परिवर्तनों/प्रस्तावों के प्रारूप को सामान्य नागरिकों को उनके विचारार्थ और टिप्पणियों के लिये उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो किस प्रकार और कब; और

(च) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) संविधान (संशोधन) विधेयक के प्रारूप को विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार का विचार इस विधेयक को संसद् के चालू बजट सत्र में पुरःस्थापित करने का है, तथा आगे का कार्यक्रम राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा।

(ङ) और (च) हाल ही के वर्षों में संविधान में किए गए संशोधनों के सारांश की जनता को भलीभांति जानकारी है, और किए जाने वाले संशोधनों के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव मिले हैं। इन सुझावों पर विचार किया गया है, और सुझाए गए संशोधनों के ब्यौरों की सूचना विभिन्न राजनैतिक दलों को भी दे दी गई है। प्रैस ने भी इन विचार-विमर्श की खबरें छापी हैं। इस संबंध में लोग बहुत अधिक रुचि लेते रहे हैं और वे अपनी टिप्पणियां भेजते रहे हैं।

उर्वरकों की सप्लाई के लिये ब्रिटेन की पेशकश

36. **डा० वसंत कुमार पंडित** । क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री जेम्स कल्हन ने तीन वर्षों में 3 करोड़ पौंड उर्वरक सप्लाई करने की पेशकश की है :

(ख) यदि हां, तो सप्लाई की क्या-क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या देश के लगभग 800 गांव उक्त उर्वरक प्राप्त करेंगे, यदि हां, तो इस वितरण के लिये क्या सिद्धान्त हैं और इसके लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कितने गांवों का चयन किया जायेगा और उनमें से कितने गांव मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों, यथा राजगढ़, विदिशा और गुना के अन्तर्गत आते हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान, भारत को दी जाने वाली यू० के० सहायक अनुदान में से 10 मिलियन पौंड मूल्य की उर्वरक प्रति वर्ष, तीन वर्षों के लिए देने की पेशकश की। उर्वरक के विक्रय से इक्ट्ठी निधि का प्रयोग फर्टिलाइजर एजूकेशनल प्रोजेक्टस के विशष चुने हुए जिलों में कृषि सम्बन्धी विकास पर किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों को उन जिलों में से चुना जायेगा जो कि उच्च क्षमता वाले हों परन्तु उर्वरक की कम खपत करें। योजना के विवरणों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

क्लोरएम्फ़ेनिकौल और एल०-बेस का आयात

37. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लोरऐम्फ़ेनिकौल पाउडर तथा एल०-बेस का बड़ी मात्रा में आयात, जिसके आयात प्रतिपूर्ति नीति के अन्तर्गत पहले ही जारी किये गये विभिन्न साख-पत्रों के कारण देश में आने की संभावना है, एल०—बेस और क्लोरऐम्फ़ेनिकौल के स्वदेशी निर्माताओं को बाध्य होकर उत्पादन बन्द करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस स्थिति का कारण यह है कि आयात करने वाली एजेंसी द्वारा एल०-बेस का 650 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक लागत वसूल की जा रही है हालांकि इस एजेंसी की आयात लागत लगभग 500 रुपये प्रति किलोग्राम है; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यों को कम करने के अपनी घोषित नीति के संदर्भ में इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1977-78 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति में सरणीबद्ध, सीमित और प्रतिबंधित प्रपुंज औषधों को कुछ सीमा तक निर्यातकों द्वारा अर्जित कर ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति दी गई है। चूंकि इससे प्रपुंज औषधों के देशीय उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की संभावना थी, अतः वाणिज्य मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया और 27 सितम्बर, 1977 से औषधों के अलावा अन्य मदों के बदले सरणीबद्ध औषधों के आयात के लिये आर० ई० पी० लाइसेंस जारी करने की सुविधा को वापस लिया गया अब इन आर० ई० पी० लाइसेंसों को तभी जारी किया जायेगा जब यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों सहित औषधों और औषध मध्यवर्ती पदार्थों का निर्यात किया जाय।

आर० ई० पी० लाइसेंसों के बदले एल-बेस के आयात की अनुमति तभी दी जाती है जब क्लोरम-फनीकल/अथवा उसके सूत्रयोगों का निर्यात किया जाय, तथापि 27-9-77 से पूर्व खोले गये अपरिवर्तनीय साख पत्रों पर सरणीबद्ध औषधों के आयात को जारी रखा जा सकता है। अतः भविष्य में आर०ई०पी०

लाइसेंसों पर क्लोरमफैनीकल पाउडर और एल०-बेस का पर्याप्त मात्रा में आयात करने का प्रश्न नहीं उठता। 15 दिसम्बर, 1977 तक बम्बई बन्दरगाह में आर० ई० पी० लाइसेंस पर क्लोरमफैनीकल के आयात की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। केवल 2.3 मी० टन एल०-बेस के आयात की रिपोट मिली है ।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक स्तर से निर्मित क्लोरमफैनीकल पाउडर का अधिसूचित मूल्य कैप्टिव खपत के लिये 558 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरों को बेचने के लिये 586 रुपये प्रति किलोग्राम है । यह रिपोर्ट मिली थी कि देश में अनेक एकक एल०-बेस को क्लोरमफैनीकल में परिवर्तित कर रहे हैं और उसको औषधों के प्रारम्भिक उत्पादन के लिये निर्धारित मूल्य पर बेच रहे हैं । वे एल०-बेस को 422.00 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर तैयार कर रहे थे और इस प्रकार उसे परिवर्तित करके अप्रत्याशित लाभ कमा रहे थे। चूंकि एल०-बेस को क्लोरमफैनीकल में बदलने में एक ही प्रथा की प्रौद्योगिकी युक्त प्रक्रिया काम करती है और उसको प्रारम्भिक स्तर से क्लोरमफैनीकल का उत्पादन स्थिर करने के लिये देश के दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, वांछनीय नहीं समझा गया है, प्रारम्भिक स्तर से क्लोरमफैनीकल के देशीय उत्पादन और एल०-बेस से क्लोरमफैनीकल के उत्पादन के लिये समान मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संबंधित एककों द्वारा एल०-बेस को क्लोरमफैनीकल में परिवर्तित करने से उचित लाभ को सुनिश्चित करने के लिये 650.00 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य निर्धारित किया गया था । स्टेट कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० को एल०-बेस के लिये सी० सी० आई० एण्ड ई० के फार्मूला से अधिक मूल्यों की अनुमति देने में जो अधिशेष होगा उसका वर्ष 1978-79 के लिए सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के मूल्य निर्धारित करते समय समायोजन किया जायेगा ।

एल०-बेस से क्लोरमफैनीकल के मूल्य निर्धारित करने के लिये लागत-व-तकनीकी जांच भी की जा रही है।

एकाधिकर प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम सम्बन्धी समिति के सदस्य

38. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम और कम्पनी अधिनियम में परिवर्तनों का सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति के कितने सदस्य (एक) भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के अध्यक्ष-निदेशक कार्यकारी अधिकारी तथा परामर्शदाता है (दो) उसमें सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योग के अल्पसंख्यक शेयरधारियों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व क्या है; और कम्पनियों के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कम्पनियों से कितना-कितना पारिश्रमिक मिलता है;

(ख) क्या सरकार को समिति में मनोनीत किये गये सदस्यों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सूचना संग्रह की जा रही है और वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) सरकार को विशेषज्ञ समिति में मनोनीत सदस्यों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

Future Transport Requirements

†39. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a long-term plan under consideration of Government to meet the future transport requirements; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) The Railways have prepared a long-term Corporate Plan to meet the demand for rail transport requirements for both passengers and freight traffic, covering a time horizon upto the year 1988-89.

These projections have estimated the demand for rail transport about 1750 million passengers (non-suburban) and 370 million tonnes of originating freight traffic in 1988-89.

Inputs to meet the transport demand have also been identified and the total investment envisaged in the Plan from 1976-77 to 1988-89 has been estimated at Rs. 9,600 crores at 1975-76 prices.

Danger to Taj and other Ancient Monuments

40. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item appearing in the Indian Express dated 20th December, 1977 stating that if the Mathura Oil Refinery is not constructed on the other side of the Taj and the smoke and acidic fumes from the chimney will be turned towards the Taj by the wind and will deface the Taj as well as adversely affect the Bharatpur Bird sanctuary and the ancient and historical monuments; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the recommendations made by the Committee appointed for this purpose ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers : (Shri Janeshwar Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) The Report of the Expert Committee constituted in July 1974 to advise the Government and the Project Authorities on the measures to be taken for keeping the pollution effects of the Mathura Oil Refinery to the absolute minimum has since been received and is under the consideration of Government.

Agreement between India and Soviet Union in the field of Oil Gas Production

41. **Shri Laxmi Narain Nayak :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether an agreement was signed between India and the Soviet Union on 26th December, 1977 for increasing cooperation in the field of oil gas production and if so, the contents thereof;

(b) whether it is a fact that after looking into the working of final development plan of Ankleshwar area, both the parties expressed dissatisfaction; and

(c) the decision taken for making the aforesaid plan a success ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Sh. Janeshwar Mishra) : (a) Pursuant to the joint discussions held between the Soviet delegation and the Oil & Natural Gas Commission (ONGC) in December, 1977, a protocol was signed on 26th December, 1977 on the progress and development of Soviet-Indian cooperation in the field of Petroleum Industry in the public sector of India.

33 LSS/77—4

The protocol envisages further cooperation in the following matters.

(i) geological survey and perspective plans for oil and gas;

(ii) development of oil fields and production of oil;

(iii) setting up of Research Institutes for techniques and technology of driling, and development of oil fields and gas formations;

(iv) geophysical logging equipment/operations;

(v) deputation of specialists; and

(vi) matters relating to delivery of equipment and materials, etc.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

बम्बई हाई में तेल का उत्पादन

42. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में जहां अब प्रतिदिन तेल का उत्पादन किया जा रहा है, के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) तेल और गैस के लिए पाइप लाइनों की कुल संयोजित लम्बाई क्या है और इन पाइप लाइनों के कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बम्बई हाई से अब अशोधित तेल का उत्पादन चार प्लेटफार्मों से जुड़े हुए 16 कुंओं द्वारा किया जा रहा है और 80,000 बेरल प्रति दिन की दैनिक दर प्राप्त कर ली गई है ।

(ख) बम्बई हाई के 'एफ' प्लेटफार्म से युरान टर्मिनल तक प्रत्येक तेल तथा गैस ट्रंक पाइपलाइन की लम्बाई लगभग 205 किलो मीटर होगी। यूरान टर्मिनल से ट्राम्बे तक, तेल तथा गैस प्रत्येक के लिए 24 किलो मीटर पाइपलाइनें बिछाई जायेंगी । इनको मई, 1978 के अंत तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

वस्तुओं के आदान प्रदान के लिये भारत पाकिस्तान करार

43. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच वस्तुओं और पार्सल के आदान-प्रदान के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार कब से लागू होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) करार पर जून, 1976 में हस्ताक्षर किये गये थे । यात्री यातायात 22 जुलाई, 1976 से और माल यातायात 3 सितम्बर, 1976 से शुरू किया गया था ।

भारतीय तेल निगम द्वारा एक अमेरिकी फर्म को पाईप इन्सेक्शन ठेका दिया जाना

44. श्री जी० एन० बनतवाला :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के बिना टेंडर आमंत्रित किये पाइप इन्सेक्शन ठेका एक अमरीकी फर्म को दिया है जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जायेगा; और

(ख) क्या सरकार का इस बारे में समूचे मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का विचार है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सलाया वीरमगम पाइपलाइन (ब्रिशिट स्टील कारपोरेशन) के लिए 28" व्यास की पाइपों के सप्लायरों के उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आई० ओ० सी० द्वारा एक औपचारिक टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया था परन्तु निरीक्षण कार्य पांच पक्षों से—मैसर्स लाइड्स रजिस्टर आफ शिमी, कार्डिक; ब्रिटिश इंस्पेक्शन इंजीनियर, इंगलैंड, ट्यूबस्कोप, पेरिस; बेठको इंस्पेक्शन तथा मैसर्स ए बी एस विश्वव्यापी (तकनीकी सेवा संस्था) प्राप्त तुलनात्मक दरों के आधार पर दिया गया था। ये मैसर्स ए बी एस विश्वव्यापी तकनीकी सेवा संस्था नामक कंपनी को जो कि न्यूयार्क स्थित ए बी एस विश्वव्यापी तकनीकी सेवा इंक की एक शाखा के रूप में इंगलैंड में कम्पनी अधिनियम, 1948 के भाग (1) के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, प्रति सप्ताह 250 मी० टन की औसत उत्पादन दर पर प्रति मी० टन 1.10 पौंड की न्यूनतम दर है। निरीक्षण सम्बन्धी लागत को इंगलैंड–भारत मिश्रित परियोजना अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था।

(ख) जी, नहीं। मैसर्स ए बी एस द्वारा पाइप सम्बन्धी निरीक्षण के विषय पर आई ओ सी की सम्बन्धित फाइलें नवम्बर-दिसम्बर, 1976 के दौरान, इस मंत्रालय के सर्तकता अधिकारी की उपस्थिति में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांची गई थीं। इस सम्बन्ध में इस मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कोई पत्र नहीं भेजा गया था। इसके बाद हमें कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

New Fertilizer Plants during Sixth Five Year Plan

45. Shri Gyaneshwar Prasad Yadav : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal in the Sixth Five Year Plan to set up a new Fertilizer plant in order to meet the shortage of fertilizers; and

(b) if so, the number of such plants to be set up during the Five Year Plan and the States in which these plants would be set up and the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) and (b) Yes, Sir. It is proposed to take up for implementation two large sized nitrogenous fertilizer plants in Maharashtra based on associated gas from Bombay High structure and one plant in Assam based on associated gas from the OIL and ONGO Oil fields in Assam. There is also a proposal for setting up a large sized gas based fertilizer plant in Gujarat. The costs of the two Maharashtra plants and Assam plant are tentatively estimated at Rs. 491 crores and Rs. 171 crores respectively; the cost estimates of the Gujarat

plant are not yet available. Besides, there are proposals for setting up additional fertilizer capacity from the following parties on which decisions are likely to be taken soon :

(Rs. in crores)

Name of project	State in which to be located	Estimated Cost
1. M/s. Indian Explosives Ltd. (Expansion project)	Uttar Pradesh (Kanpur)	65.00
2. M/s. M.P. Agro Morarji Fertilizers Limited	Madhya Pradesh (Jhabua)	18.00
3. M/s. Bihar Caustic and Chemicals Ltd.	Bihar (Rehala)	1.00

विदेशी औषध कम्पनियों को निदेश

46. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :**
श्री शंकर सिंह जी बाघेला :

क्या **पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी औषध कम्पनियों को कुछ निदेश जारी किये थे कि विस्तार के लिये वे "बल्क" औषधियों का उत्पादन बढ़ायें;

(ख) इन विदेशी औषध कम्पनियों ने सरकार के निदेशों को किस सीमा तक स्वीकार किया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं कि ये विदेशी कम्पनियां वास्तव में सरकारी निदेशों के अनुसार कार्य करें;

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) देश में काम कर रही विदेशी औषध फर्मों को कोई ऐसे निदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

तथापि, विदेशी कम्पनियों के विस्तार को नियमन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई चयनात्मक नीति के अनुसार निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) औषधियों के वर्गीकरण का एक निर्देशन तैयार किया गया है जिससे कुछ औषधें केवल सरकारी/भारतीय क्षेत्रों द्वारा एकमात्र निर्माण करने के लिए आरक्षित की जायेंगी;

(ii) केवल सूत्रयोगों के निर्माण के लिए विदेशी फर्मों को आमतौर पर औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किये जाते हैं जब तक कि वे प्रपुंज औषधों के निर्माण से जुड़े हुए न हों ।

(iii) विदेशी फर्मों को कहा गया है कि वे प्रपुंज औषधों का उत्पादन अधिक मूल अवस्थाओं से करें तथा वे अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन का उपयुक्त भाग देश में असम्बद्ध निर्माताओं को उपलब्ध कराने की शर्त के साथ क्षमता विस्तार अथवा नई गतिविधि आरम्भ करने की अनुमति दी जाए ।

(iv) जहां कहीं आवश्यक समझाया गया है वहां पर उपयुक्त निर्यात दायित्व भी लगाये गये हैं ।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

47. **श्री मोहम्मद हयात अली :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के कर्मचारियों द्वारा 7 जनवरी, 1978 से हड़ताल किये जाने के कारण संयंत्र को अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या सरकार ने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के कुछ नेताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया गया है और उनके किस प्रकार के दोष के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र में 7-1-78 से 12-2-78 तक हड़ताल के कारण उत्पादन में कुल 249 लाख रुपये की हानि हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औषध कम्पनियों को नई "बल्क" औषधियों के लिये लाइसेंस

48. **श्री शंकर सिंहजी बाघेला :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत में काम करने वाली ऐसी विदेशी औषध कम्पनियों के नाम एवं उनकी संख्या क्या है जिन्हें नई "बल्क" औषधियों के लिये उत्पादन लाइसेंस दिये गये हैं अथवा उन्हें बल्क औषधियों के लिये उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति दी गई है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) गत तीन वर्षों के दौरान 7 विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों को या तो नए प्रपुंज औषधों के निर्माण के लिए या उनके वर्तमान प्रपुंज औषधों के उत्पादन की श्रेणियों में पर्याप्त विस्तार करने के लिए गत औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे ।

ऐसी कम्पनियों के नाम परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं ।

परिशिष्ट

कम्पनियों के नाम

1. मैसर्स अबोट लैबोरेटरीज़ (आई) प्राइवेट लि०
   (अब औद्योगिक लाइसेंस समर्पित किया है)
2. मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज़ (आई) लि०
3. मैसर्स हाचेस्ट फार्मेस्यूटीकल्स लि०
4. मैसर्स आरगनोन (आई) लि०

5. मैसर्स फाइज़र्स लि०

6. मैसर्स सर्ले (आई) लि०

7. मैसर्स यूनी-सैंकियो लि०

उर्वरक संयंत्रों द्वारा फीड स्टाक के रूप में ईंधन तेल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना

49. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा निर्णय किया है कि भविष्य में किसी उर्वरक संयंत्र को फीड स्टाक के रूप में ईंधन तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो ईंधन तेल पर आधारित वर्तमान संयंत्रों के बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या इन संयंत्रों द्वारा फीड स्टाक के प्रयोग करने के बारे में कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संयंत्रों में ईंधन तेल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री : (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां

(ख), (ग), (घ) और (ङ) इस समय ईंधन तेल पर आधारित 6 उर्वरक परियोजनाएं निर्माणाधीन है अर्थात् नंगल विस्तार, सिन्दरी आधुनिकीकरण, भटिंडा, पानीपत, हल्दिया और जी एन एफ सी (बड़ोच) इसके अलावा काकीनन्दा में प्रस्तावित नपरजूना उर्वरक परियोजना भी ईंधन तेल पर आधारित होगी । ये परियोजनाएं ईंधन तेल प्रयोग करती रहेंगी । सरकार द्वारा निर्धारित नई संभरण सामग्री नीति में केवल नई उर्वरक परियोजनाओं के लिए संभरण सामग्री के रूप में ईंधन तेल का प्रयोग शामिल नहीं है । नई संभरण सामग्री नीति की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :--

(i) जहां गैस उपलब्ध है उसे संभरण सामग्री के रूप में तब तक वरीयता देनी चाहिए जब तक घरेलू मांग पूरी हो जाती है ।

(ii) कोयले पर आधारित ताल्चर और रामागुड़म संयंत्रों के कार्य संचालन के अनुभव में यह पुष्टि हो जाए कि कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी स्थापित की गई है और वह व्यवहार्य है तो उर्वरक संभरण सामग्री के रूप में कोयले के प्रयोग पर और विचार करना चाहिए ।

(iii) उसके बाद गैस और कोयले का प्रयोग आर्थिक दृष्टिकोण पर सुव्यवस्थित करना चाहिए अर्थात् खपत का क्षेत्र, परिवहन की दूरी, व्यवहार्यता उपलब्धता आदि ।

(iv) संभरण सामग्री के रूप मेंस्था के प्रयोग पर आधारित पेट्रो-कैमिकल्स परियोजनाओं पर निर्णय लेने के बाद उर्वरक संभरण सामग्री के रूप में मेस्था का प्रयोग केवल नए संयंत्रों से तभी किया जाना चाहिए, जब अन्तर्देशीय स्थानों में उनके प्रेषण की दीर्घाकालीन समस्या हो । तथा संभरण सामग्री के रूप में मेस्था के प्रयोग पर विचार तब किया जाएगा जब अन्तर्देशीय वर्तमान संयंत्रों का अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर विस्तार किया जा सकेगा और शीघ्र पूरे हो जायेंगे ।

शेर हाल्ट तक जाने और वहां से आने पर टिकटों पर अधिभार

50. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेर हाल्ट (उत्तर-पूर्व रेलवे के वाराणसी डिवीजन में) तक जाने और वहां से आने में प्रति टिकट छह पैसे की दर से अधिभार लगाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि शेर हाल्ट आरंभ होने से पहले अथवा बाद के किसी अन्य हाल्ट पर यह अधिभार नहीं लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नाराण) : (क) जी, हां ।

(ख) शेर हाल्ट खोले जाने से पहले और बाद में अनेक हाल्ट स्टेशनों पर अधिभार लगाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे अल्पहार सेवा

51. **श्री आर० मोहन रंगम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेल गाड़ियों और स्टेशन की कैन्टीनों–दोनों स्थानों पर रेलवे अल्पहार सेवा असन्तोषजनक है और उसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है; और

(ख) इस बारे में यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या ठोस प्रयत्न किए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) गाड़ियों और स्थावर यूनिटों में खान-पान सेवाओं का स्तर पर्याप्त रूप से सन्तोषजनक है । फिर भी इनमें सुधार की गुंजाइश है और गाड़ियों में तथा स्थावर यूनिटों में खानपान सेवाओं के स्तर में और सुधार के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । सरकार द्वारा कोई विशिष्ट शिकायत या सुझाव प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

(ख) रेलों पर सेवा और भोजन की किस्म को और अच्छा बनाने के लिए रेलों द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं, जिनमें आधुनिक पाकशाला सम्बन्धी तकनीकों का अपनाया जाना, रसोई के आधुनिक सामान तथा उपकरणों का उपयोग, गाड़ियों पर 'परोसने के लिए तैयार' भोजन की व्यवस्था के लिए आधार-स्टेशनों पर रसोईघरों की स्थापना कच्चे पदार्थों और आवश्यक सामानों की मानक स्रोतों से खरीद, खानपान कर्मचारियों का उपयुक्त संस्थानों में प्रशिक्षण आदि शामिल हैं । गाड़ियों पर सफाई के साथ तैयार स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आधार स्टेशनों पर रसोईघरों की स्थापना की गयी है क्योंकि भोजनयानों की तंग जगह में खाना बनाना, बर्तनों की सफाई एवं धुलाई संतोषजनक रूप से नहीं हो सकती है । यात्री जनता को विभागीय तथा प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा चलायी जा रही खानपान स्थापनाओं से अच्छे किस्म के भोजन, चाय, काफी आदि की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों तथा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच एवं अचानक निरीक्षणों का आयोजन किया जाता है । कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों को किसी भी प्रकार दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाती है और भविष्य में कोई गलती न होने देने के लिए उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं । ऐसी गतिविधियों पर कड़ी एवं बराबर निगाह रखी जाती है ।

कल्याणी टाउनशिप और सियालदाह-राणाघाट रेलवे लाइन के बीच यात्री सेवाएं

52. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य :**
श्री सौगत राय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कल्याणी टाउनशिप और सियालदाह-राणाघाट रेलवे लाइन के बीच यात्री रेलगाड़ियों के चलाये जाने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में परिवहन की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए इन प्रस्तावों की महत्ता पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कल्याणी स्टेशन से कल्याणी टाउनशिप तक की लाइन को यात्री यातायात के लिए खोले जाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

53. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के ढांचे तथा इस प्रक्रिया में उसके कार्यकरण में क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में 6-12-1977 को रेल मंत्री द्वारा संसद में दिये गये बयान की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1521/78

पश्चिम बंगाल को पैराफीन मोम का आवंटन

54. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को पैराफीन मोम का कम मात्रा में आबंटन करने के बारे में पश्चिम बंगाल के कुटीर और लघु उद्योग मंत्री से 13 जुलाई, 1977 का एक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल्स और रसायन, तिरपाल तथा मोमबत्ती उद्योग के समक्ष गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तथा (ख) जी, हां इस पत्र में इस बात पर मुख्य रूप से दबाव डाला गया था कि पश्चिम बंगाल राज्य में वर्षा के प्रथम 7 महीनों में अर्थात् जनवरा, जुलाई, 1977 के दौरान पैराफिन मोम का आबंटन इतना कर दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप रसायन टर्पेंटिन तथा मोमबत्ती रचित विभिन्न उद्योगों में, इसका आबंटन हुआ। अतः यह अनुरोध किया गया था कि उस राज्य का और ज्यादा आबंटन के प्रश्न पर विचार किया जाये।

(ग) पैराफिन मोम की देश के भीतर उपलब्धता को दृष्टि में रख कर राज्य सरकारों को यह बताया कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं को पैराफिन मोम को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं को बामर लारी लि० कलकत्ता से पास कराने की सलाह दें जो आयात के लिये गये मरणीबद्ध एजेंसी है। पैराफिन मोम की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये कुछ और उपाय करने के लिये आई ओ० सी० को पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों के स्लैक मोम साफ करने वाले एककों (जो पैराफीन का उत्पादन कर रहे हैं) की पूर्ण आवश्यकताओं के अनुसार स्लैक द्वारा सप्लाई करने के सम्बन्ध में कहा गया था।

चालू वर्ष के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार के लिये कुछ अतिरिक्त मोम का आबंटन किया गया है।

साउथ इंडिया विस्कोस और मद्रास एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोप

55. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि साउथ इंडिया विस्कोस और मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कारण, तत्कालीन दल प्रमुखों के भारी दबाव के बावजूद, उसको पांच वर्ष की सेवावधि के स्थान पर एक वर्ष से अधिक सेवावधि नहीं मिल सकी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नियुक्त एक दल को मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के कार्यों की जांच का काम सौंपा गया था परन्तु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कुछ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिवेदन दबाया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड से संबंधित प्रबन्ध निदेशक की पुनर्नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1975 से 3 वर्ष की अवधि के लिये अनुमोदित की गई थी। उसकी साउथ इंडिया विस्कोस लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति भी 1 अगस्त, 1976 से दो वर्षों के लिये स्वीकृत की गई थी। यह सरकार की नीति के अनुसार था।

(ग) भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि संस्था द्वारा कम्पनी का एक संयुक्त निरीक्षण जून, 1977 में किया गया था और निरीक्षण रिपोर्ट से प्रतीत हुई उपपत्तियों पर कार्यवाही प्रवर्तमान है।

Railway line in Backward areas of Madhya Pradesh, Orissa and Konkan

56. **Shri Y. P. Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in his maiden speech last year he had given assurance for constructing railway lines in the backward areas of Madhya Pradesh, Orissa and Konkan;

(b) if so, whether any scheme for linking the most backward areas of Madhya Pradesh like Sidhi, Rewa and Satna with railway lines will be implemented in 1978-79; and

(c) whether it is also a fact that a survey was conducted in the year 1973 to link those Districts; if so, whether the construction work on the lines already surveyed will be started this year ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The Railway Minister had stated that he is aware of the need for railway development, without any delay, in certain backward regions of Konkan, Madhya Pradesh, North Eastern and other areas of the country and that he would initiate steps in that direction.

(b) The Railway Ministry is actively considering the question of taking up a survey for a railway line linking Lalitpur with Singrauli via Satna and Rewa.

(c) The survey report for a line from Satna to Beohari (a station on Katni-Singrauli line) via Rewa, which would have linked Beohari and Rewa with Singrauli and Mirzapur, carried out in 1973, indicated that the line would not attract sufficient traffic to justify its construction and would be unremunerative. It was, therefore, decided not to pursue the project.

रेलवे में यूनियनों के स्तर की वैधता

57. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में यूनियनों की वर्तमान वैधता का पता लगाने के लिये कुछ गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों ने सदस्यता के सत्यापन की मांग की है; और

(ख) क्या रेलवे यूनियनों में प्रतिनिधित्व को अद्यतन बनाने के लिये सरकार नये सिरे से सत्यापन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) मई, 1977 में हुए एक त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ साथ यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के मानदण्डों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये श्रम मंत्रालय द्वारा एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। सरकार द्वारा उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा किये गये अन्तिम निर्णय के आधार पर किसी यूनियन के प्रतिनिधि स्वरूप को निर्धारित करने के बारे में कार्रवाई की जायेगी।

रेलवे विकास कार्यक्रम

58. **श्री के० रामसूर्ति :** क्या रेल मंत्री रेलवे विकास कार्यक्रम के बारे में 29 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 184 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में विस्तृत रेलवे कार्यक्रम करने के लिये नियुक्त रेलवे कार्यकारी दल ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपयोगकर्ता मंत्रालय/विभागों से सूचना अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और उसके आधार पर, कार्यकारी दल की रिपोर्ट का एक मसौदा अब सर्व-सम्बन्धित को परिपत्रित कर दिया गया है। अन्तिम रिपोर्ट के शीघ्र ही तैयार हो जाने की संभावना है।

Reservation of Posts for Harijans and Adivasis in Judiciary

*59. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reserve posts for Harijans, Adivasis, backward classes and minorities in the judiciary and if so, the percentage thereof and if not, the reasons therefor; and

(b) whether there are any judges belonging to the above classes in the Supreme Cour at present and if so, number there of ?

Minister of Law Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Appointments in the Higher Judiciary are made in accordance with the provisions of the Constitution which do not lay down any reservation for Harijans, Adivasis, backward-classes and minorities.

(b) According to the information available, Shri Justice M.H. Beg, Chief Justice of India, Shri Justice S. Murtaza Fazal Ali and Shri Justice R.S. Sarkaria belong to the minority communities.

Allotment of Kerosene Oil to State Governments

60. **Shri S. S. Somani** : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had made a cut in the quota of kerosene oil allotted to the State Governments during 1976-77;

(b) if so, the extent thereof and the number of times cut in this quota was made in each State;

(c) the reasons therefor and its impact on the consumers; and

(d) the steps being taken by Government to restore the cut made in the quota of kerosene oil so that consumers do not face difficulty ?

The Minister of State for Petroleum and Chemical and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) and (b) No, Sir. The allocations of kerosene made to the different States and Union Territories during 1976-77, as also the actual sale of the product, were higher than during 1975-76.

(c) and (d) There are no cuts at present on the quotas of kerosene oil to the States and Union Territories, and supplies of kerosene are being made by the oil companies to meet the sales requirements. To meet the increasing demand in the country, necessary additional imports of kerosene have been organised during the current financial year.

बम्बई-दिल्ली लाइन पर गाड़ियों में भीड़-भाड़

61. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे रूट पर बम्बई और दिल्ली के बीच दो सीधी गाड़ियों पर 5 1 6 पंजाब मेल और 57-58 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी पर बहुत भीड़-भाड़ रहती है।

(ख) क्या यह भी सच है कि इन गाड़ियों में अधिकतर स्थान बम्बई से अथवा दिल्ली के निकट अथवा दिल्ली से भर जाता है और बीच के स्टेशनों के लिये जो थोड़ा सा कोटा बचता है वह नासिक, इटारसी सेक्शनों के बीच पड़ने वाले नगरों एवं गांवों के लिये अत्यन्त अपर्याप्त है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई और दिल्ली के बीच मध्य रेलवे के रूट पर नई गाड़ी चलाने के लिये निरन्तर मांग की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। दिल्ली और बम्बई वी० टी० के बीच फिलहाल कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है क्योंकि बहुत कुछ मार्गवर्ती खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता और बम्बई वी० टी० तथा दिल्ली/नई दिल्ली में टर्मिनल सुविधाओं का अभाव है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

62. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का विनिश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा न बनाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) संविधान के 42वें संशोधन में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने से संबंधित समर्थकारी उपबन्ध अन्तर्विष्ट हैं। संविधान का संशोधन करने के लिये एक व्यापक विधेयक, जिसमें संविधान के 42वें संशोधन पर भी विचार किया जायेगा, अभी पुरःस्थापित किया जाना है, अतः अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने से संबंधित उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

डी० डी० टी० का उत्पादन

63. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में डी० डी० टी० का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन होता है।

(ख) क्या उद्योगों को, विशेष रूप से लघु उद्योगों को डी० डी० टी० की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो लघु उद्योगों को अपेक्षित मात्रा में डी० डी० टी० की सप्लाई करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० जोकि देश में एक मात्र डी० डी० टी० तकनीकी के निर्माता है, की 4088 टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता की तुलना में इस मद का वास्तविक उत्पादन 1976-77 के दौरान 4478 टन तथा 1977-78 (जनवरी, 1978 तक) 3433 टन था।

(ख) और (ग) 1976-77 के दौरान भिन्न-भिन्न निर्माताओं द्वारा उठाई गई डी० डी० टी० तकनीकी को कुल 1700 टन मात्रा की तुलना में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लि० ने 1977-78 के प्रथम दस मास में 1970 टन की सप्लाई की और फरवरी-मार्च, 1978 के दौरान 600 टन उन्हें सप्लाई की जा रही है। जनवरी, 1978 तक विभिन्न निर्माताओं को उपलब्ध कराई गई 1907 टन डी० डी०टी० तकनीकी में से, 1527 टन डी० डी० टी० तकनीकी लघु पैमाने के निर्माताओं को सप्लाई की गई थी। देश की मांग को पूरा करने के लिये, स्वदेशी सप्लाई में वृद्धि लाने के लिये, सरकार ने पोलैंड से 1500 टन डी० डी० टी० तकनीकी के आयात की व्यवस्था की थी। बाद में, जब इस स्त्रोत से सप्लाई असन्तोषजनक पाई गई तो राज्य व्यापार निगम को आपातिक आधार पर किसी अन्य स्त्रोत से 900 टन अतिरिक्त आयात करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

Boundary Line between Anwar Ganj and Raipur Stations

64. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a pucca boundary line between Anwar Ganj and Raipur stations in Kanpur on N.E. Railway was reconstructed in 1977 but more money was realised improperly by showing that the entire boundary line was newly constructed;

(b) whether Government have conducted any enquiry in this regard; and

(c) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a), (b) & (c) : The boundary wall between Kanpur Anwar Ganj and Rawatpur stations connecting level crossings No. 4, 5 and 6, was found damaged and had fallen down at some places. New wall was constructed at locations where it had fallen down and repairs were carried out at other places where it was damaged. As payments made were for work actually done, the need for conducting an enquiry into this matter does not arise.

Hire of rigs and Boring Machines for Bombay High

65. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the rate per day in rupees on which rigs and boring machines have been hired for Bombay High, the expenditure incurred on this account so far and also the production made ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Demands of Railway Protection Force

66. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Government have given assurance for fulfilling the demands of the Railway Protection Force, and

(b) if so, when their demands will be fulfilled ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain):(a) & (b) Various demands have been put forward by the Zonal Railway. Protection Force Associations and these are under active consideration.

Jamalpur Railway Workshop

†67. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) number of workers in Jamalpur Railway Workshop and annual production of engines and other iron manufacturers 25 years ago and at present;

(b) whether this workshop is a very old railway with adequate land and dwelling units and other resources, and even then it is not being modernised and reasons why it is being woundup gradually whereas other workshops are being modernised involving substantial expenditure on purchase of land and construction of dwelling units;

(c) when do Government propose to wind it up in view of gradual decline in the number of workers and gradual closure of rolling, etc. mills; and

(d) number of D.C.M. Es. Managers and other higher officers ten years ago when number of workers in workshop was more and number of these officers at present when number of workers and production of engines are declining day-by-day; and reasons for increase in number of such officers and extravagant expenditure there ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a)

	As on 31-1-53	As on 1-1-78
(i) Workshop Employees	13,361	13,741
(ii) POH of Engines (in standard units)	52-53	76-77
	401.80	483.10

(iii) Other manufacturing activities (Production in manufacturing Shops)	Monthly average in tonnes.	
	1953	1977-78
Foundries	1,100	1,260
Forges & Smithy	297	352
Rolling Mill	653	295

(b) Jamalpur Workshop was set up in the year 1862 and has adequate land and other facilities. It will not be correct to say that the workshop is not being modernised and is getting gradually wound up. Manufacture of steam and diesel cranes whiting jacks, steel castings, etc. has already stabilished in these shops. A scheme for setting up facilities for POH of diesel shunting locomotives has been approved at a capital cost of Rs. 1.21 crores.

(c) There has been no decline in the strength of workers as would be evident from the figures furnished below :—

	Number of workers
1-4-47	12,642
1-4-57	13,340
1-4-67	12,590
1-4-77	13,600
31-12-77	13,741

There is no proposal for winding up Jamalpur Workshop. Decline in some of the activities has been adequately compensated by new activities like manufacture of cranes and whiting jacks, steel foundry etc.

(d)

	No. of psots as on 31-1-68	as on 31-1-78
Dy. C.M.Es. .	1	3
Works Managers .	7	7
Assistant Managers .	10	9
Total	18	19

The officers strength in Jamalpur Workshop has increased only by one over the last ten years. This is on account of creation of one post of Works Manager which was considered absolutely necessary for organising manufacture of Fire Boxes. The up-gradation of 2 posts to Dy. CMEs' has been an outcome of up-gradation of posts effected at all levels for reducing stagnation of staff. The posts have been up-graded in all the categories including Artisans, Officers and Supervisors.

राज्यों में नई रेल लाइनें

68. **दीनेन भटचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र में जनता सरकार आने के पश्चात् आज तक राज्यवार कितनी नई रेल लाइनें आरम्भ की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1977-78 के दौरान दिसम्बर 1977 तक 270 कि० मी० लम्बी निम्नलिखित लाइनें पूरी की गई और यातायात के लिये खोली गयीं :—

लाइन	राज्य
1. गोहाना—पानीपत बड़ी लाइन	हरियाणा
2. शाहदरा—बागपत रोड लाइन (शाहदरा—सहारनपुर बड़ी लाइन का भाग)	उत्तर प्रदेश
3. गुना—मक्सी बड़ी लाइन (यात्री यातायात के लिये)	मध्य प्रदेश

निम्नलिखित 1977-78 के बजट में शामिल की गई तीन नई रेलवे लाइनों सहित कुल 2200 कि० मी० लम्बी 28 नई रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है:—

लाइन	राज्य
1. मिरचाधुरी से जयन्त	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश
2. भद्राचलम से मनगुरु	आन्ध्र प्रदेश
3. पाम्बन धनुषकोडि उखाड़ी गई रेलवे लाइन का पुनः स्थापन .	तमिलनाडु

निम्नलिखित नई लाइनों के लिये सर्वेक्षण प्रगति पर हैं:—

लाइन	राज्य
1. गया से राजगीर .	बिहार
2. काकुंडा से मेजिया/रानीगंज .	पश्चिम बंगाल
3. मुजफ्फरपुर से दरभंगा	बिहार
4. मुरकांगसंलक से पार्ग घाट	असम/अरुणाचल
5. तुली से अभागुरु	असम/नागालैंड
6. तिपलिंग से इतानगर	असम/अरुणाचल
7. सिलचर से जिरिबाम	असम/मणीपुर
8. सैरंग से ऐजल .	असम/मिजोरम
9. मैनागुड़ी से सिलाई	पश्चिम बंगाल/असम

चालू वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई लाइनों के लिये सर्वेक्षण किया गया/किया जा रहा है :--

रेलवे	राज्य
1. तालचेर से सम्बलपुर	उड़ीसा
2. कोरापुट से पार्वतीपुरम	उड़ीसा
3. बीकानेर से छापरगढ़ . .	राजस्थान
4. जम्मू से ऊधम पुर (अन्तिम स्थान निर्माण)	जम्मू और काश्मीर
5. कोडरमा के रास्ते रांची रोड से गिरिडीह	बिहार
6. मन्दारहिल से वैधनाथधाम . .	बिहार
7. अमरावती को मुख्य लाइन से जोड़ना . .	महाराष्ट्र

शेरघाटी-इमामगंज छतरा से चांदवा तक रेलवे लाइन

69. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के पिछड़े जिलों में शेरघाटी-इमामगंज-छतरा से चांदवा तक रेलवे लाइन बिछाने के लिये, जो पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में है और जहां पर प्रतिदिन आने-जाने वाले लोगों के लिये कोई अन्य बेहतर संचार व्यवस्था नहीं है, रेल संचार की सुविधायें उपलब्ध कराने के प्रयोजन से, कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है, और

(ग) गया तथा छोटानागपुर के उपरोक्त जिलों में शीघ्र रेलवे लाइन बिछाने हेतु आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) शेरघाटी, इमामगंज, छतरा और चांदवा के रास्ते रांची से गया तक रेल सम्पर्क के लिये 1946-47 में प्रारम्भिक इंजीनियरी

एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। प्रस्तावित लाइन 275 कि० मी० लम्बी होगी और तत्कालीन मूल्यों के आधार पर इस पर 11.65 करोड़ रुपये की लागत का तथा इससे रूढ़िगत पद्धति से 1.04 प्रतिशत से 1.99 प्रतिशत तक की वित्तीय प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया था। निधि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, इस लाइन के निर्माण पर फिलहाल विचार करने का प्रस्ताव नहीं है।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

70 श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र, पश्चिम बंगाल में गत एक मास से आन्दोलन चल रहा है और श्रमिकों ने विभिन्न राहतों की मांग करते हुए हड़ताल कर रखी है;

(ख) श्रमिकों की मांगों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकारी-वर्ग समस्याओं को पहले हल नहीं कर सके;

(घ) आन्दोलन तथा हड़ताल के कारण कितने मूल्य के उत्पादन की कुल हानि हुई; और

(ङ) समस्याओं को तत्काल हल करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं, अथवा करने का विचार है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) : फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के दुर्गापुर एकक के श्रमिकों ने 7 जनवरी 1977 को हड़ताल की। उनकी मांग की मुख्य बातें विवरण में दी गई हैं। यूनियन तथा प्रबन्धक के बीच हुई बातचीत तथा समझौते सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ में असन्तोषजनक रही। परन्तु 17 फरवरी, 1978 को प्रबन्धक यूनियन के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता करने में समर्थ हुए।

12-2-1978 तक हड़ताल के कारण उत्पादन में कुल हानि 249 लाख रुपयों की हुई।

विवरण

एफ० सी० आई० की दुर्गापुर एकक के कर्मचारियों की मांगों की मुख्य बातें थीं —

(1) जन-शक्ति तथा कार्यों के विवरणों यूनियन की परामर्श से निपटाये जाएं।

(2) बिजली सम्बन्धी खर्चे जो उनसे खरीद लागत के अनुसार लिये जाते हैं तथा यूनिट द्वारा दुर्गापुर प्राजेक्ट लि० को दिये जाते हैं, को अप्रैल 1976 से पहले की तरह 0.16 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से संशोधित किये जाने चाहिएं।

(3) दंग सम्बन्धी मामले जिसमें सेवा-मुक्ति तथा बकाया आरोप पत्र मामले भी शामिल थे शीघ्र ही वापिस लिया जाना चाहिये।

(4) नीचे उल्लिखित कई सीमांत लाभों को जो केन्द्रीय स्तर पर चर्चाधीन संशोधित वेतनमानों सहित शीघ्र ही कार्यान्वित किये जाएं, अर्थात्

एल० टी० सी० पर 400 किलोमीटर का प्रतिबन्ध तथा रात्रि शिफ्ट भत्ते पर प्रतिबन्ध को वापिस लेना, यूनियन के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों के कर्मचारियों को अस्पतालों में खाना मुफ्त दिया जाना।

यूनियन के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों के कर्मचारियों के बच्चों के लिये दसवीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा का दिया जाना।

(5) मोटर-साइकिल/स्कूटर और बाईसाइकिल अग्रिम राशि के हकदारों के लिये स्थानीय यात्रा भत्ते को उदार बनाया जाना चाहिये।

(6) व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों की सहमति के बिना किसी कर्मचारी के काम तथा शिक्षण में बदली नहीं की जानी चाहिये।

(7) 600, 400 तथा 365 वर्गफुट वाले क्वार्टरों को घेराबनी करना, 600 वर्ग फुट वाले क्वार्टरों में एक अतिरिक्त दरवाजे का शटर लगाया जाना तथा 400 वर्ग फुट वाले क्वार्टरों में कई संशोधनों की व्यवस्था शीघ्र की जाये।

(8) यूनियन के अन्तर्गत आने वाली किसी भी उच्च पद की बाहर से भर्ती करने को समाप्त करना।

(9) केन्द्रीय पूल शिफ्ट को समाप्त किया जाये तथा एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे को शिफ्ट में लगाकर जनशक्ति को हासिल किया जाये।

(10) 1970—73 तथा 1975-76 के वर्षों के बकाया बोनस की अदायगी।

(11) एफ० सी० आई० की अस्पतालों में अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये कर्मचारियों के विषय में निर्भर की परिभाषा का अधिक व्यापक बनाना, सेवा-निवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा की छुट्टी के स्थान पर नगद-राशि का दिया जाना तथा एफ० सी० आई० के अस्पताल के बाहिर इलाज कराने की आवश्यकता पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को आगे और उदार बनाया जाना।

(12) मजदूर और सम्बद्ध श्रेणियों से एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में स्वतः पदोन्नति हो।

(13) भवन निर्माण ऋण योजना शीघ्र ही चालू की जाये।

(14) एफ० सी० आई० में कर्मचारियों के लड़कों को लिया जाये।

(15) अधिक रोजगार मौके प्रदान करने के लिये संयंत्र का विस्तार किया जाये।

(16) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में रिक्त स्थानों के स्थान पर अधिसंख्य पदों को समायोजित न किया जाये।

बम्बई हाई से तेल का उत्पादन

71. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल सम्पन्न बम्बई हाई से प्रति वर्ष 120 लाख टन अशोधित तेल का उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) इस क्षेत्र का विकास करने के लिये कुल कितने परिव्यय की आवश्यकता है; और

(ग) बम्बई के निकट दो तट-दूर छिद्रणों से इस समय कितने अशोधित तेल का उत्पादन होता है?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बम्बई हाई तथा इंटोग्रेटिड संरचनाओं से वर्ष 1981-82 तक लगभग 10 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष का उत्पादन स्तर प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) बम्बई हाई के पूर्ण विकास के लिये पांच चरणों की परिकल्पना की गई है। चरण-I तथा II के लिये 149.89 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस समय चरण-III 534.02 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय से कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण IV तथा V के लिये निवेश का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का समस्त पांचों चरणों के लिये 854.32 करोड़ रुपये का अनुमान था।

(ग) बम्बई हाई से संशोधित तेल की वर्तमान उत्पादन दर लगभग 80,000 बैरल प्रतिदिन है, जो कि 4 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष के बराबर है।

कोचीन और कायनकुलम के बीच रेल लाइन

72. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन और **कायनकुलम** के बीच बरास्ता एलेप्पी और कुट्टीपुरम से गुरुवयूर तक प्रस्तावित नई रेल लाइनों के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की नई नीति को देखते हुए सरकार का विचार तेल्लीचेरी और मैसूर बरास्ता कुर्ग के बीच रेल लाइनों के निर्माण के प्रश्न तथा मंगलौर और बम्बई तक तटीय रेलवे के निर्माण पर फिर से विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : (i) कोचीन **कायनकुलम** लाइन—इस लाइन के एर्णाकुलम से एलेप्पी तक के भाग को भारतीय रेलों की चल योजना, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है। लाइन के एलेप्पी से कायनकुलम तक के शेष भाग के निर्माण के बारे में तभी विचार किया जायेगा जब योजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो जाये।

(ii) कुट्टिपुरम-गुरुवायूर—सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस लाइन पर बहुत कम यातायात होगा। अतः वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति में इसके निर्माण के बारे में विचार करना संभव नहीं होगा।

(ग) और (घ) धन की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल तेल्लिचेरी-मैसूर रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई मंगलूर लाइन के निर्माण के प्रथम चरण के रूप में आप्ता से रोहा तक के खण्ड का निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

माल गाड़ियों के ड्राइवरों से अभ्यावेदन

73. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रेल** मंत्री सेंट्रल रेलवे, बम्बई वी० टी० के जनरल मैनेजर को ज्ञापन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2760, दिनांक 6-12-77 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माल गाड़ियों के लगभग 150 ड्राइवरों द्वारा अपनी शिकायतों तथा कठिनाइयों के बारे में सेंट्रल रेलवे, बम्बई वी० टी० के जनरल मैनेजर को दिये गये अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय लिया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ग) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारी अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार किया जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सभी वर्गों के कर्मचारियों की मांगों के बारे में विचार किया जाता है और स्थाई वार्ता तन्त्र तथा संयुक्त वार्ता तन्त्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से समझौते किये जाते हैं। संबंधित अभ्यावेदन पर भी तदनुसार विचार किया जा रहा है।

महानदी डेल्टा में तेल सर्वेक्षण

74. **श्री पद्माचरण समान्त सिंहेरा** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के पारादीप में तेल की खोज करने वाला प्रभाग कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में आयल इंडिया के विशेषज्ञों और संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) 'कितने गहरे कुओं' को खोदा गया और कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) वर्ष 1978-79 के दौरान किन-किन स्थानों पर तेल की खोज का कार्य किया जायेगा और इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) आयल इण्डिया लिमि० ने महानदी डेल्टा के 6800 वर्ग किलोमीटर तटीय तथा 12,000 वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र के अन्वेषण के लिये एक योजना तैयार की है। पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान किये जाने के उपरांत अन्वेषण कार्य आरम्भ किया जायेगा। व्यधन कार्यक्रम तथा व्यय सर्वेक्षणों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

हानि पर चलने वाले रेलवे डिवीजन

75. **श्री पदमाचरण सामन्त सिंहेरा :** क्या **रेल मंत्री** हानि में अथवा लाभ में चलने वाले रेलवे जोनों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1005, दिनांक 29 नवम्बर, 1977 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजनों के नाम क्या हैं; कुल कितना व्यय हुआ और प्रत्येक डिवीजन से कितनी आय हुई;

(ख) हानि को किस प्रकार से पूरा करने के विचार हैं; और

(ग) विकास के लिये नये प्रस्ताव क्या हैं और उन कार्यों पर कुल कितना व्यय होगा;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आय और व्यय सम्बन्धी सूचना रेलवे वार संकलित की जाती है न कि मण्डल-वार।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पठानकोट-जोगिन्दर नगर लाइन पर चौथी यात्री गाड़ी की व्यवस्था

76. श्री **दुर्गाचन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पठानकोट---जोगिन्दर नगर रेलवे लाइन पर चौथी यात्री गाड़ी को चालू करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाडी कब तक चालू की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) छोटी लाइन के रेल इंजनों की कमी के कारण पठानकोट-जोगिन्दर नगर खंड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

कालका से परवानु तक रेल लाइन

77. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका से परवानु तक तथा जमुना नगर से पयोंटा साहिब तक रेल लाइनों का विस्तार करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) कालका से परवानु (6.57 कि०मी० तक बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए 1970 में किये गये प्रारम्भिक इंजीनियरी एंव यातायात सर्वेक्षण से पता चला था कि इस परियोजना पर 2.36 करोड़ रुपये (1970 में विद्यमान मूल्यों के अनुसार) लागत आयेगी और इससे 0.01 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होगा ।

पोंटा साहिब के रास्ते जगाधरी और राजबन के बीच बड़ी लाइन सम्पर्क के निर्माण के लिए टोह-एवं-प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी 1973 में दी गयी थी और 1975 में मिली सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला था कि छाछरौली, ताजेवाला, कालेसर, और पोंटा साहिब के रास्ते जगाधरी और राजबन के बीच 74 कि० मी० लम्बी इस प्रस्तावित रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 25.63 करोड़ रुपये होगी और डी० सी० एफ० तकनीक के हिसाब से इस पर एक प्रतिशत से भी कम प्रतिफल प्राप्त होगा ।

इन परियोजनाओं का निर्माण शुरू करना इस बात पर निर्भर करेगा कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों के निर्माण के लिए कितना धन उपलब्ध होता है ।

यात्री और माल गाड़ियों का पटरी से उतर जाना

78. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान यात्री और माल गाड़ियों के पटरी से उतरने की कितनी घटनाएं हुई ; और

(ख) पटरी से उतरने की इन घटनाओं के कारण कुल कितने व्यक्तियों की जानें गयीं और रेल सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1-11-1977 से 31-1-1978 की अवधि के दौरान यात्री गाड़ियों का पटरी से उतरने की 52 और माल गाड़ियों की 130 घटनाएं हुई ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 20 व्यक्ति मारे गये । अनुमानतः रेल सम्पत्ति की लगभग 52,45,228 रुपये की क्षति हुई ।

नये-पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के ब्यौरे

79. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम:** : क्या **पैट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनी पेट्रो-रसायन उद्योग समूह पर स्थापित किये गये हैं, ये कहां-कहां पर हैं और उनके उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार कार्यान्वियन हेतु दो पेट्रो-रसायन कम्प्लैक्स मंजूर किये जा चुके हैं :—

(1) इंडियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशम लिमि० गुजरात राज्य में बड़ौदा के समीप एक पेट्रो रसायन कम्प्लैक्स को चला रहा है जिसमें निम्नलिखित परियोजनायें और इकाइयाँ हैं :—

(i) जाइलीन कम्प्लैक्स तथा एक डी एम टी एकक् सहित एक एरोमेटिक परियोजना ;

(ii) नेफथा क्रेकर, पाइरोलिसिज पेसोलीन हाईड्रोजनेशन इकाई, बेन्जीन निष्कषर्ण इकाई और बुटाडाइन निष्कर्षण इकाई सहित आलफिस प्रायोजना ।

(iii) आलफिस परियोजना के डाउन स्ट्रीम्स एकक, अर्थात् :—

(1) कम घनत्व वाले पालिथोलीन,

(2) ————————

(3) एथीलीनग्ल—कोल

(4) पाल्विटाडाइन रबड़

(5) एक्रीलोनी ट्राईल

(6) एक्रीलिक फाइबर

(7) डीटरजेंट एल्कीलेट

(8) पी वी सी

(9) एक्रीलेट्स

एरोमेटिक परियोजना में विभिन्न इकाइयों में 1973-74 में उत्पादन आरम्भ हो गया । वर्ष 1977 के दौरान उनके उत्पादन की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित था :—

उत्पाद	वर्ष 1977 में उत्पादन (मी० टन में)	प्रचलित (विद्यमान) कीमतों पर इनका मूल्य (लाख रुपयों में)
(1) डी एम टी . . .	24510	2756.46
(2) आर्थोजक्लीन/मिश्रित जाक्लीन .	18858	848.60
(3) पैराजाइलीन . . .	12873	(इसे डी एम टी में निजी परिवर्तन करने हेतु)
कुल .		3605.06

आलफिस परियोजना और इसके डाउन स्ट्रीम इकाईयों का भी निर्माण किया जा रहा है ।

2. बोंगईगांव शोधनशाला और पेट्रोकैमिकल्स लिमि० असम राज्य के बोंगईगाँव में एक पेट्रो रसायन समूह (कम्पलैक्स) स्थापित कर रहे हैं जिसमें एक जाइलीन कम्प्लैक्स, एक डी एम टी एकक् और एक फाइबर एकक् होगा । ये परियोजनायें अभी निर्माणाधीन हैं ।

सिन्दरी स्थित संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए दिए गए ठेके

80. **श्री रोबिन सेन : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी स्थित संयंत्रों के आधुनिकीकरण में सिविल कार्यों और यांत्रिकी कार्यों के लिए ठीक ठेके की शर्तो और सामान्य निर्देश के उल्लंघन और विभिन्न अनियमितताओं के बारे में सरकार ने कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

Bogies Attached to Jamnagar-Delhi and Okha-Delhi Trains at Mehsana Stations

†81. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of hours for which the bogies of Jamnagar-Delhi and Okha-Delhi trains attached at Rajkot to Kirti Express (from Porbander to Mehsana) have to wait at Mehsana Railway station for being attached with Ahmedabad-Delhi Mail;

(b) whether Government propose to reduce this waiting period if so, when and how much time will be cut short; and

(c) if not, the reason therefor ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Four hours and twenty eight minutes.

(b) & (c) It has not been found feasible to curtail the present margin of connection between 35 Up Kirti Express and 2 Dn. Ahmedabad-Delhi Mail at Mehsana, as both these trains have to maintain important connections including for attaching of through coaches at Rajkot, Surendranagar, Viramgam , Katosan Road, Mehsana and Ahmedabad.

Memo Submitted by Junagarh Chamber of Commerce, Junagarh

82. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the Junagarh Chamber of Commerce, Junagarh (Gujarat) submitted a memoranda vide ref. 62/192, dated the 3rd March, 1964 for provision of railway facilities;

(b) if so, the demands made therein; and

(c) the nature of demands out of them accepted and on what dates and the action proposed to be taken in respect of rest of the demands and the nature of the demands not accepted, so far, and the reasons therefor and the time by which these will be accepted ?

Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) (a) : No such memo is traceable at this distant date.

(b) & (c) : Do not arise.

Memorandum from Saurashtra-Kutch Petrol Diesel Association, Junagarh

83. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Saurashtra-Kutch Petrol Diesel Association, Junagarh had submitted a memorandum in regard to demands of Petroleum dealers on 3rd November, 1977 and if so, the nature of demands contained in the memorandum;

(b) the demands, out of them, accepted and when these demands have been accepted; and

(c) the demands which have not been accepted so far and the reasons therefor and when the remaining demands are likely to be accepted ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshawar Mishra) (a) to (c) : Yes Sir, the Memoradum dated 3-11-77 of the Association was received.

As recommended by an expert Oil Prices Committee, Government had introduced liberalised slabs/rates of commission on petrol and high speed diesel oil. The main demand in the Memoradum was for higher rates of commission by further modifications of the existing slabs/rates of commission or alternatively by allowing commission on a percentage basis. There was also a demand for higher margin on lubricants. After very careful consideration these requests were not accepted.

It was stated in the Memorandum that the dealership agreements with the oil companies should be revised. This is a matter to be settled between the dealers and the oil companies concerned.

The Memorandum desired that the Federation of All India Petroelum Traders and all its affiliates should be recognised at all levels by the Government and the oil companies. This has not been considered necessary. The oil industry already holds meetings with dealers periodically, where matters of mutual interest are discussed with the dealers.

The Memorandum also referred to a uniform basis for licence fee and a higher rate of shrinkage allowance at high altitudes. These aspects are being reviewed. However, no assurance can be given as to the date by which these would be implemented as several parties have to be consulted.

पैट्रोल/डीजल के खदरा वितरकों को कमीशन

84. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तेल मूल्य समिति ने, वर्ष 1976 में अपनी पुनरीक्षित सिफारिशें पेश की थीं जिनमें पेट्रोल/डीजल के खुदरा वितरकों को कमीशन देने हेतु एक पुनरीक्षित फार्मूले का सुझाव दिया गया था और यदि हां, तो क्या इस आशय की भी कोई सिफारिश की गई थी कि वह पुनरीक्षित फार्मूले को 1 जुलाई, 1976 से प्रभावी किया जाये और

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार किया था तथा पुनरीक्षित फार्मूले को 1 जुलाई, 1976 से प्रभावी करने से इन्कार कर दिया था ; और यदि हाँ, तो इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तेल मूल्य समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को नवम्बर, 1976 में प्रस्तुत कर दी थी जिसमें पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल आयल के लिये विक्रेता कमीशन के सम्बन्ध में संशोधित सिफारिशें की गई थीं। इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं थी कि ये दरें पहली जुलाई, 1976 से लागू की जायें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Platform in Mahidpur Road Station

85. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a new platform is to be constructed on the Mahidpur Road station in Ratlam division on the Western Railways;

(b) if so, whether the passengers have requested that it should be a longer platform and if so, the additional length of the platform requested for by the passengers; and

(c) whether a demand for an over-bridge and shed has also been made and if so, the time by which these will be constructed ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) A new platform is proposed to be constructed at Mahidpur Road station which is in Kota Division of Western Railway.

(b) No such request has been received.

(c) A demand for an over-bridge was received but the same was not considered justified. There has been no demand for a shed at this station.

दिल्ली में घरेलू गैस की कमी

86. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में घरेलू गैस की अत्यन्त कमी है ;

(ख) दिल्ली में घरेलू गैस प्राप्त करने के लिये कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत हैं और उनके नाम कब से प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ग) स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने गत तीन महीनों में क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ;

(घ) क्या दिल्ली में गैस सप्लाई कर्ताओं के एकाधिकार को समाप्त करने तथा इस कार्य को बहुत से लोगों को देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) (क) संघ शासित प्रदेश दिल्ली की तरल पेट्रोलियम गैस (कुकिंग गैस) की कुल मांग उत्पाद की वर्तमान उपलब्धता से बहुत अधिक है । तथापि वर्तमान ग्राहकों की मांग आमतौर से पूर्णरूप से पूरी की जाती है ।

(ख) दिल्ली में घरेलू गैस प्राप्त करने के लिये पंजीकृत कुल व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 1.3 लाख है । एक गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा अवधि स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है । भारत पेट्रोलियम के मामले में, जिन्होंने अपने नाम जनवरी, 1977 से पंजीकृत कराये थे, नये कनेक्शनों के जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई० ओ० सी० के मामले में प्रतीक्षा अवधि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है और सबसे लम्बी अवधि से प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति वर्ष 1972-73 से है ।

(ग) शहरों तथा अन्य क्षेत्रों के नये कनेक्शनों की वर्तमान मांग शोधनशालाओं की वर्तमान एल० पी० जी० उत्पादन पर आधारित उपलब्धता से कहीं अधिक है । जब तरल पेट्रोलियम गैस बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से नयी शोधनशालाओं से आरम्भ करके तथा वर्तमान शोधनशालाओं में तरल पेट्रोलियम गैस उत्पादन की अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करके प्राप्त होने लगेगी तो उत्पाद की उपलब्धता में आगामी 2 से 3 वर्षों में सुधार होने की आशा की जा सकती है । हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन रिफायनरी

में जनवरी, 1978 में कैटलिठिक डिबोट्ल ने किंग परियोजना के आरम्भ करने से तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन में उक्त रिफाइयनरी में वृद्धि होगी ।

(घ) और (ङ) एकाधिकार प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की दृष्टि से, इण्डियन आयल कारपोरेशन के तरल पेट्रोलियम गैस के वितरकों के पास ग्राहकों की संख्या की सीमा निर्धारित कर दी गई है । भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की तरल पेट्रोलियम गैस की बड़ी एजेंसियों का पुनर्गठन, छोटे वितरकों को पूर्ण रूपेण वितरक बना कर किया गया है । हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन दिल्ली में अपनी कुकिंग गैस के उत्पादन का सीधा विपणन नहीं करती है किन्तु अनुदान ग्राही के माध्यम से करती है । अनुदान ग्राही के हितों को अधिग्रहण करने के लिए बातचीत चल रही है ।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

87. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1978 को प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कितने मामले लम्बित थे ;

(ख) क्या यह सच है कि मामलों की संख्या प्रति दिन बढ़ रही है और उसके अनुपात में उनका निपटान कम हो रहा है ;

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए गत तीन मास में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ;

(घ) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में सभी रिक्त पदों को अब तक न भरने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने नए अतिरिक्त पद बनाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) 31-1-1978 को जो स्थिति थी उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है । उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों के संबंध में 31-12-1977 की स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) मामलों के संस्थित किए जाने और उनके निपटारे दोनों ही में वृद्धि होती रहती है । किन्तु संस्थित किए गए मामलों की तुलना में मामलों का निपटारा कम ही रहा ।

(ग) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है, अर्थात् :—

(i) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश की संख्या) अधिनियम, 1956 का 1977 में संशोधन किया गया और 31-12-1977 से (मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर) न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ा कर 17 कर दी गई ;

(ii) उच्चतम न्यायालय में 31-12-1977 से पूर्व जो स्थान रिक्त थे वे भर दिए गए और 30-12-77 को उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पूरी थी । न्यायमूर्ति गोस्वामी की 1-1-1978 को हुई सेवा निवृत्ति से जो स्थान रिक्त हुआ था वह भी भर दिया गया है ;

(iii) ऐसे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है जिनके बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ;

(iv) उच्च न्यायालयों के रिक्त स्थानों में से अधिकांश भर दिए गए हैं ;

(v) यह विषय भारत के मुख्य न्यायाधिपति को निर्देशित कर दिया गया है । वह उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुछ उपाय/प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं ;

(vi) बकाया मामलों की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने का अनुरोध विधि आयोग से किया गया। विधि आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है।

(घ) बड़ी संख्या में बिना भरे गए रिक्त स्थान पिछले वर्ष से चले आ रहे हैं। इनमें से बहुत से रिक्त स्थान भर दिए गए हैं। बाकी रिक्त स्थानों को और उसके बाद से रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। 1-4-1977 से कुल मिलाकर 84 नियुक्तियाँ की गई हैं जिनमें अपर न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियाँ भी सम्मिलित हैं। इनमें से 51 नियुक्तियाँ नई नियुक्तियाँ हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य प्राधिकारियों से प्रस्ताव मंगाने की पहल की है और जहाँ भी आवश्यक था, संबंधित राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरण पत्र भेज दिए गए हैं। जैसा कि ऊपर (ग) में बताया गया है, उच्चतम न्यायालय के रिक्त स्थानों को भरने के लिए तुरन्त कार्रवाई की गई जिससे कि 30-12-1977 को जब उसके न्यायाधीशों की अधिकतम मंजूर की गई संख्या बढ़ाई गई थी, उसके न्यायाधीशों की संख्या पूरी थी।

(ङ) जहाँ तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, 31 दिसम्बर, 1977 से उसके न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई है। यह कार्य उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके किया गया है। 1-4-1977 से निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या पदों के भरे जाने की तारीखों से बढ़ा दी गई है : —

मध्य प्रदेश	अपर न्यायाधीशों के 6 अतिरिक्त पद।
इलाहाबाद	अपर न्यायाधीशों के 6 अतिरिक्त पद।
पटना . .	अपर न्यायाधीशों के 3 अतिरिक्त पद।
हिमाचल प्रदेश	अपर न्यायाधीशों का 1 अतिरिक्त पद।
कर्नाटक	स्थायी न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद और अपर न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद।

विवरण

न्यायालय का नाम	31-12-1977 को लम्बित मामलों की संख्या
1	2
भारत का उच्चतम न्यायालय	18,215
उच्च न्यायालय	
इलाहाबाद	1,32,797
आन्ध्र प्रदेश	15,887
मुम्बई	52,592
कलकत्ता	72,448
दिल्ली	26,587
गोहाटी	6,548

1	2
गुजरात	11,722
हिमाचल प्रदेश	5,019
जम्मू-कश्मीर	4,742
कर्नाटक	36,449
केरल	42,739
मध्य प्रदेश	46,613
मद्रास	50,996
उड़ीसा	6,042
पटना	29,435*
पंजाब और हरियाणा	46,069
राजस्थान	16,627*
सिक्किम	22

*केवल मुख्य मामले ।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बकाया मामले

88. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :**
श्री आर० कोलनथाइवेलु :
श्री सी० एन० विश्वानाथन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के अन्त तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने मामले बकाया थे ;

(ख) छह महीने से कम, छह महीने से अधिक और एक वर्ष से कम, एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से अधिक समय से बकाया मामलों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) इतनी बड़ी संख्या में मामलों के बकाया रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) शीघ्र न्याय दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) यद्यपि उच्च न्यायालयों में मामलों के बकाया रहने के लिए अनेक बातें जिम्मेदार हैं तथापि एक मुख्य कारण यह है कि उच्च न्यायालयों के अनेक रिक्त स्थान पिछले कुछ वर्षों में भरे नहीं गए और बहुत से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं की गई जितनी अपेक्षित थी ।

(घ) बकाया मामलों को निपटाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है, अर्थात् :—

(i) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का 1977 में संशोधन किया गया और 31-12-1977 से (मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर) न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ा कर 17 कर दी गई ;

(ii) उच्चतम न्यायालय में 31-12-1977 से पूर्व जो स्थान रिक्त थे वे भर दिए गए और 30-12-1977 को उस न्यायालय के न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या पूरी थी। न्यायमूर्ति गोस्वामी की 1-1-1978 को हुई सेवा-निवृत्ति से जो स्थान रिक्त हुआ था वह भी भर दिया गया है ;

(iii) ऐसे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 1-4-1977 से बढ़ा दी गई है, जिनके बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हाल ही में निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या पदों के भरे जाने की तारीखों से बढ़ा दी गई है :—

मध्यप्रदेश	अपर न्यायाधीशों के 6 अतिरिक्त पद।
इलाहाबाद	अपर न्यायाधीशों के 6 अतिरिक्त पद।
पटना	अपर न्यायाधीशों के 3 अतिरिक्त पद।
हिमाचल प्रदेश	अपर न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद।
कर्नाटक	स्थायी न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद और अपर न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद।

(iv) उच्च न्यायालयों के रिक्त स्थानों में से अधिकाँश भर दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य प्राधिकारियों से प्रस्ताव मंगाने की पहल की है और जहाँ भी आवश्यक था, संबंधित राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरणपत्र भेज दिए गए हैं ;

(v) यह विषय भारत के मुख्य न्यायाधिपति को निर्देशित कर दिया गया है। वह उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुछ उपाय/प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं ;

(vi) बकाया मामलों की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने का अनुरोध विधि आयोग से किया गया। विधि आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है ;

(vii) विभिन्न राज्यों की बार काउंसिलों और बार एसोसियेशनों को पत्र भेज कर उनके सहयोग का और मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सुझावों का भी अनुरोध किया गया है।

विवरण—1

न्यायालय का नाम	31-12-1977 को लम्बित मामलों की संख्या
भारत का उच्चतम न्यायालय	18,215
उच्च न्यायालय	
इलाहाबाद	1,32,797
आन्ध्र प्रदेश	15,887
मुम्बई	52,592
कलकत्ता	72,448
दिल्ली	26,587

1	2	3	4
गोहाटी .			6,548
गुजरात .			11,722
हिमाचल प्रदेश			5,019
जम्मू-कश्मीर			4,742
कर्नाटक			36,449
केरल			42,739
मध्य प्रदेश			46,613
मद्रास			50,996
उड़ीसा .			6,042
पटना . .			29,435*
पंजाब और हरियाणा			46,069
राजस्थान .			16,627*
सिक्किम			22

*केवल मुख्य मामले।

विवरण-2

स्थिति जो 31 दिसम्बर, 1977 को थी

न्यायालय का नाम	1 वर्ष से कम के	1 से 2 वर्ष तक के	2 वर्ष से अधिक के
1	2	3	4
उच्चतम न्यायालय	4,874**	1,543**	8,193**
उच्च न्यायलय			
आन्ध्र प्रदेश . .	12,343	12,640	904
कलकत्ता	13,521*	13,580*	42,952*
दिल्ली	7,513	4,348	14,726
गोहाटी	1,630	1,558	3,360
गुजरात	5,017	2,721	3,984
हिमाचल प्रदेश	2,240	992	1,787
कर्नाटक	17,165*	10,051*	8,883*
मध्य प्रदेश	8,702*	6,846*	17,142*
उड़ीसा	2,992	1,631	1,419
पटना	11,207*	5,583*	12,645*
पंजाब और हरियाणा . . .	17,182	8,023	20,864
राजस्थान	3,451*	7,034*	10,142*

1	2	3	4
	स्थिति जो 30 जून, 1977 को थी		
इलाहाबाद .	15,511	28,361	81,575
मुम्बई .	12,326	11,639	29,483
जम्मू-कश्मीर .	2,161	1,076	1,100
केरल .	15,089	22,429	6,401
मद्रास .	16,108	12,858	17,959
सिक्किम	36	--	--

*केवल मुख्य मामले ।

**नियमित सुनवाई के मामले ।

कृपया ध्यान दें :--छह मास से कम समय से लम्बित मामलों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अर्राह-ससाराम लाईट रेलवे

89. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के साथ उपक्रम को राज सहायता देने सम्बन्धी करार के समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप अर्राह-ससाराम लाईट रेलवे (मार्टिन लाईट रेलवे की एक यूनिट) 15 फरवरी, 1978 से अन्तिम रूप से बन्द हो गयी है;

(ख) अर्राह-ससाराम के बीच के महत्वपूर्ण रेल सम्पर्क को बनाये रखने के बारे में विद्यमान लाईट रेलवे को बड़ी रेल लाइन में बदल कर अथवा/अन्यथा भविष्य के लिए रेलवे बोर्ड की यदि कोई योजना है तो वह क्या है ; और

(ग) क्या अर्राह-ससाराम लाईट रेलवे में छंटनी किये गये कर्मचारियों को पूर्व रेलवे अथवा अन्य किसी रेलवे में खपाने की कोई योजनाएं हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) यह विनिश्चय किया गया है कि अर्राह-ससाराम लाईट रेलवे के छंटनी किये गये कर्मचारियों को भारतीय रेलों पर नई भर्ती के रूप में खपा लिया जाये, बशर्ते कि वे उपयुक्त पाये जायें ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में ड्रिलिंग कार्य किया जाना

9[illegible]. **श्री चित्त बसु** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) [illegible] तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में अनेक स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ऐसा कार्य किया गया है; और

(ग) उसके क्या [illegible]रिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में बोदरा, बकुलतला, गलई तथा डायमंड हार्बर नामक चार स्थानों पर व्यधन कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ग) बोदरा, बकुलतला, तथा गलई संरचनाओं में प्रत्येक में खोदे गये एक-एक कुएं से हाईड्रोकार्बन्स न होने के संकेत मिले हैं। गलई संरचना में दूसरे खोदे गये कुएं में उत्पादन परीक्षण किया जा रहा है। डायमंड हार्बर में पहले कुएं को खोदा जा रहा है।

कोटशिला पुरुलिया रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

91. **श्री चित्त बसु : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में कोटशिला-पुरूलिया रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब यह किस स्थिति में है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क), (ख) और (ग) पुरुलिया-कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का यातायात सर्वेक्षण 1971 में किया गया था। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 36 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना पर 1.53 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। निर्माण कार्य शुरू करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कलकत्ता भूमिगत रेलवे

92. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना को 1979 तक पूरा करना संभव नहीं हो सकेगा, जैसा कि प्रारम्भ में निर्धारित किया गया था। यदि अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हुए तो इस परियोजना के 1986 तक पूरा होने की संभावना है।

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने की योजना

93. **श्री मुरली मनोहर जोशी :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला :
श्री यशवन्त बोरोले :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) उस समिति की, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पी०एन० भगवती और सदस्य न्यायमूर्ति श्री वी०आर० कृष्ण अय्यर हैं, कानूनी सहायता पर रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे में तोड़-फोड़ के मामले

94. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में तोड़-फोड़ की कितनी घटनायें सरकार के ध्यान में आयीं;

(ख) इनमें जन-धन की कितनी हानि हुई;

(ग) इस बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(घ) तोड़-फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) कलैण्डर वर्ष 1977 के दौरान, विभिन्न रेलों में रेल पथ के साथ छेड़-छाड़ करने के 127 मामले ध्यान में आये।

(ख) (1) 11,83,343 रुपये।

(2) उन्नीस व्यक्तियों की जानें गयीं।

(ग) छत्तीस व्यक्ति।

(घ) (1) भेद्य खंडों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और गैंगमैनों द्वारा रेल पथ की गश्त लगाने का काम शुरू किया गया है।

(2) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और गैंगमैनों द्वारा भेद्य खंडों में रेल पथ की गश्त लगाने के अलावा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों ने राज्य पुलिस कर्मचारियों/होम गार्डों/ग्राम चौकीदारों को भेद्य क्षेत्रों में रेल पथ की गश्त लगाने के लिए संघटित किया है।

(3) पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने ग्राम एवं छोटा कस्बा गश्त अधिनियम, 1918 की धाराओं को लागू करके गांव-वासियों से रेल-पथ पर निगाह रखने के लिए कहा है।

(4) तोड़-फोड़ के महत्वपूर्ण मामलों को संबंधित राज्यों के गुप्तचर विभाग के विशेष दस्तों द्वारा जांच की जा रही है।

(5) राज्य सरकारों ने आसूचना-तन्त्र को सुदृढ़ भी किया है। सभी छान-बीन करने वाली और आसूचना सम्बन्धी एजेंसियों के बीच निकट संपर्क बनाये रखा जाता है। प्राय: उपलब्ध होने वाली सूचना का सभी स्तरों पर आदान-प्रदान किया जाता है, जिससे कि तोड़-फोड़ के मामलों को रोकने और उनका पता लगाने के समन्वित प्रयास किये जा सकें।

(6) रेल पथ पर गश्त लगाने वाले रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और गैंगमैनों द्वारा की गयी सामयिक कार्रवाई के कारण नवम्बर, 1977 से रेल पथ से छेड़-छाड़ करने के 17 मामले शीघ्र ध्यान में आये, जिससे दुर्घटनाएं होने से बचीं ।

Length of Railway Line in Bihar Adivasi Areas

†95. **Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total length of railway lines in Adivasi areas of Bihar;

(b) whether any scheme has been formulated to lay new railway lines in these areas keeping in mind the necessity to develop these areas; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons there for ?

The Minister of State in the Ministry of Railways Shri Sheo Narain) (a) There are about 1680 route Kms. of railway line in the Adivasi areas of Bihar viz; Santhal Pargana, Hazaribagh, Chhotanagpur, Palamau and Singhbhum districts of the State.

(b) and (c) Surveys for the following lines have been carried out recently :—

	Length in Kms.	Cost of Construction (Rs. in crores)
1. Mandarhill-Dumka	64	7.7
2. Dumka-Baidyanathdham	63	6.96
3. Dumka-Madhupur	59	6.51
4. Giridih-Hazaribagh Town	56	8.62
5. Hazaribagh Road-Hazaribagh Town	78	12.7
6. Hazaribagh Town-Ranchi Road	40	6.18
7. Dumka-Sainthia	56	5.51
8. Dumka-Rampur Hat	54	5.18
9. Korba-Ranchi	312	68.68
10. Gua-Tatiba via Barajamda	15	4.00

Surveys for the following lines have been taken up during the year 1977-78 :

1. Ranchi Road to Giridih via Koderma.
2. Baidyanath Dham to Mandarhill.

The question of construction of these lines will depend upon the availability of resources.

Dalli-Rajhara-Bailadila Railway Line

†96. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether railway line from Dalli-Rajhara to Bailadila was sanctioned;

(b) if so, whether the construction work of this line has not yet started ; and

(c) the time by which the construction work of this line will be started ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a), (b) and (c) A survey for construction of Raipur-Dhamtari narrow gauge section into broad gauge and for construction of a new broad gauge line from Dalli-Rajhara to Jagdalpur has been completed. The whole project is expected to cost about Rs. 55 crores. The question of taking up the project for construction in suitable phases during the first Rolling Plan period is under consideration.

Facilities to Passengers at Railway Stations

†97. **Shri S. S. Somani** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount allocated for each Railway Zone to provide facilities to passengers at Railway Stations during the last three years, year-wise; and

(b) the actual amount spent by each zone under this head during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Allotment (Revised) :

(Figures in thousands of Rs.)

Railways	1974-75	1975-76	1976-77
Central . . .	92,13	18,11	13,75
Eastern . . .	36,86	8,48	37,95
Northern . .	34,53	73,99	61,39
North Eastern .	14,22	95,18	98,59
Northeast Frontier	3,67	5,40	7,45
Southern .	29,03	20,24	42,47
South Central	19,97	13,00	16,57
South Eastern	12,70	9,11	18,52
Western	22,27	37,73	39,80
Total	2,65,38	2,81,24	3,36,4

(b) Actual Amount spent :

(Figures in thousands of Rs.)

Railways	1974-75	1975-76	1976-77
Central	25,61	21,11	19,09
Eastern	36,80	9,37	36,9
Northern . . .	36,62	1,03,52	72,5
North Eastern . .	17,06	98,50	95,67
Northeast Frontier . .	5,00	5,48	7,3
Southern . . .	30,31	25,27	46,88
South Central . .	17,71	11,83	21,68
South Eastern . .	18,86	11,07	28,51
Western . .	32,53	63,11	39,52
Total	2,20,50	3,49,26	3,68,09

"बोम्बे हाई" गैस पर आधारित दो उर्वरक कारखानों के लिए स्थान

98. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई गैस पर आधारित प्रस्तावित दो उर्वरक कारखानों के स्थानों के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार के विचाराधीन कौन-कौन से स्थान हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मंडवा के अलावा, अन्य तीन या चार उचित स्थलों को ढूंढने के लिए तथा उन स्थानों पर बड़े आकार वाले उर्वरक संयंत्रों के स्थापना से संबंधित अन्य अड़चनें और सम्बद्ध लागत संबंधी जांच जारी है ।

बावल में रेल दुर्घटना के मामले में आनन्द मार्ग के एक अनुयायी की गिरफ्तारी

99. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 नवम्बर, 1977 को बावला रेलवे स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसे आनन्द मार्ग का अनुयायी बताया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे हिरासत में रखा गया है और इस बारे में विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) रेवाड़ी के एक कथित आनन्द मार्गी श्री लाडली प्रसाद को रेवाड़ी की नगर पुलिस ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन 8-12-1977 को गिरफ्तार किया था। उसे 8-12-1977 से 12-12-77 तक हिरासत में रखा गया था। उससे पूछताछ की गयी थी परन्तु कोई उपयोगी बात मालूम नहीं हुई थी। उसे 12-12-1977 को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

बाम्बे हाई में उत्पादन

100. **डा० बापू कालदाते** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई परियोजना ने अपना उत्पादन कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान खुदाई यंत्रों (ड्रिल्स) के स्थान पर अमरीका में निर्मित्त खुदाई यंत्र लाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) बम्बई अपतट में संचालन कर रहे वर्तमान 4 व्यधन जहाजों में से, 'सागर सम्राट' पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का स्वामित्व है। शेष तीन किराये पर लिये गये हैं। इनमें से दो अमेरिकन कम्पनियों के हैं और एक नार्वे की कम्पनी का है। नार्वे की रिग की किराये की अवधि समाप्त हो गई है और उसके स्थान पर दूसरी रिग का प्रयोग किया जायेगा, जिसके लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं।

रेलगाड़ियों के पटरी से उतर जाने कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

101. **बापू कालदाते :**
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 1977 से यात्री और मालगाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को इन दुर्घटनाओं के पीछे किसी राजनैतिक उद्देश्य का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 20 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Stoppage of Janta Express at Timarani Station

+103. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are considering to provide a stoppage of Janata Express at Timarani Railway station in Bhusaval Division; and

(b) if so, when ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) Does not arise.

Wagons for Forest Products of Madhya Pradesh

+104. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the requirements of wagons has not been met for the transportation of forest products from M.P.; and

(b) whether Government are considering to give priority for the provision of wagons to Forest Department of M.P. for the transportation of forest products ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) consistent with the commitments of Railways to clear essential commodities on preferential basis, efforts are made to clear traffic in forest products as expeditiously as possible. As many as 12,208 wagons have been loaded with forest products from Madhya Pradesh during the period December 1977 to February (upto 10th) 1978.

Jagdalpur-Rampur Railway Line

†105. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the proposal of laying a Railway line from Jagdalpur in Madhya Pradesh to Rampur via Dalli Rajhara ;

(b) whether survey has been undertaken; and

(c) if so, when the work of laying the railway line would start ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) and (c) A survey for conversion of Raipur-Dhamtari narrow gauge section into broad gauge and for construction of a new broad gauge line from Dhalli-Rajhara to Jagdalpur has been completed. The whole project is expected to cost about Rs. 55 crores. The question of taking up the proejct for construction in suitable phases during the first Rolling Plan period is under consideration.

Introduction of a Local Shuttle Train on Itarsi—Hoshangabad Route

†106. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a local shuttle train on Itarsi-Hoshangabad route keeping in view the number of passengers there; and

(b) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) A pair of shuttle trains between Bhopal and Itarsi is proposed to be introduced from 1-3-78.

वर्ष 1977 के दौरान तटदूर तेल के लिए खोज कार्य

107. **श्री एस० आर० दमाणी :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान बम्बई हाई को छोड़ कर तटदूर अन्य स्थानों पर तेल के लिए आरम्भ किये गये खोज कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन एजेंसियों को यह कार्य सौंपा गया है तथा किन शर्तों पर सहमति हुई है; और

(ग) किन स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य से उत्साहजनक परिणाम निकले हैं तथा किन स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य बन्द करना पड़ा तथा इन कार्यों पर कितनी लागत आई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1977 के दौरान तटवर्ती तेल की खोज

108. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान आरम्भ की गई और चल रही दोनों प्रकार की परियोजनाओं के अन्तर्गत तटवर्ती तेल की खोज के कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्य में लगी हुई एजेंसियों के नाम क्या हैं और उनसे क्या-क्या शर्तें तय की गई हैं; और

(ग) किन-किन स्थानों से उत्साहजनक परिणामों का संकेत मिला है और किन-किन स्थानों को परीक्षण के बाद छोड़ दिया गया और दोनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1977 के दौरान, देश के विभिन्न भू-क्षेत्रों में अन्वेषी सर्वेक्षण करने के लिए 13 भू-गर्भीय, 24-भू-कम्पीय, 5 गुरुत्व चुम्बकीय, 2 उथले वयाधन कार्य करने वाले दल और गहरे व्यधन कार्य संचालन करने के लिए 31-35 गहरे व्यधन कार्य करने वाले रीगों का विस्तार किया।

भू-गर्भीय क्षेत्र में काम करने वाले दलों ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, असम, नागालैण्ड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अन्डमान निकोबार तथा तमिलनाडु में लगभग 52716 वर्ग किलोमीटर में काम किया।

भू-कम्पीय क्षेत्र के दलों ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भू-कम्पीय सर्वेक्षणों से लगभग 3841 लाइन किलोमीटर में काम किया। गुरुत्व चुम्बकीय क्षेत्र के दलों ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम स्थित 5535 केन्द्रों से गुरुत्व चुम्बकीय आंकड़ों का माप किया।

वर्ष 1977 के दौरान अन्वेषी सर्वेक्षणों के अलावा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 27 संरचनाओं--गुजरात में 18, असम में 5, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एक-एक संरचना पर सतत अन्वेषी तथा विकासशील व्यधन कार्य जारी रखा। इसके अतिरिक्त ओ०एन०जी०सी० द्वारा 12 नयी संरचनाओं पर--गुजरात में 9, और असम के कछार जिले में, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में एक-एक संरचना पर व्यधन कार्य आरंभ किया गया था।

आयल इण्डिया लिमिटेड ने असम में अपने खान पट्टे वाले क्षेत्रों में अन्वेषी व्यधन कार्य जारी रखा और नींगर पी०ई०एल० क्षेत्र में अन्वेषी व्यधन कार्य अपने हाथ में ले लिया।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड ऐसी दो एजेंसियां हैं जो देश में तटवर्ती अन्वेषण कार्य कर रही है। इस कार्य के लिए कोई विशेष शर्तें स्वीकार नहीं की गयी हैं।

(ग) इस वर्ष के दौरान ओ०एन०जी०सी० के अन्वेषी व्यधन सम्बन्धी प्रयासों के परिणामस्वरूप गुजरात में दो नई संरचनाओं अर्थात् नादरा और जोताना में तेल का और गुजरात में ही अर्थात् मत्वान में एक नई संरचना में गैस का पता चला है। वर्ष 1977 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऐसी 27 संरचनाओं पर 78 कुओं की खुदाई का काम पूरा किया गया था, जिन पर अन्वेषी और विकासशील व्यधन कार्य पिछले वर्ष से चल रहा है। इनमें से 30 कुएं तेल वाले, 2 गैस वाले और 10 कुएं शुष्क पाये गये तथा बाकी 36 कुओं का परीक्षण किया जा रहा था। वर्ष 1977 के दौरान तेल तथा

प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा व्यधन कार्य के लिए आरंभ की जाने वाली 12 नई संरचनाओं पर 9 कुओं का व्यधन कार्य पूरा किया गया था जिसमें से 8 कुएं हाईड्रोकारबन वाले, 4 शुष्क कुएं पाये गये और एक कुएं का परीक्षण किया जा रहा था। आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा नींगूर पी०ई०एल० क्षेत्र में स्थित मानावस में खोदे गये एक कुएं को उसका परीक्षण किए बिना छोड़ देना पड़ा था। आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में कथाई में एक कुएं का व्यधन कार्य चल रहा है। अन्वेषी कार्य एक सतत रूप से चलने वाला कार्य होता है और इसलिये खर्चे के प्राक्कलन देना मुश्किल है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने किसी ऐसे क्षेत्र को छोड़ा नहीं है जहाँ पर वर्ष 1977 के दौरान तेल के लिए अन्वेषण कार्य आरम्भ किया गया था।

सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों द्वारा उत्पादन और क्षमता का उपयोग

109. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र में कितना-कितना उत्पादन हुआ और प्रत्येक ने कितनी क्षमता का उपयोग किया और गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उनकी स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक सत्र में निर्धारित क्षमता से भी कम उत्पादन होने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई संयंत्रवार अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या उत्पादन घट जाने के लिये कोई उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है और उसके पश्चात कोई कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर में विवरण पत्र से पता लगता है कि पिछले वर्ष के दौरान की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान नाइट्रोजन के बारे में क्षमता की उपयोगिता कम है और फास्फेट के बारे में क्षमता की उपयोगिता में पर्याप्त सुधार हुआ है। सरकारी क्षेत्र नाइट्रोजन उर्वरक एककों के उत्पादन आदि क्षमता की उपयोगिता पर प्रभाव के मुख्य कारण, सिन्दरी और उद्योगमंडल में पुराने उपस्कर, राऊरकेला में संभरण सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता, नेवेली में कठिन संभरण सामग्री और अप्रचलित प्रौद्योगिकी नंगल, दुर्गापुर और गोरखपुर में बिजली की सप्लाई में बिजली की कटौती और रुकावट, कोचीन और दुर्गापुर में प्रौद्योगिकी कठिनाइयाँ, बरौनी, नामरुप विस्तार में नई आरंभ की हुई परियोजनाओं के संचालन में अस्थिरता। इसके अलावा दुर्गापुर और नवयेली में श्रमिक कठिनाइयों के कारण भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था। राऊरकेला और नवयेली में संभरण सामग्री में परिवर्तन, नंगल एकक में ईंधन तेल पर आधारित नंगल विस्तार योजना की स्थापना से बिजली पर कम निर्भरता, कोचीन और दुर्गापुर संयंत्र में संशोधन और खाद में सुधार, बिजली में अस्थिरता को दूर करने के लिए ट्राम्बे, दुर्गापुर और गोरखपुर में कैप्टिव बिजली की सुविधाओं की व्यवस्था जैसे उपाय अपनाए गए हैं/अपनाए जा रहे हैं ताकि उत्पादन पर कठिनाइयों को दूर किया जाए। सिन्दरी अमोनियम सल्फेट प्लांट जो इस समय कोक-आवन गैस पर आधारित है उसमें सुधार हो जाएगा जब उन्हें सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना से अच्छी कोटि का जिप्सम और सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना से अमोनिया प्राप्त होगा।

विवरण

एकक	उत्पादन (000 टनों)		क्षमता की उपयोगिता प्रतिशत में	
	अप्रैल, 77— जनवरी, 78	अप्रैल, 76— जनवरी, 77	अप्रैल, 77— जनवरी, 78	अप्रैल, 76— जनवरी, 77
1	2	3	4	5
(क) नाईट्रोजन				
1. सिन्दरी	9.2	18.4	22.9	40.3
2. नाँगल	49.7	66.7	76.5	101.2
3. ट्राम्बे	70.4	74.7	119.1	123.1
4. गोरखपुर	68.3	76.0	62.4	84.5
5. नामरुप	37.2	37.4	100.0	103.2
6. नामरुप विस्तार	47.5	38.5	39.6	67.9
7. दुर्गापुर	50.9	33.1	40.2	26.0
8. बरोनी	37.8	16.0	42.6	62.1
एफ सी आई (1-8)	368.6*	360.8	56.1	70.2
9. उद्योगमंडल	41.8	35.5	61.2	52.0
10. कोचीन-1	57.9	57.8	45.7	46.3
11. कोचीन-2	15.0	—	89.3	—
12. राऊरकेला	60.9	67.2	60.9	67.4
13 नवयेली	32.6	34.0	56.2	58.8
14. मद्रास	110.2	104.3	76.2	76.5
15 उप-उत्पाद	108.2	16.3	109.0	92.8
(कुल)	706.1*	675.9	59.2	66.4
(ख) फास्फेट				
उद्योगमंडल	3.8	3.2	65.5	49.7
अन्य	10.5	7.6	40.7	30.2
(II) समूह एकक				
ट्राम्बे	31.3	37.3	104.3	123.7
उद्योगमंडल	19.3	15.7	62.7	51.9
कोचीन-II	24.9	—	52.4	—
मद्रास	78.5	42.9	84.1	58.9
कुल	169.3	106.7	72.6	64.5

नोट :— 1 औद्योगिक नाइट्रोजन, क्षमता की उपयोगिता के उद्देश्य के लिए शामिल है।

*2. 12-1-78 से जनवरी, 1978 के दौरान निर्मित्त नंगल विस्तार के 1.6 हजार टन का परीक्षण उत्पादन।

नोट : कुल प्रभावी क्षमता अर्थात् नए संयंत्रों अर्थात् कोचीन-II और टुटीकोरिन संयंत्र की उपलब्ध क्षमता के 50 प्रतिशत के स्थान पर कुल क्षमता की उपयोगिता तैयार की गई है।

भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन

110. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री राज केशर सिंह :
श्री रामानन्द तिवारी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन कार्य पूरा हो गया है और क्या परिवर्तन करने का विचार किया गया है;

(ख) क्या परिवर्तनों से होने वाले संभावित लाभों के बारे में कोई अग्रिम अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या उर्वरकों के वितरण का कार्य चारों कंपनियों द्वारा पृथक-पृथक किया जायेगा अथवा इस कार्य के लिये अलग से कोई एजेंसी बनाई जायेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो उन्हें कब कार्यरूप दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सरकार ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा नेशनल फर्टिलाइजर लि० की 5 कम्पनियों में जिनके विवरण नीचे दिये गये हैं, के पुनर्गठन का निर्णय लिया है :--

कम्पनी का नाम	एकक प्रभाग
1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया	सिन्दरी (सिन्दरी आधुनिकीकरण सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण शामिल है) गोरखपुर, तलचर, रामागुण्डम तथा कोरबा ।
2. नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन . .	नंगल, भटिंडा और पानीपत ।
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०	नामरूप, हल्दिया, बरोनी और दुर्गापुर ।
4. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि० .	ट्राम्बे के सभी एकक और बम्बई के दक्षिण में गैस पर आधारित संयंत्र ।
5. फर्टिलाइजर्स (योजना और विकास) इंडिया लि०	एफ सी आई का योजना और विकास प्रभाग ।

1 अप्रैल 1978 से उपरोक्त पुनर्गठन को कार्यान्वित करने के कदम उठाये गये हैं।

(ख) जी हाँ। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के दुबारा गठन का प्रश्न 1972 से सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में किये गये अध्ययन यह बताते हैं कि पैरा (क) में बताए गये आधार पर एफ सी आई तथा एन एफ एल के पुनर्गठन से अधिक कार्यकुशलता, अच्छी क्षमता उपयोग तथा सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उद्योग में परियोजनाओं का शीघ्रता से कार्यान्वयन होगा।

(ग) और (घ) चार उर्वरक उत्पादन कम्पनियों में से प्रत्येक का मार्किटिंग डिवीजन होगा जो कि संबंधित कम्पनी द्वारा उत्पादित उर्वरक तथा औद्योगिक उत्पादों का वितरण करेगा। इस काम के लिए कोई अलग एजेंसी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वदेशी पालिटैक्स में स्वदेशी काटन मिल्स के स्वामित्व वाले शेयरों का बेचा जाना

111. **श्री के० ए० राजन :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी शुल्क वसूल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी पालिटैक्स लिमिटेड में स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के स्वामित्व वाले शेयरों को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) क्या थापर ग्रुप ने सभी शेयर खरीदने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और एक एकाधिकारवादी को सभी शेयर बेचने के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) प्राप्त सूचना से ऐसा लगता है कि कानपुर के कलेक्टर जिन्होंने बिजली के रुपये की वसूली के लिए स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वदेशी पालीटैक्स के 10 लाख के साधारण शेयरों को जब्त कर लिया था और इन के लिए थापर समूह की एक कम्पनी बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि उसे इसके लिए कम्पनी अधिनियम, और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति मिल जाये।

(ख) और (ग) उक्त शेयरों के अधिग्रहण के लिये कम्पनी अधिनियम की धारा 108-क और 372(4) के अन्तर्गत स्वीकृति की अपेक्षा होगी। अभी तक बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि० से ऊपर कहे गए शेयरों के अधिग्रहण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि और जब कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा, उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार होगा।

ग्लैक्सो लेबोरेटरीज़ को उत्पादों के बिक्री मूल्यों के बारे में निदेश

112. **श्री के० ए० राजन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड को यह निर्देश दिया गया है कि वह भविष्य में अपनी मूल्य सूची में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करें कि उनके उत्पादों को कम्पनी द्वारा परिचालित मूल्यों से कम मूल्यों पर बेचा जा सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) हां, श्रीमान जी। एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के पास निर्बन्धनकारी व्यापार संविदा के रजिस्ट्रार द्वारा शिकायत दायर किए जाने पर आयोग ने अन्य बातों समेत यह आदेश दिया कि कम्पनी के संचयियों के साथ किये गये करार में यह संकेत होना चाहिए कि कम्पनी जो भी मूल्य सूची जारी करेगी उसमें यह बात स्पष्ट की जायेगी कि सूची में उल्लिखित कीमतें अधिकतम कीमतें है और संचयियों को यह अधिकार होगा कि इन कीमतों से नीची कीमतों पर माल बेचे। यह इसलिए है कि निर्माता कम्पनियों और उनके संचयियों के बीच करार में इस प्रकार का कोई उल्लेख कि पुनर्विक्रय पर वसूल की जाने वाली

कीमतें, विक्रेता द्वारा बताई गई कीमतें होगी, एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 के अन्तर्गत निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा है बशर्ते कि यह स्पष्ट रूप से न लिखा गया हो कि इन कीमतों से नीची कीमतें वसूल की जा सकती हैं।

औषधियों के ब्रांड नामों का समाप्त किया जाना

113. **श्री के० ए० राजन :**
श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के ब्रांड नामों को समाप्त करने संबंधी हाथी समिति की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो इस सिफारिश पर सरकार का क्या निर्णय है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) औषधों के लिए ब्रांड नामों को समाप्त करने पर समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और अंतिम निर्णय शीघ्र लेने की संभावना है।

बम्बई हाई की पूरी क्षमता का उपयोग करने की सुविधाएं

114. **श्री के० ए० राजन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस कारण से बम्बई हाई के उत्पादन में कटौती करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) बम्बई हाई के विकास कार्यक्रम को पांच चरणों में पूरा करने की धारणा बनाई जा चुकी है। बम्बई हाई के चरण I और II के लिए तय किये गये लक्ष्य (अर्थात् प्रति 80,000 बैरल के उत्पादन की दर) को पहले से प्राप्त कर लिया गया है। चरण III के जिसमें तेल तथा गैस को बम्बई हाई क्षेत्र और उत्तर बसीन क्षेत्र से उरान तक लाने ले जाने के लिए अन्तः सागरीय पाइपलाइन बिछाने और उरान से बम्बई तक स्थानान्तरण लाइन बिछाने का कार्य शामिल है, के मई, 1978 तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है। चरण ख, जिसमें अतिरिक्त कुएं, प्लेटफार्म, एक प्रक्रम प्लेटफार्म, अशोधित तेल स्थायीकरण टैंक, गैस विखंडन संयंत्र का निर्माण कार्य सम्मिलित है, के मार्च, 1980 तक पूरा होने की संभावना है। चरण-III के पूरा होने पर बम्बई हाई के संभावित उत्पादन प्रतिवर्ष 6 मिलि० मी० टन की दर से होने की आशा है। चरण-IV और V पर पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

Railway Employees Involved in Thefts of Goods

†115. **Shri Hargovind Verma** : will the Minister of **Railways** be pleased to stat :

(a) whether it is a fact that Railway employees are involved in the theft of Railway goods; and

(b) if so, the number of employees arrested in such theft cases during 1977 and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

विभिन्न रेलवे जोनों में दुमंजिले रेलवे डिब्बे

116. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न रेलवे जोनों में किस-किस मार्ग पर दुमंजिले डिब्बे चल रहे हैं; और

(ख) अगले वित्तीय वर्षों में और अधिक दुमंजिले डिब्बे लगाने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) एक प्रोटोटाइप दुमंजिले सवारी डिब्बे का निर्माण पहले ही हो चुका है। चालू साल में 12 और दुमंजिले सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है। इनका उपयोग बम्बई-पुणे खण्ड पर किया जायेगा। अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए अगले साल 24 दुमंजिले सवारी डिब्बों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

न्यायिक नियुक्तियां आयोग की स्थापना के लिए सुझाव

117. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई बार के प्रमुख सदस्यों ने न्यायिक नियुक्तियों आयोग की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) इस सुझाव को विधि आयोग को निर्देशित करने का प्रस्ताव है।

औषध क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण एककों में वेतन ढांचे का कार्यान्वयन

118. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध क्षेत्र में हाल ही में राष्ट्रीयकृत किये गये एककों के कर्मचारियों को उनके वेतन ढांचे एवं उद्योग में भागेदारी के बारे में दिए गये आश्वासनों को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं जहां वे कार्यान्वित किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

119. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या महाराष्ट्र से अथवा अन्य किसी राज्य से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसे कोई संयंत्रों के लिए मंजूरी दी है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) (ख), और (ग) जी हां। महाराष्ट्र में दो बड़े आकार वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरक संयंत्र जो कि बम्बई हाई संरचना से प्राप्त सम्बद्ध गैस पर आधारित होंगे तथा एक संयंत्र असम में नामरूप के स्थान पर ओ० एन० जी० सी० तथा आयल इण्डिया लि० के असम में तेल क्षेत्रों से प्राप्त गैस पर आधारित होगा; के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। गुजरात में एक बड़े आकार वाले नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र की स्थापना का भी विचार है।

नये पैट्रो-रसायन उद्योग समूह का विवरण

120. **श्री के० मायातेवर** :
श्री रागावलू मोहनरंगम :
श्री एस०डी० सोमसुन्दरम :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये पैट्रो-रसायन उद्योग समूहों के बारे में, प्रस्तावित स्थान, उत्पादन का मूल्य तथा मात्रा तथा इनके पूरा होने का समय दर्शाते हुए, तैयार किया जा रहा विवरण क्या है;

(ख) अमरीका, पश्चिमी जर्मनी तथा ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा इन परियोजनाओं में यदि किसी प्रकार का सहयोग देने और परियोजना स्थापित करने के लिए कोई पेशकश की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विदेशी पूंजी निवेशों को किन शर्तों पर मंजूरी देने का विचार है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मामला विचाराधीन है। कुछ प्रारंभिक अध्ययन किये जा चुके हैं और पेट्रो-रसायन उद्योग को और विकसित करने की योजनाओं को यथाशीघ्र अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

(ख) तथा (ग) इस संबंध में सरकार के विचाराधीन कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे दुर्घटनाएं

121. **श्री के० मायाथेवर** :
श्री आर० कोलनथाइवेलु :
श्री सी० के० सरोज चन्द्रप्पन :
श्री वसन्त साठे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में 1977 में दुर्घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) कितने प्रतिशत दुर्घटनायें कर्मचारियों की असफलताओं के कारण हुई और कसूरवार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) रेलों के परिचालन में दक्षता लाने के लिए क्या ठोस उपाय करने का विचार है जिससे कि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1977 में टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपारों पर दुर्घटनाओं तथा गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनाओं की कोटियों में आने वाली गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि अत्यधिक चिन्ताजनक नहीं है, जैसा कि पिछले चार वर्षों के निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट हैं :—

कलेण्डर वर्ष	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या
1977 .	837
1976 .	789
1975 .	1007
1974 . .	882

(ख) 1977 में हुई 837 दुर्घटनाओं में से 448 या 53.4 प्रतिशत दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई। कसूरवार 328 कर्मचारियों को पहले ही दण्ड दिया जा चुका है जैसा कि निम्नलिखित विवरण में बताया गया है :—

(1)	बरखास्त किये गये/नौकरी से हटाये गये .	20
(2)	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये .	1
(3)	अस्थायी कर्मचारी जो निकाले गये	4
(4)	निचले ग्रेड या उसी ग्रेड में पदावनत अथवा पदोन्नति से वंचित किये गये .	33
(5)	भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए वेतन-वृद्धियां रोकी गयीं .	216
(6)	पास और पी०टी०ओ० रोके गये . .	18
(7)	निन्दा की गयी/चेतावनी दी गयी	36

(ग) रेल कर्मचारियों की गलती गाड़ी दुर्घटनाओं का अकेला सबसे बड़ा कारण रहा है। अतः रेलों के संरक्षा संगठन गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों में अपेक्षाकृत अधिक संरक्षा की भावना जागृत करने तथा यह सुनिश्चित करने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारी अपने काम में नियमों का उल्लंघन न करें अथवा लघु तरीके न अपनायें। मियाभाय अधिकरण के पंचाट तथा 10 घंटा ड्यूटी नियम लागू करने के लिए गाड़ियों के चालन से संबंधित परिचालन कोटियों में 10,000 अतिरिक्त पद तथा रनिंग एवं अनुषंगी कर्मचारियों के 2,700 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं।

मानवीय तत्व पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उत्तरोत्तर विभिन्न परिष्कृत उपस्कर जैसे पहिया, धुरा और रेल पटरी के लिए अल्ट्रासानिक फ्लाडिटैक्टर, रेलपथ परिपथन स्वचल चेतावनी प्रणाली आदि का उपयोग किया जा रहा है।

हाल में, यह निर्णय किया गया है कि 31-3-78 तक मुख्य मार्गों के 50 स्टेशनों तथा 1981 तक शेष 430 स्टेशनों की रन थ्रू लाइनों के रेलपथ-परिपथन का काम पूरा कर लिया जाये। इसके अतिरिक्त, 25 दोषपूर्ण स्टेशनों के फाउलिंग स्थल से अग्रिम स्टार्टर तक के रेलपथ का 31-3-78 तक तथा अन्य ऐसे 75 स्टेशनों का अगले डेढ़ वर्ष तक परिपथन कर दिया जायेगा।

बाम्बे हाई से बम्बई शहर तक समुद्र के अन्दर तेल की पाइपलाइन बिछाना

122. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री बाम्बे हाई से तट तक समुद्र के अन्दर तेल की पाइपलाइन बिछाने के बारे में 15 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 245 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाम्बे हाई से बम्बई शहर तक समुद्र के अन्दर तेल की पाइपलाइन बिछाने का निर्णय किन तकनीकी आर्थिक आधारों पर लिया गया था;

(ख) इस तेल टर्मिनल के ट्राम्बे में बनाने का क्या प्रभाव होगा,; और

(ग) बाम्बे हाई से दीव तथा तारापुर सहित विभिन्न अन्य स्थलों पर तेल टर्मिनल बनाने की वैकल्पिक लागत क्या होगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेवास में उर्वरक संयंत्र

123. **श्री डी०डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से प्राप्त होने वाली गैस का उपयोग करके बम्बई के निकट रेवास में उर्वरक संयंत्र को स्थापित करने की परियोजना को छोड़ दिया गया है अथवा उसमें संशोधन किया गया है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना के विरुद्ध बम्बई में पर्याप्त जन भावना से सरकार अवगत है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना स्थल को अधिक संगत स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ने रेवास (मंडवा) के स्थान पर बम्बई हाई से प्राप्त सम्बद्ध गैस का प्रयोग करके दो बड़े आकार वाले उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने की योजना बनाई थी। यह स्थान महाराष्ट्र राज्य सरकार प्राधिकारियों की परामर्श से चुना गया था। जबकि इस परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है कि रेवास में परियोजना की स्थापना से कहीं बम्बई शहर तथा नये बम्बई क्षेत्र के प्रदूषण का बुरा प्रभाव न पड़ने लगे के मुख्यतः डर से इसकी स्थापना के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त किये गये थे। सरकार ने परियोजना की मंडवा के स्थान पर स्थापना के संबंध में नेशनल कमेटी आन इनवारनमेंटल प्लानिंग एंड कोआर्डिनेशन से अनुमति लेने तथा उनकी राय जानने के लिए निर्णय लिया है। साथ ही साथ परियोजना के लिए कोई दूसरा अच्छा स्थान ढूंढने तथा उसके लिए उचित स्थान के चयन में सम्बद्ध लागत अड़चनों की जांच भी जारी है।

Production of Fertilizers with Pyrites at Salaripura

124. **Shri Jagdish Prasad Mathur :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the stage at which the work of mining of pyrite at Salaripura stands and the potential of raw material available there; and

(b) the outline of the pilot project proposed to be set up there for production of fertilizers with the help of pyrite and the progress made so far in this regard ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) and (b) : Pyrites deposits at Saladipura are estimated to contain about 120 million tonnes of 20% sulphur grade pyrites ore reserves, out of which about 24 million tonnes with 25% sulphur grade come within the proved category. Pyrites, Phosphates & Chemicals Limited is presently engaged in exploratory activities at Saladipura. While considering the setting up of additional capacity for phosphatic fertilizers, the possibility of using Saladipura pyrites will be given due consideration alongwith other techno-economic considerations.

Demand for Direct Train from Sikar to Delhi

†125. **Shri Jagdish Prasad Mathur** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Members of Parliament and the public in general have repeatedly demanded introduction of a direct train from Sikar to Delhi or attaching at least bogies in addition to the present two bogies running on this route so as to provide relief to the people;

(b) whether the number of passenger bound for Delhi, Bengal-Assam and Bihar from stations between Sikar and Loharu has gone up considerably during the last few years; and

(c) the action proposed to be taken by Government to introduce a direct train or to attach at least two more bogies on this route ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) The daily average number of passengers from stations on Sikar-Loharu to stations on Loharu (exclusive)—Delhi and beyond was 281 during January to December, 1977.

(c) Two through coaches are now running between Sikar and Delhi. Increase in the number of through coaches is not feasible for want of room on the connecting trains. Introduction of a direct train is also not feasible for want of spare line capacity on sections enroute and the requisite terminal facilities at Delhi.

'बाम्बे हाई' में तेल का उत्पादन

126. **श्री दुर्गाचन्द्र : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "बाम्बे हाई" से इस समय प्रतिदिन कितने तेल का उत्पादन होता है;

(ख) इस उत्पादन के परिणामस्वरूप पैट्रोलियम के आयात में कमी के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(ग) 'बाम्बे हाई' में तेल के उत्पादन के लिए भविष्य का कार्यक्रम क्या है, और

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करने का है ?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बम्बई हाई से वर्तमान उत्पादन पर लगभग 80,000 बैरल प्रतिदिन है।

(ख) बम्बई हाई की वर्तमान उत्पादन दर से, अशोधित तेल के आयात में कमी करने के परिणामस्वरूप, अशोधित तेल के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत प्रतिदिन होगी।

33 LSS/77—7

(ग) बम्बई हाई तथा एसोसियेटिड संरचनाओं से वर्ष 1981-82 तक 10 मी० टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(घ) तथा (ङ) भू-वैज्ञानिक विचारों के आधार पर अन्वेषी व्यधन कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1978 के दौरान, केरल तथा अंडमान अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषी व्यधन करने का प्रस्ताव है। अन्वेषी व्यधन के परिणामों पर और निर्णयों का लिया जाना निर्भर करेगा।

नंगल–तलवाड़ा रेल लाइन

127. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है, और

(घ) उक्त परियोजना पर कार्य कब प्रारंभ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) इस परियोजना के लिए यातायात सर्वेक्षण 1973 में किया गया था। अंतिम स्थान निर्धारण (इंजीनियरी) सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है और उसके अनुसार इस लाइन की अनुमानित लागत 22.47 करोड़ रुपये है। लाइन का निर्माण शुरु करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

Shortage of Diesel

†128 **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of diesel oil in the country for the last three or four years ;

(b) whether it has seriously affected the agricultural and industrial sectors ;

(c) whether some depots for the storage of diesel are proposed to be constructed in Muradabad division; and

(d) the way Government propose to meet this shortage ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) and (b) No acute shortage of diesel oil was experienced by the oil companies in the country and the over-all demand in the country was generally met. There have, however, been temporary difficulties in availability and supplies were rushed on such occasions to meet fully this demand.

(c) Already there are arrangements for supply/storage of diesel at Moradabad. Facilities are being expanded there, both in terms of tankage and tank-wagon discharge arrangements.

(d) Care is taken to ensure that the over-all availability of diesel oil in the country is adequate. Besides, all efforts are made to make the products available at the consuming location fully according to demand.

Provision of Sleepers in all Railway Trains

†129. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he had given an assurance to provide sleeper coaches in all railway trains;

(b) if so, whether his Ministry has formulated any plan to implement this assurance; nd

(c) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain). (a) to (c) All the passenger carrying trains involving night journeys have been provided with second class sleeper coaches wherever justified. However, it is now proposed to provide 3-tier sleepers with cushioned berths on long distance fast trains on a programmed basis. The Gitanjali Express between Bombay and Howrah has already been provided with this facility.

Exploration of Oil in Mahanadi Delta by Oil India Ltd.

‡130. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government have accorded permission to Oil India Ltd. to explore oil in the Mahanadi delta area ; and

(b) if so, when the work is likely to start there and the quantity of oil likely to be obtained in the first phase ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) (a) and (b) Oil India Limited have drawn up a scheme for exploration in Mahanadi delta over an area of 6800 sq. kilometres onshore and 12,000 sq. kilometres off-shore. Exploration work will start after Petroleum Exploration Licence are granted. The information regarding availability of oil in this area will be known only after drilling is undertaken.

Availability of Rock Phosphate in Madhya Pradesh

131. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rock phosphate is available in abundance in Jhabua District of Madhya Pradesh ;

(b) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to set up a rock phosphate based fertilizer plant there; and

(c) if so, the reactions of the Government thereto ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) There are small rock phosphate deposits in Jhabua District of Madhya Pradesh.

(b) & (c) : An application had been received from Messers M.P. Agro Morarji Fertilizers Ltd. for issue of industrial licence for setting up a new industrial undertaking in the joint sector at Meghanagar, Jhabua District, Madhya Pradesh, for manufacture of 93,000 tonnes per annum of Mono Ammonium Phosphate (MAP) using rock phosphate from Jhabua. Decision on this proposal will be taken shortly.

Reducing voting age for elections of Panchayats and Municipal Corporations

‡132. **Dr. Laxminarayan Pandeya** ; Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased ot state :

(a) whether several State Governments have reduced the voting age from 21 years to 18 years for election to Panchayats, Municipalities and Municipal Corportaions;

(b) if so, the names of those States ;

(c) the action being taken by the Central Government for reducing voting age from 21 years to 18 years ; and

(d) alternatively, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) & (b) So far as Government is ware, the Government of Madhya Pradesh has reduced the age

of voting in elections to panchayats from 21 years to 18 years. According to newspaper reports, the Governments of Bihar and Himachal Pradesh have also decided to reduce the voting age in panchayats election from 21 years to 18 years.

(c) A proposal for the reduction of voting age in respect of elections to Parliament and State Legislatures from 21 years to 18 years is under Government's consideration.

(d) Does not arise.

Employees under Chief Engineer of Electrification Allahabad

†133. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of employees category-wise who had been working under the Chief Engineer of Electrification, Allahabad and number of employees whose services have been terminated as a result of stoppage of work in accordance with the Railway Board's orders in letter No. 72/RE/161/31 dated the 7th June, 1977; and

(b) the steps being taken by Government to absorb the persons elsewhere who have become unemployed as a result of winding up of Department of Electrification ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) 277 regular Class III and IV employees and 901 casual labour were working under the Chief Engineer Electrification, Allahabad on 1-6-77. Services of 314 casual labour were terminated.

(b) The casual labour have been screened and are being absorbed on the Divisions on occurrence of vacancies.

Class I Officers in North Eastern Railway, Gorakhpur

134. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a number of Class I officers, and above deputy ranks in transport commerce, personnel, accounts, tele-communications and civil engineering departments in North Eastern Railway, Gorakhpur and its divisions have been working at the same place for the last 10 to 20 years; and

(b) the names, designations and the period in respect of each for which they have been staying at the same place and the steps being taken by Government to transfer them from their present places ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) &(b) The relevant information is as follows :—

(1) Shri Ajit Rosha, Additional Chief Operating Superintendent since 1966.
(2) Shri R. C. Joshi, Additional Chief Operating Su perintendent since 1964.
(3) Shri G.P. Srivastava, Additional Chief Commercial Superintendent since 1963.
(4) Shri P. S. Dutt, Additional Chief Engineer (Track) since 1964.
(5) Shri K. M. Mall, Chief Bridge Engineer since 1962.

No rigid period for stay at one place has been fixed and transfers are made as and when necessary keeping in view the administrative requirements.

अगरतला और आसाम के बीच रेल मार्ग

135. **श्री शिवाजी पटनायक :**
श्री समर मुखर्जी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा स्थित उद्योग और वहां के लोग राज्य में उद्योग के विकास को बढ़ाने के लिए अगरतला और आसाम के बीच रेल मार्ग को मांग करते रहे हैं,

(ख) क्या इस क्षेत्र में रेल लाइनों के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं तो इस प्रकार का सवक्षण कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 1969-70 में धर्मनगर से अगरतला तक 153 कि० मी० लम्बी मीटर लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच से यह पाया गया कि इन लाइन की अनुमानित लागत 45.00 करोड़ रुपये (1969 के मूल्य स्तर के आज्ञानुसार) थी और इसे यातायात के लिए खोलने के छठें वर्ष इससे नकारात्मक प्रतिफल (– 1.52 प्रतिशत) की प्रत्याशा थी। पहले चरण के रूप में धर्मनगर से कुमारघाट तक (33.5 कि० मी०) के लिए अलग से मूल्य निर्धारण किया गया था। लाइन के इस भाग की अनुमानित लागत 8.5 करोड़ रु० लगायी गयी जिससे छठें वर्ष में 1.48 प्रतिशत प्रतिफल मिलता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन

136. **श्री पी०जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में नई भावनगर–तारापुर रेलवे लाइन के निर्माण की दिशा में कोई वास्तविक और ठोस प्रगति हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में पूर्वस्थिति बने रहने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उक्त नई लाइन के निर्माण के मामले में शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (ग) भावनगर को तारापुर से जोड़ने वाली बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। प्रस्तावित लाइन 149.82 कि० मी० लम्बी होगी और उस पर लगभग 33.65 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। इस लाइन के निर्माण को भारतीय रेलों की उस अनवरत योजना में शामिल किये जाने पर विचार किया जा रहा है जो इस समय तैयार की जा रही है।

बड़ौदा में पैट्रो रसायन समूह

137 **श्री पी०जी० मावलंकर** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा, गुजरात में पैट्रो-रसायन समूह में समग्र रूप से शीघ्र ही पूरी तरह से कार्य शुरू हो जाने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) उपरोक्त समूह के निर्माण की समग्र प्रारम्भिक लागत क्या है, और

(घ) उपरोक्त समूह में प्रति वर्ष उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं तथा पदार्थों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) तथा (ख) मैसर्स इंडियन पेट्रो-कैमोकल्स कारपोरेशन लिमि० को बड़ौदा में निम्नलिखित को सम्मिलित करके मूल रूप से एक पेट्रो-कैमोकल्स कम्पलैक्स के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया था:--

(i) जायलीन कम्पलैक्स तथा एफ डी एम टी एकक सहित एरोमेटिक्स परियोजना ;

(ii) नेफथा क्रैकर सहित एक ओलफिल परियोजना, एक पाइरोलाइसिस गैसोलीन हाईड्रोजेनेशन एकक, एक बेंजीन एक्सट्रेक्शन एकक तथा एक बूटाडीन एक्सट्रेक्शन एकक।

(iii) आलफिन्स परियोजना के निम्नलिखित डाउन स्ट्रीम एकक:--

1. लो डेंसिटी पोलीथिलीन।
2. पोलीप्रोपोलीन
3. एथिलीन ग्लाइकोल
4. पोलीबूटाडीन रबड़
5. एक्रीलोफट्राइल
6. स्क्रीलिक फाइबर
7. स्टिमेंट एल्कीलेट

एरोमेटिक परियोजना के विभिन्न एककों ने वर्ष 1973-74 में उत्पादन आरम्भ कर दिया था।

ओलफिंस परियोजना तथा उसके डाउन स्ट्रीप एककों को मार्च तथा जुलाई, 1978 के बीच चरणबद्ध ढंग से आरम्भ करने की आशा की जाती है।

अभी हाल में, दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित नई परियोजनाओं में निवेश के लिये स्वीकृति जारी की गई है:-

(i) पीवीसी का उत्पादन करने वाला एक संयंत्र।

(ii) एक्रीलेट्स का उत्पादन करने वाला एक संयंत्र।

(iii) 24,000 मी० टन प्रति वर्ष वाले डीएमटी के वर्तमान एकक की क्षमता को 30,000 मी० टन प्रति वर्ष तक विस्तार करना।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र ही किए जाने की आशा है।

(ग) एरोमेटिक परियोजना, ओलम्पिक परियोजना तथा डाउन स्ट्रीम एककों की स्वीकृत अनुमानित लागत 374.87 करोड़ रुपये है। नई परियोजनाओं अर्थात् पी.वी.सी संयंत्र, एक्रीलेट्स संयंत्र तथा डी एम टी एकक के विस्तार के लिए 62.62 करोड़ रुपयों की धन राशि को निवेश करने की स्वीकृति हुई है।

(घ) आई पी सी एल के पेट्रो-कैमीकल्स कम्पलैक्स के विभिन्न एककों की उत्पादन क्षमता नीचे दी गई हैं :—

परियोजना	उत्पाद	क्षमता (मी० टन/प्रति वर्ष)
1. एरोमेटिक्स	डी एम टी	30,000 (विस्तार के पश्चात्)
	पेरोजायलीन	17,000
	आर्थोलाइलीन/मिश्रित जाइलीन	23,500
2. आल्फिम	इथिलीन (पोलियर ग्रेड)	1,30,000
	प्रोपीलीन (पोलीमर ग्रेड)	35,000
	प्रोपीलीन (रसायन ग्रेड)	43,300
	बूटाडीन	22,000
	बेंजीन	23,600
	लाइट पाइरोलीसिम गेसोलीन	29,300
	हैवी पाइरोलीसिम गैसोलीन	34,600
	रैफ्फीनेट	8,200
	कार्बन ब्लैक फीड-स्टाक	17,900
3. लो डेंसिटि पोलिथिलेन	लो डेंसिटी पोलिथिलीन	80,000
4. पोलीप्रोपीलीन	पोलीप्रोपीलीन रेसिन	30,000
	अग्रेक्टिक पोलीमर	3,000
5. एक्रीलोनाइट्राइल	एक्रीलोनाइट्राइल	24,000
	हाईड्रोकार्बनिक एसिड	3,600
	एसीटोनी ट्राइल	900
6. एक्रीलिक फाइबर	एक्रीलिक फाइबर	12,000
7. पोलीबूटाडीन रबड़	पोलीबूटाडीन संश्लिष्ट रबड़	20,000
8. डिटरजेंट एल्केलेट	लाइनियर एल्कफाइल बेंजीन	30,000
	पोलो एल्फायल बेंजीन	2,500
	हैवी एन-परार्फिस	25,000
9. इथिलीन ग्लाइकोल	इथिलीन ग्लाइकोल	20,000
	पोलिथिलीन ग्लाइकोल	2,400
	शुद्ध इथिलीन आक्साइड	5,000
10. पी वी सी	पी वी सी	55,000
11. एक्रीलेट्स	एक्रीलेट्स	10,000

वीरमगाम, श्रोखा तथा पोरबन्दर मीटरगेज सेक्शन कोब्राडगेज में बदलना

138. **श्री बसन्त कुमार पंडित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीरमगांम, श्रोखा तथा पोरबन्दर मीटरगेज सेक्शन को ब्राडगेज में बदलने संबंधी प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन हैं, श्रौर यदि हां, तो इसके बदलने पर कुल कितनी लागत श्रायेगी,

(ख) इन प्रस्तावों के लिये पिछले बजट में कितनी राशि मंजूर की गई थी श्रौर गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी,

(ग) श्रौद्योगिक विकास श्रौर रक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सेक्शन को ब्राडगेज में कब तक बदला जायेगा, श्रौर

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात श्रौद्योगिक विकास निगम सरकार से इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए निरन्तर आग्रह कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। इस परियोजना की नवीनतम श्रनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ रुपये है।

(ख)

(करोड़ रुपयों में)

	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
1	2	3	4	5
रेलवे बजट में की गयी व्यवस्था . .	4.93	4.00	5.76	5.50
खर्च की गयी रकम . .	3.08	3.48	3.50	श्रांकड़े वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध होंगे

(ग) इस संबंध में कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह बात इस परियोजना के लिए वर्षानुवर्ष उपलब्ध होने वाली राशि पर निर्भर होगी।

(घ) इस संबंध में गुजरात श्रौद्योगिक विकास निगम से रेल मंत्रालय को कोई श्रभ्यावेदन प्राप्त हुश्रा प्रतीत नहीं होता।

श्रौषध कम्पनियों के लाभ के श्रनुपात में कमी करना

139. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन श्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाथी समिति ने सामान्य तौर पर श्रौषध कम्पनियों के लाभ के श्रनुपात में काफी कमी करने की सिफारिश की है श्रौर बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को विदेशी पूंजी में कमी करने का सुझाव दिया है ; श्रौर

(ख) क्या सरकार ने उपयरोक्त मामले में श्रन्तर्गत विभिन्न पहलुश्रों की पूरी जांच कर ली है श्रौर रक्षा मंत्री की श्रध्यक्षता में नियुक्त उप-समिति ने क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) लाभ गुंजाइश की तुलना में वर्तमान मूल्यों पर औषध और भेषज उद्योग पर हाथी समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) फिलहाल देश में निर्मित प्रपुंज औषधों पर कराधान के पश्चात् निवेश की गई पूंजी पर 15 प्रतिशत प्रति प्राप्ति दी गई है। हाथी समिति ने औषध की महत्वपूर्णता तथा पेचीदगी के अनुसार इक्विटी पर कराधान के पश्चात् 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच की प्रति प्राप्ति की सिफारिश की है, अर्थात् प्रपुंज औषधों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रदत्त पूंजी और आरक्षण आधार माने गये हैं। हाथी समिति के इस सुझाव से कई औषधों पर लाभ गुंजाइश में वृद्धि/कमी हो सकती है।

(2) फिलहाल, सूत्रयोगों के सम्बन्ध में मार्क-अप सूत्रयोगों के फैक्टरी से बाहिर के मूल्यों में शून्य से 15 प्रतिशत अधिक है। हाथी समिति ने सूत्रयोगों के कुल विक्रय पर अधिकतम लाभ 8 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच होने सम्बन्धी सिफारिश की। अगर समिति की सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं तो इससे कई अनिवार्य औषध सूत्रयोगों के मूल्यों में वृद्धि तथा कई अन्य सूत्रयोगों के मूल्यों में कमी हो जायेगी।

हाथी समिति ने बहुमत से सिफारिश की कि इस देश में काम कर रही विदेशी उपक्रमों को अपने विदेशी साम्यपूंजी को 40 प्रतिशत तक तत्काल कम करने के लिए तथा आगे और धीरे धीरे 26 प्रतिशत तक कम करने के लिए निदेश दिये जाएं।

उपरोक्त सहित, हाथी समिति की सभी सिफारिशें विचार के अग्रिम स्तर पर हैं तथा अन्तिम निर्णय शीघ्र लिये जाने की आशा है।

अल्कोहल और सीरे का उत्पादन

140. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 के दौरान अलकोहल और सीरे का कुल कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1978 में कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सीरा बोर्ड ने इन दोनों वस्तुओं के राज्यवार आधार पर समुचित आवंटन के लिए कोई सुझाव दिया है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा अपेक्षित अल्कोहल और सीरे की औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अल्कोहल वर्ष 1976-77 और 1977-78 (दिसम्बर से नवम्बर तक) के दौरान अल्कोहल और सीरा का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	अल्कोहल (मिलियन लिटरों में)	शीरा (लाख मी० टनों में)
(1)	(2)	(3)
1976-77 . .	445.23	22.15
1977-78 . . . (अनुमानित)	489.45	25.03

(ख) और (ग) केन्द्रीय शीरा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अल्कोहल और शीरे का आवंटन अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों में किया जाता है ताकि कमी वाले राज्यों की सारी औद्योगिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

सरकार ने अल्कोहल और शीरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि सभी राज्यों की सारी औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इनमें, शीरे के लिए पर्याप्त भंडार सुविधाओं की व्यवस्थाएं आबंटन के लिए खांडसारी शीरे का प्रयोग और अल्कोहल तथा शीरे के मूल्यों पर नियन्त्रण शामिल है।

कोंकण रेलवे

141. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**

श्री आर० के० महालगी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने प्रस्तावित कोंकण रेलवे बम्बई-मंगलौर पर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) उक्त परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या सरकार ने इस सेक्शन के लिए आगामी 3 वर्षों के लिये कोई योजना बनाई है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भूमि प्राप्त करने तथा रोजगार गारंटी योजना से श्रमिकों की व्यवस्था करने में सहायता देने की पेशकश की है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 239 करोड़ रुपये।

(ग) इस परियोजना के प्रथम चरण के रूप में, आप्टा से रोहा तक के 62 कि० मी० लम्बे खण्ड के निर्माण के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(घ) जी हां।

बम्बई हाई से अशोधित तेल का उत्पादन

142. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बम्बई हाई से अशोधित तेल के उत्पादन की प्रति दिन दर क्या है; और

(ख) क्या इस स्रोत से अशोधित तेल के अधिकतम उत्पादन के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 80,000 बैरल प्रतिदिन।

(ख) बम्बई हाई का विकास पांच चरणों में किये जाने की परिकल्पना की गई है। बम्बई हाई के चरण-I तथा II के लिये निर्धारित लक्ष्य (अर्थात् प्रतिदिन 80,000 बैरल की उत्पादन दर को) पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। चरण-III-क में तेल तथा गैस को बम्बई हाई क्षेत्र और उत्तर बसीन क्षेत्र से उरान तक लाने ले जाने के लिये अन्त: सागरीय टैंक पाइपलाइनें बिछाने और उरान से ट्राम्बे तक स्थानान्तरण लाइनें बिछाने का काम शामिल है और इसकी मई, 1978 तक पूरा हो जाने की आशा है।

अतिरिक्त कुये प्लेटफार्म, प्रक्रिया प्लेटफार्म, कच्चे तेल को भंडार करने के टैंक, गैस विखंडन संयंत्र आदि चरण-III-ख में शामिल हैं और इनकी मार्च, 1980 तक पूरा करने की संभावना है। चरण-III के पूरा हो जाने पर, बम्बई हाई से 6 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष की दर से उत्पादन होने की आशा की जाती है। चरण II और I के लिये निवेष करने के निर्णय अभी नहीं लिये गये हैं। इन चरणों के दौरान, अतिरिक्त प्लेटफार्म तथा प्रक्रिया सुविधाओं का विकास किया जायेगा। चरण I के अन्त तक बम्बई हाई से 10 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की दर से उत्पादन होने की आशा की जाती है।

नई रेल गाड़ियों का चलाया जाना

143. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में बहुत सी नई रेल गाड़ियां चलाई हैं, यदि हां, तो इस मामले का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस समय चल रही गाड़ियों की गति बढ़ाने और उनके ठीक समय पर आवागमन को सुनिश्चित करने के लिये भी कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अक्तूबर, 1977 से लागू नई समय सारणी में 31 जोड़ी अनुपनगरीय गाड़ियां चलाई/बढ़ाई गयीं। अक्तूबर की समय सारणी के लागू होने के बाद, निम्नलिखित यात्री गाड़ियां हाल ही में चलाई गयीं :—

(i) 59/60 बम्बई वी० टी० हावड़ा गीतांजली एक्सप्रेस। इसकी आवृति सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर चार बार कर दी गई है।

(ii) पुरी-राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस

(iii) दिल्ली-शाहदरा बागपेट रोड यात्री गाड़ी

(iv) खगरिया समस्तीपुर यात्री गाड़ी

(v) 23/24 बम्बई सेंट्रल-दिल्ली जनता एक्सप्रेस फिरोजपुर तक बढ़ा दी गई है।

(vi) 109/110 लखनऊ-बांदा एक्सप्रेस को मानिकपुर तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) इस समय, गाड़ियों की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समय-पालन बनाये रखने के प्रत्येक संभव प्रयास किये जा रहे हैं। जनवरी, 1978 के दौरान डाक/एक्सप्रैस और यात्री गाड़ियों का वर्तमान समय-पालन औसत 92.5 प्रतिशत है।

मतदान की आयु को कम करने का विनिश्चय

144. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्रीमती पार्वती देवी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने के प्रश्न के पक्ष में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर विचार किस स्थिति-में है; और

(ग) इस मामले पर कोई अन्तिम विनिश्चय कब तक किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क), (ख) और (ग) लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के सम्बन्ध में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने के प्रश्न पर निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है। इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इस मामले में विनिश्चय कब तक किया जायेगा।

हाथी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

145. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री पी०जी० मावलंकर :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री बसन्त साठे :
श्री सी० एन० विश्नाथन :
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, जैसा कि गत सत्र में आश्वासन दिया गया था, हाथी समिति के प्रतिवदन की सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये संसद ने गत सत्र के बाद से कोई ठोस कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सस्ती औषधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और औषधियों के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (घ) औषध और भेषज उद्योग पर हाथी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ औषधों के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की थी। सरकार के अनेक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य मूल्यनीति तैयार करने की है जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर औषध उपलब्ध कराया जायेगा। हाथी समिति की सिफारिशों पर अन्तिम विचार किया जा रहा है। औषधों के मूल्यों को कम करने को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा उठाये गये कुछ कदम नीचे दिये गये हैं:—

(i) 9 मई, 1977 से पहले केवल 16 प्रपुंज औषधों के पेटेंट अथवा स्वामित्व प्राप्त दवाइयां 2.5% के उत्पाद-शुल्क की रियायती दर के लिये योग्य थीं जबकि सामान्य उत्पाद-शुल्क 12.5% है। इसके अलावा 10 मई, 1977 से सरकार ने निम्नलिखित प्रपुंज औषधों वाली पेटेंट अथवा स्वामित्व प्राप्त दवाइयों पर भी 12.5% से 2.5% तक उत्पादन-शुल्क कम किया है:—

(1) क्लोरोक्विन फास्फेट

(2) अमोडियाक्यून

(3) टोलबूटामाइड

(4) मेट्रोनीडाजोल

(5) डाइथीलकारवामेजाइन सीट्रेट

(6) पाइप्राजाइन और उसके लवण

(7) रिफमपीसिन

(8) टैट्रासाइकलिन एचसीएल

(9) क्लोफजीमाइन

(ii) 75 जीवन रक्षा औषध सूत्रयोगों को सीमा शुल्क से पूरी छूट है जब वे वास्तविक उपभोक्ता द्वारा आयात किये जाते हैं।

इन उपायों के परिणामस्वरूप कुछ औषध सूत्रयोगों के मूल्य पहले ही कम हो गये हैं।

कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गई सावधिक जमा राशि

146. **श्री बसन्त साठे:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी कम्पनियां ब्याज की आकर्षक दरों पर जनता से सावधिक जमा राशियां जुटा लेती है और ब्याज तथा मूल धनराशि का भुगतान करने से इन्कार करके जमाकर्ताओं को धोखा देती हैं ;

(ख) क्या ऐसी कम्पनियों द्वारा ऐसी ठगी के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये उपयुक्त कानून बनाकर वैधिक कार्यवाही करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में जो कार्यवाही की गई हो अथवा किये जाने का विचार हो उसका ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) सरकार को जमाकर्ताओं से कुछ कम्पनियों द्वारा सावधिक जमा राशियों के परिपक्व होने पर मूल और सूद को देने में चूक के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार गैर-बैंकिग और गैर वित्तीय कम्पनियां, जनता से केवल उक्त नियमों में निर्धारित सीमाओं तक ही जमाराशियां स्वीकार कर सकती है। उचित मामलों में गैर-बैंकिंग और गैर वित्तीय कम्पनियां और उनके अधिकारियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58क और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न चूक के लिये मुकदमें दायर किये जाते हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति नहीं प्राप्त है कि वह कम्पनियों की परिपक्व होने पर जमाराशियों और/या उस पर सूद को वापस देने के लिये विवश करे किन्तु ऐसी आशा की जाती है कि उच्चसत्ता सम्पन्न विशेषज्ञ समिति जो इस समय कम्पनी अधिनियम, 1956 पर पुर्नविचार कर रही है, अन्य मामलों के साथ जमाकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर विचार करेगी और उचित उपायों का सुझाव देगी।

रेल कर्मचारियों द्वारा बोनस, मंहगाई भत्ते और न्यूनतम मजूरी की मांग

147. **श्री बसन्त साठे :**

श्री लखनलाल कपूर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों को बोनस, महंगाई भत्ते तथा न्यूनतम मजूरी जैसी प्रमुख मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या मजदूर संघों ने इस मामले को लेकर हड़ताल करने की धमकी दी है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) **बोनस और न्यूनतम वेतन** :—इन विषयों का वेतन, आय और मूल्य नीति के प्रश्न से निकट सम्बन्ध है और सरकार द्वारा नियुक्त भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा इस प्रश्न का गहराई से अध्ययन कर लिये जाने के बाद इन विषयों पर विचार किया जायेगा।

मंहगाई भत्ता :—यह एक आम विषय है जिस पर रेल मंत्रालय अकेले ही कोई विचार नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे व्यापक विषयों पर सरकार को केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होता है।

(ख) एक फेडरेशन की कार्यकारी समिति ने जिससे रेल कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों का एक दल सम्बद्ध है, अपनी सभी सम्बद्ध यूनियनों से कहा है कि हड़ताल के लिये मतदान के निर्णय की पुष्टि करने के लिये अपने अपने विधान के अनुसार उपयुक्त समितियों की बैठकें बुलायें और इस काम को अप्रैल, 1978 के अन्त तक पूरा कर लें।

एक अन्य फेडरेशन जिससे मान्यता प्राप्त यूनियनों का दूसरा दल सम्बद्ध है, की प्रधान परिषद् ने अपने से सम्बद्ध सभी यूनियनों से कहा है कि वे आम हड़ताल से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिये मार्च, 1978 के अन्त तक बैठकें बुलायें और आगे की लड़ाई के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश फेडरेशन की प्रधान परिषद/कार्यकारी समिति को विचारार्थ भेजें ताकि हड़ताल के लिये मतदान की तिथि निश्चित की जा सके।

इस प्रकार हड़ताल के लिये मतदान कराने से सम्बन्धित कुछ आवश्यकता प्राथमिक कार्यवाही अभी जारी है।

(ग) दोनों ही मान्यताप्राप्त फेडरेशनों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और उठाये गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में सरकार के विचार उन्हें विस्तार से बता दिये गये हैं। सरकार यह आश्वासन देना चाहती है कि विचार विमर्श और बातचीत का द्वार सदैव खुला है।

Minimum age for voting in Panchayat Elections

†148. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that minimum age for voting in Panchayat elections in Madhya Pradesh has been reduced to 18 years;

(b) whether it was done after consulting the Election Commission;

(c) which are other such States where the minimum age for voting has been reduced for Panchayat Elections or some other election; and

(d) whether Government propose to reduce the minimum voting age to 18 years for Assembly and Lok Sabha elections ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. As the Election Commission is not concerned with elections to panchayats, the question of its being consulted by the State Governments on matters relating to elections to panchayats does not arise.

(c) According to newspaper reports, the Governments of Bihar and Himachal Pradesh have also decided to reduce the voting age in panchayat elections from 21 years to 18 years.

(d) A proposal in this regard is under consideration.

Security Deposit for Cooking Gas Connection

149. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that amount of security deposit to have a cooking gas connection has been raised from Rs. 200 to Rs. 500;

(b) if so, the reasons therefor, and whether it will cause hardships to the common people and gas connections will be obtained by the rich people only;

(c) whether any interest is paid on security deposit; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) and (b) The present rate of security deposit is Rs. 175 per cylinder and Rs. 20 per regulator except in the case of Bharat Petroleum where security deposit per cylinder is Rs. 250.

(c) and (d) The security deposit, which does not carry any interest goes to the marketing company which owns the cylinders. At any time, more than one cylinder is required per consumer to take care of maintenance, transit time, etc. This requires extra investment. On the other hand, no rent is charged on the cylinder from the consumer. Security deposit is refunded when the cylinder is surrendered. This is an industry practice and the Oil Prices Committee has taken this practice into consideration in fixing the marketing margins for the marketing companies.

ISI Specification for Kerosene

150. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Indian Standards Institution have prescribed any new specification for Kerosene;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether oil is being produced according to that specification and if not, the reasons therefor;

(d) whether Kerosene was not being produced according to any standard before; and

(e) if it was being produced according to some standard, the details thereof ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a), (b), (c), (d) and (e) Kerosene is manufactured in the country in accordance

with the specifications prescribed by the Indian Standard Institution from time to time. The lastest specification is IS:1459-1974 (second revision 1974). In 1974, after the oil crisis and subsequent price increase for petroleum products at the request of Government of India, ISI decided to issue temporary emergency specification for kerosene (IS : 7574-1975) for the purpose of making additional kerosene from the same amount of crude oils given to the various refineries.

In preparing this emergency specification the changes required from the existing specifications were kept to the minimum. This Temporary Emergency Specification, which differed from the regular specification only in the smoke point and sulphur content limits, was in fact made use of only in cases where it was absolutely essential for increasing the kerosene availability. The necessity for keeping in force this Emergency Specification has been kept constantly under review by the Government of India and the ISI, and it was decided in July, 1977 by ISI that the Emergency Specification should be withdrawn and the regular specification No. IS : 1459-1974 (second revision) will be in force except that the smoke point specification is kept at 18 m.m. minimum instead of at 20 m.m. minimum. These specifications are in force now.

Manuals and forms in use

†151. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of manuals and forms which are being used by his Ministry/Departments;

(b) the number of forms translated into Hindi and the number of those printed in diglot form;

(c) the reasons for not getting the remaining forms translated or printed in diglot form; and

(d) the time by which these will be prepared in diglot form ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) 7 manuals and 416 forms in all.

(b) 7 manuals and 182 forms have been translated into Hindi. Of these 4 manuals and 60 forms have been printed in diglot form.

(c) The remaining 234 forms are being translated into Hindi.

(d) Efforts are being made to complete the work as early as possible.

Courses in Hindi in Training Institutes

†152. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of training institutes functioning under his Ministry and its attached and subordinate offices;

(b) the number of courses being conducted by these training institutes;

(c) the number of courses being conducted in Hindi and English separately; and

(d) the steps taken to conduct those courses in Hindi which are still being conducted in English ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) No training institute is functioning under the administrative control of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs.

(b), (c) & (d) : Do not arise.

Level Crossings near Chaparan and Poha Villages

†153. **Shri Laxmi Narain Nayak :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether he is aware of my letters dated 16th June, 1977 and 15th July, 1977 written to him for constructing level crossing near village Chaparan between Tota and Harpalpur Railway stations and another level crossing near village Poha in Jhansi-Manikpur Division of Central Railway, respectively;

(b) whether it is a fact that in reply to both the letters vide his letters No. 76/W-1/LX/C.R. and No. 77/W-1/LX/47 he has stated that if the people thought it necessary and that the State Government is prepared to bear the cost of constructing the level crossings the Railway Department may consider the proposal; and

(c) whether in view of the public interest the level crossings on both the places will be constructed by the Railway itself instead of putting this burden on the State Government by amending Railway Rules ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No. The financial liability for the provision of new level crossing has to be borne by the State Government/Local Authority. Action in this regard can be taken only after the State Government sponsors the proposal together with an undertaking to bear the cost.

पीलीभीत माला सेक्शन में रेल पटरी की तोड़-फोड़

154. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1977 के दौरान उत्तर पूर्व रेलवे के पीलीभीत माला सेक्शन में रेल पटरी को लोहा आरी से काटने की घटना का पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो इसका पता किसने लगाया;

(ग) क्या किसी विशेष दिन 53-अप यात्री गाड़ी को दी गई अग्रिम सूचना से बड़ी भारी दुर्घटना टल गई; और

(घ) यदि हां, तो क्या अपराधियों को दण्ड देने के बारे में आगे कोई प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, 23 दिसम्बर, 1977 को पूर्वोत्तर रेलवे के पीलीभीत माला खण्ड पर शाहगढ़ और माला स्टेशनों के बीच।

(ख) 61-अप गाड़ी के ड्राइवर ने, जब वह प्रभावित स्थल से गुजर रहा था, एक झटका महसूस किया और सहायक रेल पथ निरीक्षक ने, जो 62-डाउन गाड़ी से आये थे, कटे हुए स्थल का पता लगा लिया।

(ग) 61-अप के ड्राइवर की रिपोर्ट पर 62-डाउन के ड्राइवर को न कि 53-अप के ड्राइवर को यह अग्रिम सूचना दी गई थी कि शाहगढ़ से माला तक कम रफ्तार से गाड़ी ले जाये और इस प्रकार एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली गई थी।

(घ) पीलीभीत की सरकारी रेलवे पुलिस ने एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश का गुप्तचर विभाग इस मामले की अभी जांच पड़ताल कर रहा है।

दिल्ली को आ रही 81-अप डीलक्स रेलगाड़ी में हुई डकैती

155. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1977 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली को आ रही 81-अप डीलक्स रेलगाड़ी में खतरनाक डकैती हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यात्रियों की सुरक्षा करने में असमर्थ रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को शीघ्र रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) 25-12-1977 की रात को, उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मण्डल पर इलाहाबाद और फतेहपुर स्टेशनों के बीच, 81-अप डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ी में चोरी की एक वारदात हुई, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

81-अप डीलक्स एक्सप्रेस जब फतेहपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी सिगनल के पास पहुंची, तब चोरों ने एक 3-टियर शयनयान में से यात्रियों के दो सूटकेस और एक बाक्स गाड़ी से नीचे गिरा दिये और वे चलती गाड़ी से कूद पड़े। सरकारी रेलवे पुलिस, फतेहपुर के स्टेशन अधिकारी ने रेलपथ पर खोज की और एक चोर को बाक्स के साथ गिरफ्तार कर लिया जिसमें माल सुरक्षित था । यह अपराधी मद्रास का रहने वाला है और उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उसके साथ 5 व्यक्ति और हैं, जो हैदराबाद और मद्रास के रहने वाले हैं । लखनऊ में छापे मारे गये जिनके परिणामस्वरूप 3,691 रुपये मूल्य की सम्पत्ति बरामद हुई। सब-इंस्पेक्टर/सरकारी रेलवे पुलिस, प्रयाग ने फाफामऊ स्टेशन के समीप रेलपथ के निकट दूसरा बाक्स सुरक्षित पाया जो इसी गाड़ी के एक अन्य यात्री का था। जांच करने पर पता चला कि चोरों का यह गिरोह कलकत्ता से चला करता था और दिल्ली, पठानकोट तथा लखनऊ में अपराध किया करता था। सभी, 6 अपराधियों को आरोप पत्र दिये गये हैं। और मामला न्यायालय में चल रहा है । भारत के विभिन्न भागों में क्रियाशील इस गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिये पुलिस द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

सवारी गाड़ियों में चल रहे सरकारी रेलवे पुलिस के मार्गरक्षियों के अलावा, लम्बी दूरी की कुछ महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में रात के समय रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी भी चलते हैं । महत्वपूर्ण स्टेशनों पर गाड़ियों की छतों के ऊपर, गलियारों और योजक गलियारों की विशेष जांच की जाती है।

Compensation paid to Victims of Railway Accidents

†156. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons killed in the railway accidents during the period April, 1977 to December, 1977 and total money paid by way of compensation;

(b) whether different amounts of compensation are paid to the passengers of First Class, Second Class and air-conditioned coaches or the amount is paid on uniform basis; and

(c) in case different amounts are paid the basis thereof ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) 251 persons, which included 21 railway staff, 163 passengers and 67 others, were killed in train accidents

in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains, which occurred on the Indian Government Railways during the period 1-4-77 to 31-12-77. A sum of Rs. 11,82,504 has so far been paid as compensation to the victims of these accidents under Indian Railways act.

(b) The amount of compensation is uniform based on the nature of injury sustained by a passenger irrespective of class of travel.

(c) Does not arise.

प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की मंजूरी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

157. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों तथा अन्य निदेशकों को प्रबन्धीय पारिश्रमिक की मंजूरी देने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रबन्ध निदेशकों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें कम्पनी के लाभ में उनके हिस्से के अतिरिक्त चार हजार रुपय प्रतिमाह से अधिक की राशि मंजूर की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान, जी।

(ख) प्रबन्ध पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक, आयु, योग्यतायें, व्यापार अनुभव, पहले लिये गये वेतन, तथा कम्पनी के आकार, लगी हुई पूंजी, इसकी लभ्यता तथा अन्य संबंधित कार्य की गणना करते हुए स्वीकृत किया जाता है । स्वीकृत पारिश्रमिक निम्नांकित अधिकतम सीमाओं के अधीन होता है :--

(1) वेतन : 75,00 रु० प्रतिमास ।

(2) कमीशन : वेतन के 50 प्रतिशत अर्थात् 45,000 रु० प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर कम्पनी के शुद्ध लाभ का 1 प्रतिशत। लाभों के न होने, अथवा अपर्याप्त होने की दशा में वेतन 5,000 रु० प्रति मास की अधिकतम सीमा के आधार पर होगा। लाभों के पर्याप्त अथवा अपर्याप्त, दोनों ही दशाओं में, वेतन के अतिरिक्त प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नांकित में से एक या अधिक परिलब्धियां भी दी जा सकती है :--

(क) भविष्य निधि सुविधायें
(ख) अधिवार्षिकी निधि सुविधायें
(ग) उपदान
(घ) चिकित्सा सुविधायें
(ङ) छुट्टी
(च) छुट्टी यात्रा अनुदान/बाहर जाने की सुविधायें
(छ) सुसज्जित/असज्जित आवास
(ज) निजी दुर्घटना बीमा
(झ) कार का मुफ्त प्रयोग/ड्राइवर सहित कार
(ट) मुफ्त टेलीफोन सुविधा
(ठ) दो क्लबों के अधिकतम सीमा के आधार पर क्लबों के शुल्क में अभिदान उपरोक्त मार्गदर्शक नियमों के आधार पर प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रबन्धक वर्ग की नियुक्तियों के अनुमोदन गत 21 वर्षों से किये जा रहे हैं, और लगभग 8000 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं। यह सूचना शीघ्रतः देने के लिए विभाग कोई रिकार्ड नहीं रख रहा है।

फालतू अलकोहल को पैट्रोल के साथ मिलाने का प्रस्ताव

158. **श्री सी०के० जाफर शरीफ :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू अलकोहल को पेट्रोल के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकारों के विचार जान लिये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) धीरे-धीरे नशाबन्दी लागू करने के कारण राजस्व में हानि को आंशिक रूप में कम करने के लिए पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक अल्कोहल मिलाने का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की गई है और इस पर 26-11-1977 को केन्द्रीय शीरा बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में भी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श हुआ था। इस प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं पाया गया था क्योंकि आरगेनिक रसायन उद्योग में पेट्रोलियम सम्भरण सामग्री के स्थान पर अल्कोहल पहले ही सम्भरण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल के साथ अल्कोहल मिलाने की किसी प्रकार की प्रक्रिया अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योगों को धक्का पहुंचेगा।

बेरोजगार नैमित्तिक श्रमिक

159. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट सिगनल एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर ताम्बरम, मद्रास के अधीन कार्य कर रहे बहुत से नैमित्तिक श्रमिक स्थायी किये जाने की आशा के बिना ही कार्य कर रहे हैं हालांकि वे 9 वर्ष से अधिक की अवधि से कार्य कर रहे हैं और वस्तुतः बहुत से मामलों में वे बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये श्रमिक आधुनिकतम उपकरणों का रख-रखाव कर रहे हैं और रेलवे उपक्रमों के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन श्रमिकों को इनकी पिछली सेवा का लाभ देते हुए स्थायी आधार पर नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ग) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रूप में समाहित करने के लिए रिक्त स्थानों की उपलब्ध संख्या, उनकी सेवा अवधि, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जाता है। काम के अभाव में 72 कनिष्ठतम नैमित्तिक श्रमिकों की छटनी की गयी है।

(ख) ये श्रमिक नियमित कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में निर्माण कार्यों में सिगनल एवं दूर-संचार उपस्कर का संचालन करते रहे हैं।

भारतीय तेल निगम के बाजार अंश में कमी

160. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम, जिसने नीचे से उठकर पेट्रोलियम उत्पादों के 62 प्रतिशत बाजार पर अधिकार कर लिया था, सरकार द्वारा उसका बाजार अंश ज़बरदस्ती 55 प्रतिशत तक किये जाने के खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या तेल मूल्य समिति ने सुझाव दिया हैं कि भारतीय तेल निगम का बाजार कम किया जाना चाहिये;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम ने इस निर्णय के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) तेल मूल्य समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की है कि जहां आई० ओ० सी० को तेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये वहां इसके लगभग 61% के वर्तमान शेयर को धीरे-धीरे कम करना चाहिये और सभी तेल कम्पनियों के लिए समान उत्पादन दर अनुज्ञेय होनी चाहिये । इस सिफारिश पर सरकारी निर्णय यह है कि उन तेल कम्पनियों के (असम आयल कम्पनी को छोड़कर), जो अब पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में है, सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने और प्रत्येक तेल कम्पनी की सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग करने के लिये प्रत्येक कम्पनी विपणन शेयर सरकार द्वारा तय किया जायेगा और बिक्री मात्रा तथा विपणन मार्जिन की वसूली को अभिशासित करने के लिए एक पद्धति लागू की जायेगी । तदनुसार, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के परामर्श से आई० ओ० सी० तथा अन्य तेल कम्पनियों के मार्केट शेयर के बारे में अगले कुछ वर्षों के लिए निर्णय ले लिया गया है ।

मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज के बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धनारी व्यापार प्रक्रिया आयोग को की गई शिकायतें

161. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारी प्रक्रिया आयोग को इस आशय की कोई शिकायत की गई है कि मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज़ इण्डिया लिमिटेड, जो अन्य चीजों के साथ-साथ औषधियां, परिष्कृत रसायन, प्रयोगशाला रसायन, विटामिन तथा मिल्क फूड बनाती है और उसे बेचती है, पर निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं अपनाने का आरोप लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग ने उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) अपनी स्थापना के समय से अब तक एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने ग्लैक्सो लैबोरेटरीज़ (इण्डिया) लिमिटेड के विरुद्ध चार शिकायतें प्राप्त कीं । इनमें से दो इसके द्वारा निपटा दी गई हैं क्योंकि उनमें एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने वाली किसी भी निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा का आरोप नहीं था । दो शिकायतें अभी परीक्षण की प्रक्रिया के अधीन हैं । उपयुक्त शिकायतों के अलावा, निर्बन्धनकारी व्यापार संविदा के रजिस्ट्रार के प्रार्थना-पत्र

पर आयोग ने ग्लैक्सो लेबोरेटरीज़ (इण्डिया) लि० के विरुद्ध एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के 1969 की धारा 10(क)(iii)/37 के अन्तर्गत एक जांच स्थापित की । किन्तु कम्पनी ने आयोग की, अधिनियम की धारा 37(1) के अन्तर्गत आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया है और आयोग द्वारा 5 दिसम्बर, 1977 को एक आज्ञा पास की गई । ग्लैक्सो लेबोरेटरीज़ (इण्डिया) लि० ने अपने पालन-शपथपत्र को आयोग की आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत कर दिया है और वह परीक्षणाधीन है ।

भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन

162. **श्री आर० मोहनरंगम** ; क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक निगम को पृथक-पृथक एककों में विभाजित करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस विभाजन की कार्यपद्धति क्या है;

(ग) विभिन्न एककों के मध्य विद्यमान तकनीकी और प्रबन्धकीय कर्मचारियों के वितरण का तरीका क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इन कर्मचारियों को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने और सेवावधि में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होने का विस्तृत अवसर हो ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) भारतीय उर्वरक निगमों के पुनर्गठन के मुख्य कारण ये थे कि निर्णय लेने में अधिक एकीकरण को समाप्त करना क्षेत्रीय एककों को अधिक अधिकार देना और अधिक कार्य-कुशलता को प्राप्त करना, अच्छी क्षमता की उपयोगिता और परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन करना है ।

(ख) सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम को निम्नलिखित 5 कम्पनियों में पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :—

कम्पनी का नाम	एकक/प्रभाग
1. भारतीय उर्वरक निगम . .	सिन्दरी (सिन्दरी आधुनिकीकरण और सिन्दरी सुव्यवस्थायीकरण सहित) गोरखपुर, तालचर, रामागण्डम और कोरबा ।
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० . .	नंगल, भटिंडा और पानीपत
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि० .	नामरूप, हल्दिया, बरौनी और दुर्गापुर
4. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० .	ट्राम्बे के सभी एकक और दक्षिण बम्बई में गैस पर आधारित संयंत्र ।
5. फर्टिलाइजर्स (योजना और विकास) इण्डिया लि० ।	एफ० सी० आई० के पी० एण्ड डी० प्रभाग ।

(ग) संयंत्रों का दोनों तकनीकी और प्रबन्धकीय सारा स्टाफ उस कम्पनी को आबंटित किया जाएगा जो उनका प्रशासन करेगा । मुख्यालय के अधिकारी नई कम्पनियों के मुख्यालय को आबंटित किए जाएंगे ।

(घ) नई कम्पनियों में कर्मचारियों के भविष्य के अवसरों को सुरक्षित रखने को ध्यान में रखकर यह निर्णय ले लिया गया है कि सम्मिलित काडर में पदों के लिए पदोन्नति, अन्तर कम्पनी पदोन्नति समिति, जो इस उद्देश्य के लिए गठित की गई है, के आधार पर किए जाएंगे।

शिम्राखाला-दंकुनी रेलवे लाइन

163. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे में शिम्राखाला-दंकुनी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख), (ग) और (घ) 17 कि०मी० लम्बी डानकुनी-शियाखला लाइन का निर्माण 1973-74 के बजट में अनुमोदित हुआ था। भूमि की लागत को छोड़कर जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा मुफ्त की जायेगी, इस लाइन के निर्माण पर 3.50 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। धन की अतिसीमित उपलब्धता के कारण इस लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि उपलब्ध धन का उपयोग चालू परियोजनाओं को पूरा करने में किया जा रहा है।

हावड़ा-अमटा-चम्पाडंगा बड़ी लाईन

164. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा अमटा चम्पाडंगा बड़ी रेल लाइन के निर्माण में पर्याप्त धन के अभाव के कारण विलम्ब हो गया है;

(ख) 1977-78 के बजट में कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या सरकार उक्त परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हां।

(ख) 1977-78 में 34 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी थी।

(ग) यह वर्ष समाप्त होने जा रहा है और अतिरिक्त धन की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष में करना सम्भव होगा।

फ्रांस की एक फर्म के सहयोग से बाम्बे हाई के विकास के बारे में सी०एफ०पी० फ्रांस के साथ बातचीत

165. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांसीसी तेल कम्पनी, सी० एफ० पी० के प्रधान श्री ग्रेनियर दा लबाक ने हाल में देश की यात्रा की थी और बम्बई हाई के विकास में इसके सहयोग के मामलों पर बातचीत की थी;

(ख) क्या यह सच है कि अपने मूल परामर्शदाता करार में कथित धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में उक्त फर्म के बारे में जांच पड़ताल चल रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और जो बातचीत हुई उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) तथा (ग) सी० एफ० पी० के प्रधान महानिदेशक श्री ग्रेनियर डीलिबक ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और सी० एफ० पी० तथा भारत के बीच सहयोग के लिए कुछ क्षेत्रों का प्रस्ताविक पेश किया था। बम्बई हाई के विकास के सम्बन्ध में सी० एफ० पी० तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच हुए करार के सम्बन्ध में विशेष रूप से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था।

सी० एफ० पी० तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच हुए करार के सम्बन्ध में एक फौजदारी मामला आरम्भ कर दिया गया है और यह मामला इस समय सी० बी० आई० की जांच के अन्तर्गत है।

इंडियन मैडिकल एसोसिएशन के अध्यन दल द्वारा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकलल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित औषधियों के बारे में प्रतिवेदन

166. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित औषधियों के बारे में इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां

(ख) आई० एम० ए० दल के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :—

1. आई डी पी एल, हैदराबाद

1. रूसी सहयोगियों द्वारा दी गई 16 औषधों की तुलना में आज इस प्लांट में 36 मूल औषधों का उत्पादन हो रहा है। यह महत्वपूर्ण विकास प्लांट में कार्य करने वाले अनुसंधान वैज्ञानिकों टेक्नोलाजीविज्ञों तथा इंजीनियरों के उत्साह के फलस्वरूप सम्भव हो सका है।

2 उपोत्पादों का उचित उपयोग करके अतिरिक्त मदों का उत्पादन किया जा सकता है।

3. 13 मदों के आयात का प्रतिस्थापन करके इस प्लांट ने 78.76 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

4. कुछ मदों में आई० डी० पी० एल० का स्तर अमरीकी तथा रूसी फार्माकोपिया से भी ऊपर है।

5. क्वालिटी नियंत्रण एकक में यह देखा गया कि राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में उत्पादन होने वाली अनुरूप औषधों का स्तर क्षमता जब उपलब्धता विलेयता सम्बन्धी परीक्षण नित्यक्रम रूप से किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि आई० डी० पी० एल० द्वारा उत्पादित औषधें बहुत जाने माने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बनायी गयी औषधों से किसी प्रकार भी घटिया नहीं है।

6. अत्याधिक व्यय का प्रत्यक्षतः कोई प्रमाण नहीं था।

7. क्वालिटी के बावजूद भी आई० डी० पी० एल० के उत्पादों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों के मूल्य में बहुत अन्तर है। फिर भी आई० डी० पी० एल० की औषधों को वह समर्थन नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिये और इसके मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं:--

(क) डाक्टरी व्यवसाय के एक हिस्से में यह गहरी धारणा है कि विदेशी कम्पनियों के उत्पाद अधिक प्रभावी हैं।

(ख) कुछ लोगों में विदेशी औषधों के लिये अभिरुचि है।

(ग) प्रचार की कमी विशेषतः डाक्टरी व्यवसाय में।

आई० डी० पी० एल० ऋषीकेष

8. यह सम्भवतः विश्व में सबसे बड़े प्रतिजीवी प्लांटों में से एक है।

9. इस प्लांट में कच्चे माल की क्वालिटी उत्पादन प्रक्रिया मध्यवर्ती उत्पादों तथा तैयार उत्पादों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। क्वालिटी नियंत्रण विभाग मार्केट में भेजे गये उत्पादों तथा उनकी क्षमता पर स्वतन्त्र शिकायत पुनरवलोकन स्थिरता जैव- उपलब्धता अध्ययनों द्वारा निगरानी रखता है।

10. उत्पादों का लगभग 5 प्रतिशत बहिष्कृत किया जाता है। यह कम किया जाना चाहिये।

11. टाईप 'ए' तथा टाईप 'बी' पुराने क्वाटरों में शीघ्र संशोधन की आवश्यकता है।

12. जो व्यक्ति औद्योगिक खतरे में काम कर रहे हैं उनकी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ विशेष डाक्टरी जांच की जानी चाहिये।

13. सभी कर्मचारियों ने प्लांट के लिये निष्ठा, ईमानदारी तथा स्नेह का प्रदर्शन किया है। इस प्लांट में उत्पादन की जाने वाली औषधों की क्वालटी की तुलना विदेशी कम्पनियों के उत्पाद के साथ की जा सकती है।

आई० डी० पी० एल० शल्य उपकरण प्लांट, मद्रास

14. उपकरणों की क्वालटी संतोषजनक थी यद्यपि उनका मूल्य निजी क्षेत्र के प्लांटों में बनाये जाने वाले उपकरणों से अधिक है।

15. अत्यधिक व्यय का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ था।

16. कुछ कर्मचारियों के घरों में जाकर देखा गया कि ये संतोषजनक है।

17. इस सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी पर तथा जो काम यह कर रही है उस पर गर्व करने का प्रत्येक कारण है यद्यपि मार्केट क्षमता के हिसाब से अभी काफी कुछ करना बाकी है।

सिफारिशें

आई० डी० पी० एल०, हैदराबाद

1. देश के सभी क्षेत्रों में विशेषतः पूर्वी तथा दूर पूर्वी भाग में सामान्य तथा बेरोक टोक सप्लाई को बनाये रखने के लिये मार्केटिंग भाग में सुधार किया जाना चाहिये।

2. यदि आवश्यक हो तो देश के दूर-दूर के भागों में आई डी पी एल की औषध पहुंचाने के लिये रेल मंत्रालय का सहयोग प्राप्त किया जाये।

3. प्रचार के साधनों में सुधार किया जाना चाहिये। वह राष्ट्रीय कम्पनियां अपने बजट का लगभग 33 प्रतिशत प्रचार पर व्यय करते हैं जब कि आई डी पी एल मुश्किल से 8-10 प्रतिशत व्यय करता है।

4. रक्षा रेल, डाकतार बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों को मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजा जाना चाहिये कि वे आई डी पी एल की औषध लें।

5. सलफा आदि के जो स्टाक इकट्ठे हो गये हैं उन्हें निपटाने के लिये मार्केटिंग प्रभाग को सभी राज्यों में सार्वजनिक उपयोग के लिये इनका वितरण करना चाहिये। डीलरों को विक्रय के लिये पर्याप्त प्रलोभन भी दिया जाना चाहिये ताकि वे आई डी पी एल की औषधों का विक्रय बढ़ाना लाभकारक समझें।

6. सलफानोमाईड का उत्पादन बन्द किया जाना चाहिये—अन्य सभी सलफा औषधों का उचित चिकित्सीय मूल्य है।

7. सभी तरह से पूर्ण 50 बिस्तर वाला एक हस्पताल होना चाहिये जिस में विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त हों।

8. महिला कर्मचारियों के लिये शिशुसदन की सुविधा होनी चाहिए।

9. डाक्सीसाईक्लीन का उत्पादन कुछ समय के लिये रोक दिया जाना चाहिये क्योंकि यह एक मंहगी औषधि है। और विवधीकरण की बजाय आई डी पी एल को अपनी प्रभावी वर्तमान औषधों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये।

10. स्ट्रप्टोमाईसीन सलफेट का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये जब तक कि हम आत्म-निर्भर नहीं होते। स्ट्रप्टोपेनिसलीन जैसे स्ट्रप्टोमाईसीन मिश्रण बन्द किये जाने चाहियें।

11. वर्तमान और भावी कार्यक्रमों में आई डी पी एल हैदराबाद में अनुसंधान तथा विकास को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

12. (भट्टी के तेल सहित) कच्चे माल जो या तो आयात किये जाते हैं या प्राप्त किया जाता है उस पर सरकार को विभिन्न करों से छूट देनी चाहिये।

13. प्रत्येक कर्मचारी को या तो वास्तविक प्लांट क्षेत्र में या उसके समीप आवास मिलना चाहिये।

14. जिन कर्मचारियों को खतरे, रसायनों/गैसों आदि का सामना करना पड़ता है उनके लिये पर्याप्त पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था होनी चाहिये।

15. जिन स्थानों पर उत्तेजनशील गैस या शोर की समस्या है वहां रक्षात्कर साधनों की व्यवस्था होनी चाहिये।

16. सरकार को जाति नाम प्रयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति की घोषणा कर देनी चाहिये ताकि सभी कम्पनियों को अपनी औषधियों के लिये जाति नाम का प्रयोग आवश्यक रूप से करना पड़े जैसा कि आई०डी०पी०एल० कर रहा है।

आई० डी० पी० एल० शल्य उपकरण प्लांट, मद्रास

17. इस प्लांट के साईज का और अच्छा उपयोग किया जा सकता है और इसे एक व्यवहार्य तथा आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

18. विज्ञापन, उत्पादों के विक्रय तथा जन सम्पर्क की दृष्टि से मार्केटिंग सेवाओं का स्वतन्त्र विशेषज्ञों की सलाह से पूर्ण मूल्यांकन किया जाना चाहिये ताकि प्लांट के उत्पादों का विक्रय बढ़े ।

19. सर्जीकल माईक्रोस्कोप, ई०सी०जी० यंत्रों ओटोस्कोप तथा आडियोमीटर जैसे अन्य उपकरण बनाने पर इस प्लांट को विचार करना चाहिये ।

आई०एम०ए० दल के रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें उसके निष्कर्ष तथा सिफारिशें दी हुई हैं आई० डी०पी०एल० को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी गयी है।

त्रिपुरा में उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना

167. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने त्रिपुरा में उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संभावना है कि केन्द्रीय सरकार वहां उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने के लिए कार्यवाही करेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अगरतला में कार्य का जितना भार है उसको देखते हुए बेंच की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

बड़े उद्योग गृहों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के व्यय पर रोक के लिए कम्पनी अधिनियम में परिवर्तन

168. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा मनोरंजन, अतिथि-गृहों के रख-रखाव और अधिकारियों एवं निदेशकों को परिलब्धियों के भुगतान पर ठाट-बाट के व्यय को रोकने की दृष्टि से कम्पनी-अधिनियम में परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख) : सरकार ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबंधों के पुनर्विलोकन तथा इन दोनों अधिनियमों में संशोधनों के सुझाव देने, के लिये न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में, एक विशेषज्ञ समिति पहले ही नियुक्त कर दी है । सरकार ने वेतन, आय तथा मूल्य नीति की परीक्षा करने के लिये श्री भूतलिंगम की अध्यक्षता में एक अध्ययन समूह भी नियुक्त किया है। इन दोनों निकायों की रिपोर्टें प्राप्त होने पर, इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में ड्रिलिंग पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया गया व्यय

169. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में तेल के लिए ड्रिलिंग पर अब तक कुल कितना व्यय किया है

(ख) कितने मामलों में ड्रिलिंग कार्य स्थगित अथवा समाप्त कर दिया गया है;

(ग) कुछ स्थलों पर भारी धन व्यय करने के बाद ड्रिलिंग का कार्य समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) किन स्थानों पर ड्रिलिंग का कार्य अभी भी चल रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में तेल के व्ययन कार्य पर नवम्बर, 1977 के अन्त काल 193.36 लाख रुपये के मूल्य ह्रास सहित 684.83 लाख रुपये का कुल खर्च किया गया है ।

(ख) और (ग) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में अब तक चार अन्वेषी कुएं-बोदरा तथा यचुत्तला संरचनाओं में एक एक और गलेथी संरचना में दो कुएं खोदे हैं । विभिन्न व्यधन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण बोदरा स्थित कुएं पर चल रहे व्यधन कार्य को प्रायोजित गहराई तक पहुचने से पूर्व ही बन्द कर देना पड़ा था । बकुल तला संरचना स्थित कुएं में व्यधन कार्य अथवा परीक्षण करने के दौरान किसी प्रकार के हाईड्रोकार्बन्स की विद्यमानता का पता नहीं चला था । इसी प्रकार से संरचना पर खोदे गये पहले कुएं में भी व्यधन कार्य अथवा परीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गैस अथवा तेल की विद्यमानता का कोई संकेत नहीं मिला ।

संरचना में खोदे गये दूसरे कुएं में इस समय उत्पादन सम्बन्धी परीक्षण किया जा रहा है ।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस समय पश्चिम बंगाल में जयहार्बर संरचनाओं में एक कुआं खोद रहा है ।

बड़े औद्योगिक गृहों का समस्त उत्पादन और लाभ

170. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियों में वृद्धि के बारे में 20 दिसम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनमें से प्रत्येक गृह का 1972 और 1975 में कुल कितना उत्पादन था और उससे सकल लाभ कितना हुआ;

(ख) 1972 और 1975 में निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र की कुल आस्तियों में इन 20 गृहों का कितने प्रतिशत अंश थे; और

(ग) इन बड़े औद्योगिक गृहों की अत्यधिक वृद्धि की रोकथाम के लिये एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया आयोग की क्या भूमिका थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) संलग्न विवरण-पत्र में, प्रश्न में निर्देशित घरानों के 1972 तथा 1975 के वर्षों के कुल व्यापारावर्त तथा करों के पूर्व लाभों के आंकड़े दिये गये हैं ।

(ख) निगम निजी क्षेत्र की कुल परिसम्पत्तियों में इन 20 घरानों के प्रतिशत हिस्से बताते हुये आवश्यक सूचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग वृहद औद्योगिक घरानों की अत्यधिक बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए यथा शक्ति यत्न कर रहा है, जैसा कि इसके कार्य-कलापों पर सांविधिक रिपोर्ट, जो प्रति वर्ष सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है, से स्पष्ट है।

विवरण

दिनांक 21-2-1978 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के भाग क के उत्तर में निर्देशित विवरण-पत्र

प्रश्न में निर्देशित 20 औद्योगिक घरानों के व्यापारवर्त तथा करों से पूर्व लाभ

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	औद्योगिक घराने का नाम	1972		1975	
		व्यापारावर्त	करों से पूर्वलाभ	व्यापारावर्त	करों से पूर्वलाभ
1.	टाटा	689.91	48.83	1060.04	75.45
2.	बिड़ला	553.46	44.28	936.11	83.99
3.	मफतलाल*	190.86	14.65	337.19	22.16
4.	जे० के० सिंघानिया	103.65	5.92	198.87	16.38
5.	थापर*	154.66	11.04	251.85	26.69
6.	सिंधिया	50.65	5.44	90.85	16.80
7.	आई० सी० आई०	149.07	17.47	238.78	22.88
8.	श्रीराम	176.48	10.48	241.03	5.38
9.	ए० सी० सी०	94.23	4.45	142.15	10.2
10.	बांगुर*	142.10	7.40	210.35	8.39
11.	किर्लोस्कर	76.05	2.10	181.99	13.93
12.	लार्जन एण्ड टोब्रो	55.70	4.65	108.92	11.47
13.	वालचन्द	103.27	1.22	162.62	4.34
14.	खटाऊ (बम्बई)	107.71	5.57	193.18	16.66
15.	आई० टी० सी०	236.56	9.03	367.04	10.19
16.	मैकनील एण्ड मैगोर	112.12	4.43	97.68	7.26
17.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	74.26	3.65	113.91	1.80
18.	साराभाई	98.69	3.75	162.02	2.46
19.	कस्तूरभाई लालभाई	83.42	9.04	137.09	15.52
20.	टी०वी०एस० आयन्गार	80.90	7.72	138.87	13.36

* निम्नांकित कम्पनियों के 1972 के वर्ष के लाभ-हानि के लेखे उपलब्ध नहीं हैं, अतः ऊपर प्रदर्शित योगों में उनके ये आंकड़े सम्मिलित नहीं किये गये हैं:—

1. मफतलाल गागलभाई एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०, मफतलाल समूह में।
2. श्री लक्ष्मी पैकागिंग एंड अलाईड प्रोडक्ट लि०, बांगुर समूह में।
3. ओरियन्टल इंजीनियरिंग एण्ड कामर्शियल कम्पनी लि०, थापर समूह में।

मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड का निदेशक बोर्ड

171. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) इसके मुख्य शेयरधारी कौन-कौन हैं और उनमें से प्रत्येक के पास कितने मूल्य के शेयर हैं;

(ग) क्या कम्पनी के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक पर अनियमितताओं के गम्भीर आरोप हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) उन आरोपों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और काम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (ग) हां, श्रीमान् जी ।

(घ) एक विवरण पत्र सलग्न है (सलग्नक 'ग')

(ङ) मामले पर कम्पनी से सम्पर्क किया गया है ।

(क) 27-6-1977 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार मद्रास अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल संरचना ।

निदेशकों के नाम :

1. श्री आर० वेन्कटास्वामी नायडू ।
   (प्रबन्ध निदेशक)
2. श्री पी० आर० रामा कृष्णन ।
   (प्रबन्ध निदेशक)
3. श्री टी० ए० वरधीजी, आई०सी०एस० (अवकाश प्राप्त)
4. श्री एन० एन० कपाडिया ।
5. श्री ओरिओ जी० आन्द्रिणी ।
6. श्री वी० राधाकृष्णन ।
7. श्री गियोसेप्पी कालियोली ।
8. डा० आद्रीनो फेरातिनी ।
9. श्री एम० वी० कामथ ।
10. श्री वी राजकुमार ।
11. श्री तनुभाई डी० देसाई ।
12. श्री एच० पी० कोठारी ।
13. डा० जी० एस० लाधना ।
14. श्री टी० एन० सेशान, आई०ए०एस० ।
15. श्री सी०एन० राधवन, आई०एस०एस० ।

(ख) मुख्य हिस्सेधारी तथा प्रत्येक द्वारा धारित हिस्सों का मूल्य

नाम	(एक लाख रु० के मूल्य से अधिक की धारितायें) राशि रु० में
(क) विदेशी सहयोगियों द्वारा विदेशी धारितायें	
मै० अलूमैंटल एस० पी० ए०	1,20,00,000
(ख) सरकारी/सरकारी उत्तरदायी वित्तीय संस्थान	
1. भारत का जीवन बीमा निगम	18,85,500
2. यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया	21,31,000
3. इन्डस्ट्रियल फाइनेंसियल कारपोरेशन	27,90,500
4. जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इन्डिया	25,53,000
5. राष्ट्रीकृत बैंक	3,32,000
6. तामिलनाडू इन्डस्ट्रियल इन्वैस्टमैन्ट कारपोरेशन लि०	70,00,000
7. इन्डियन सीमेन्ट्स लि०	5,00,000
8. जयपुर शुगर कम्पनी लि०	3,67,800
9. रामकृष्ण मशीनरी कारपोरेशन प्रा० लि०	1,00,000
10. थिरुमूर्ति मिल्स लि०	3,40,000
11. दि विस्या बैंक लि०	12,64,500
12. श्री आर० वेन्कटास्वामी नायडू	2,10,000
13. पी० आर० रामकृष्णन	1,10,000

(ग) हां, श्रीमान जी ।

(घ) प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं के अभियोग की मुख्य बातें ।

(1) कम्पनी दुखद स्थिति तक मात्र प्रबन्ध निदेशक की लापरवाही एकतरफा और स्वेच्छाचारी कुप्रशासन और कुप्रबन्ध के कारण लाई गई है । कम्पनी ने पिछले चार वर्षों में लाभांश नहीं दिया है और अभी तक गत दो वर्षों के लिए 3½ करोड़ रुपए की घिसाई का प्रावधान कम्पनी की बैलेन्स-शीट में नहीं किया गया है । कम्पनी के शेयरों की बोली बाजार में उनके मूल्य के आधे पर बड़ी मुश्किल से लगती है ।

(2) तमिलनाडू के विद्युत मंडल का 9 करोड़ से ज्यादा रुपया कम्पनी के बकाये के रुपये में देना है जिसमें से करीब 7 करोड़ रुपया महज जुर्माने के रूप में है जो एक प्रबन्ध निदेशक की कर्तव्य हीनता और लापरवाही के कारण है ।

(3) यह अभियोग लगाया गया है कि एक प्रबन्ध निदेशक को सहयोगियों को विदेशों में औजारों और मशीनों की खरीद के लिए दी गई अदायगियों में से एक मोटी रकम बतौर कमीशन के मिली है ।

(4) वित्तीय संस्थानों को ऋण की अदायगी के रूप में बकाया रकम करीब 120 लाख रुपये हैं। यह करीब 80 लाख रुपये की विरीयता वाले लाभांश के बकाये के रूप में है ।

(5) एक प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी के लाभ और साधनों को अपने निजी खाते में जमा किया है और वह अब भी जमा करता आ रहा है ।

(6) कानूनी लागत लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में संकेत किया है कि कृषि कार्यों से होने वाले लाभ का हिसाब नहीं रखा गया है ।

(7) बक्साइट की खदान और ढलाई में अनेक अनियमित सौदेबाजियां हो रहीं हैं ।

(8) मामले पर कम्पनी से सम्पर्क किया गया है ।

Misuse of Licences by Distillery in Ujjain

172. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Ptrcleum and Chemicals and Fertilizers be** pleased to state :

(a) Whether the proprietors of distillery situated in Ujjain misuse their licences in large scale and sub-standard products are being sold by them under the label of standard quality ; and

(b) whether it is a fact that examination of wine produced in the aforesaid distillery is not carried out by any department with the result that they sell highly sub-standard products on high prices and it has resulted in the loss of many lives ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers : (Shri Janeshwar Mishra) : (a) No, Sir.

(b) The liquor produced in the distillery is analysed chemically twise a year and there has been no adverse report. No loss of life has been reported in the District of Ujjain due to liquor.

बम्बई के निकट भारतीय उर्वरक निगम के संयंत्रों द्वारा फैलाये गये दूषण

173. **डा० सुब्रमण्यम स्वामी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के नागरिकों ने भारतीय उर्वरक निगम के संयंत्रों द्वारा फैलाये गये दूषण के बारे में केन्द्रीय सरकार से विरोध किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बंध में कोई दूषण विरोधी नीति तैयार की है और यदि हां, तो उस नीति का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के ट्राम्बे एकक सहित विभिन्न उद्योगों के कारण चेम्बूर/ट्राम्बे में प्रदूषण के बारे में बम्बई नागरिकों से अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं ।

पानी प्रदूषण पर नियन्त्रण के लिए कानून पहले ही चल रहा है । लागू प्रदूषण के नियन्त्रण और रोकथाम के लिए कानून का भी प्रस्ताव है ।

जहां तक फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के ट्राम्बे एकक का सम्बन्ध है, सभी अपेक्षित कदम, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं कि कारखाने और वातावरण से निस्सरण के कारण प्रदूषण स्तरों को अनुमति सीमाओं तक रखा जाए। ट्राम्बे में प्रदूषण को कम करने के लिए पहले ही अपनाए गए और अपनाये जाने वाले उपायों पर 887 लाख रुपये की लागत का अनुमान है ।

इसके अलावा बम्बई हाई क्रूड से निकाले गए कम सल्फर तेल द्वारा आयातित क्रूड तेल से निकाले गए हाई सल्फर ईंधन तक और ट्राम्बे-चैम्बूर क्षेत्र में उद्योगों में ईंधन/संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग के लिए बम्बई हाई से कम सल्फर गैस के प्रतिस्थापन से उस क्षेत्र में एस ओ 2 निस्सरण का स्तर अगले तीन वर्षों में पर्याप्त रूप में कम हो जाएगा ।

Expenditure on Mid-term Elections

†174. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law, Justiee and Company Affairs** be pleased to state the total expenditure incurred so far by the Central Government on Mid-term elections in the States since January, 1978?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : No expenditure has been incurred by the Central Government so far on mid term Elections in the States since January, 1978, as no such elections have been held after January, 1978.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, 1957 और भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन अधिसूचनाएं

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रेलवे सुरक्षा दल (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 32 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेलवे सुरक्षा दल (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 33 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1518/78]

(2) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 56 (ख) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० आ० 200 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1519/78]

विधेयकों पर अनुमति

Assent to Bills

सचिव : महोदय, मैं गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1977

(2) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1977

(3) बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977

33 LSS/77—9

सचिव : मैं गत सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणिकृत रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल (अर्जन) और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1977

(2) अन्तर्देशीय वाष्प जलयान (संशोधन) विधेयक, 1977

(3) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित संशोधन विधेयक, 1977

(4) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1977

(5) इंण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1977

(6) शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक, 1977

(7) स्मिथ, स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक 1977

(8) ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1977

(9) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1977

(10) (कम्पनी) (संशोधन) विधेयक, 1977

(11) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 1977

रेल बजट, 1978-79

Railway Budget, 1978-79

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : अध्यक्ष महोदय वर्ष 1977-78 के लिए रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कुछ वचन और आश्वासन दिये थे। अब मैं चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेलों द्वारा निष्पादित कार्य और वर्ष 1978-79 के लिए रेलवे बजट सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

पिछले वर्ष जून में 1977-78 के लिए बजट पेश करते समय मैंने सभा को सूचित किया था कि मैंने रेलों के कार्य में सुधार के लिए रेल उपभोक्ताओं और रेल कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा की थी।

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : The Hon. Minister is knowingly not speaking in Hindi language. It is against the spirit of the Constitution.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : वे ऐसा रवैया क्यों अपना रहे हैं? हम देश के द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अंग्रेजी में बोलने का विरोध कर रहे हैं?

श्री अरबिन्द बाला पजनौर : नहीं मैं तो उनकी टिप्पणियों का विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर मत दें। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरा दोनों ओर के सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस प्रकार का व्यवहार न करें। सभा में ऐसा वातावरण न बनायें।

प्रो० मधु दण्डवते : इन चर्चाओं के फलस्वरुप हमने रेलवे प्रशासन को व्यवस्थित करने, वित्तीय स्थिति में सुधार करने तथा यात्रियों को विशेषकर द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अनेक उपाय किये हैं।

मैं पहले ही कह दूं कि इस वर्ष हमने अपने वचन और आश्वासन पूरे किये हैं। काफी सुधार हुआ है। माल और यात्रियों के यातायात में वृद्धि हुई है ......

श्री अहसान जाफरी (अहमदाबाद) : वाह, वाह !

अध्यक्ष महोदय : वैसा कहने का अब आप को अवसर प्राप्त है।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : अध्यक्ष महोदय, 1977-78 का रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कुछ आश्वासन दिये थे और कुछ वायदे भी किये थे। आज सदन के सामने चालू वर्ष में भारतीय रेलों के कार्य का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर रहा हूं और साथ ही वार्षिक वित्तीय विवरण भी पेश करूंगा; जिसमें 1978-79 की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का ब्यौरा दिया गया है। अब यह निर्णय सदन को करना है कि पिछले बजट के अवसर पर जो वायदे मैंने किये थे, उनके परिप्रेक्ष्य में, रेलों का काम कैसा रहा।

2. पिछले वर्ष जून, में 1977-78 का बजट पेश करते समय मैंने सदन को बताया था कि रेलों के कार्य-संचालन में सुधार के उद्देश्य से मैंने रेल उपयोगकर्त्ताओं और कर्मचारियों के अनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों से विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया था। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरुप मुझे रेलों के प्रशासनिक तंत्र को सुप्रवाही बनाने के लिए अनेक कदम उठाने में सफलता मिली है। इनसे रेलों की वित्तीय स्थिति सुधरी है और यात्रियों, विशेष रूप से दूसरे दर्जे के यात्रियों को हम अधिक और अच्छी सुविधाएं देने में सफल हो सकें हैं।

1977-78 में कार्य-सम्पादन

3. मैं शुरु में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष, काफी हद तक, रेल उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों से किये गये वायदों और उन्हें दिये गये आश्वासनों की पूर्ति का वर्ष रहा है। यात्री और माल दोनों के परिवहन की स्थिति में निरन्तर सुधार हुआ है। प्रारम्भिक लदान पिछले वर्ष की तुलना में मास-प्रतिमास, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति अक्तूबर, 1977 के अन्त तक बनी रही। लेकिन नवम्बर में, पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में, प्रारम्भिक लदान कम हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अभूतपूर्व समुद्री तूफान आया। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और केरल राज्यों पर इसका व्यापक असर पड़ा और दक्षिण, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व—इन तीन रेलों पर यातायात अत्यधिक अस्तव्यस्त हो गया। विभिन्न कारणों से कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की ओर से भी कम माल ढुलाई के लिए प्रस्तुत किया गया। दिसम्बर के महीने में भी यही स्थिति बनी रही।

4. फिर भी, पिछले वर्ष की तुलना में दिसम्बर, 1977 के अन्त तक संचित प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक लदान 15.7 लाख मीटरिक टन अधिक हुआ। यद्यपि प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात बजट प्रत्याशा से कम रहा है, तथापि यातायात की औसत वहन दूरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दिसम्बर, 1977 के अन्त तक औसत वहन दूरी 671 किलोमीटर से बढ़कर 711 किलोमीटर हो गयी अर्थात् इसमें 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक माल यातायात के मीटरिक टन किलोमीटर के आंकड़े रेलों के समग्र कार्य का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े बजट अनुमान की अपेक्षा लगभग 2.5 प्रतिशत और पिछले वर्ष की तुलना में 5.5 प्रतिशत अधिक हैं। माल यातायात से सम्बन्धित राजस्व उपार्जक शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर

15,19,400 लाख रहने की संभावना है, जबकि बजट में 14,82,800 लाख मीटररिक टन का अनुमान लगाया गया था। यद्यपि 2200 लाख मीटरिक टन के बजट अनुमान की तुलना में प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात केवल 2140 लाख मीटरिक टन रहने की संभावना है, तथापि वहन दूरी बढ़ जाने के कारण, मीटरिक टन में इस कमी का माल यातायात से होने वाली आमदनी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

5. यात्री यातायात भी निरन्तर बढ़ता रहा है। दिसम्बर तक प्रारम्भिक यात्रियों की संख्या 5.39 प्रतिशत बढ़ी है और यात्री यातायात से आमदनी भी, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, 11.2 प्रतिशत अधिक रही है। दिसम्बर तक उपनगरीय यात्री यातायात 5.93 प्रतिशत और अनुपनगरीय यात्री यातायात 4.74 प्रतिशत बढ़ा है। 1977-78 के संशोधित अनुमान तैयार करते समय इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखा गया है।

1977-78 के संशोधित अनुमान और 1976-77 के वास्तविक आंकड़े

6. परिवहन-कार्य की स्थिति में सुधार को देखते हुए, 1977-78 में यातायात से कुल प्राप्ति का संशोधित अनुमान 2131 करोड़ रुपये आंका गया है, जोकि बजट अनुमान से लगभग 21 करोड़ रुपये अधिक है।

7. जहां तक संचालन-व्यय का सम्बन्ध है, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि बजट की तुलना में यात्री यातायात और माल यातायात से सम्बन्धित शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर में वृद्धि के बावजूद संचालन-व्यय का संशोधित अनुमान अब 1611 करोड़ रुपये आंका गया है। इस प्रकार बजट की तुलना में संचालन-व्यय में 37 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत होगी। संचालन-व्यय में यह बचत कार्यकुशलता बढ़ाकर और खर्च पर कड़ा नियंत्रण रखकर प्राप्त की गयी है। चालू वर्ष के सात महीनों में बढ़े हुए महंगाई भत्ते के कारण यदि अतिरिक्त अपरिहार्य खर्च न करना पड़ता और अधिक गाड़ियां चलाने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त ईंधन आदि की आवश्यकता न पड़ती तो बचत इससे भी अधिक हो सकती थी।

8. सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि 32.5 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में अब 1977-78 में अधिशेष लगभग 57 करोड़ रुपये अधिक अर्थात् 89.32 करोड़ रुपये रहने की सम्भावना है। यह अधिशेष मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 140 करोड़ रुपये और पेंशन निधि में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा सामान्य राजस्व को 227 करोड़ रुपये का पूरा लाभांश देने के बाद प्राप्त होगा। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय बात यह है कि 1976-77 में वास्तविक अधिशेष 87.24 करोड़ रुपये रहा था जबकि 1977-78 का अधिशेष किराये-भाड़े में बिना अतिरिक्त वृद्धि के और कीमतें बढ़ जाने के बावजूद 89.32 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।

1977-78 के लिए योजना परिव्यय

9. 1977-78 में रेलवे के विकास कार्यक्रम पर कुल 480 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया था। इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। इसके अलावा, निर्यात आर्डरों के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु संचालन पूंजी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 2.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गयी थी। 1977-78 की मूल वार्षिक योजना में 501 करोड़ रुपये का प्रावधान था किन्तु वित्त मंत्रालय के परामर्श से की गयी व्यापक पुनरीक्षा के

परिणामस्वरूप इस परिव्यय को घटाकर 480 करोड़ रुपये कर दिया गया था। लेकिन, नयी लाइनों के लिए आवंटन में कमी नहीं की गयी थी। इसी तरह क्रमिक रेलवे अभिसमय समितियों और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुसार रेल-उपयोगकर्त्ताओं की सुविधाओं के लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी जो कि मूल व्यवस्था से थोड़ी अधिक है। अतः अब 1977-78 में निर्माण कार्यों पर 488.55 करोड़ रुपये खर्च आने की सम्भावना है, जबकि बजट में 480 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था।

रेलवे अभिसमय समिति

10. 1977-78 का बजट पेश करते समय, मैंने कहा था कि पांचवी लोक सभा भंग हो जाने के कारण 1977-78 के लिए रेलवे अभिसमय समिति की संसद द्वारा अनुमोदित सिफारिशें सरकार को उपलब्ध नहीं हो सकीं। फलतः 1977-78 के लिए लाभांश की संगणना उसी आधार पर की गयी जिस आधार पर वर्ष 1976-77 के लिए की गयी थी। माननीय सदस्य जानते हैं कि कि "रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को इस समय देय लाभांश की दर एवं सामान्य वित्त के परिप्रेक्ष्य में रेलवे वित्त से सम्बन्धित अन्य मामलों की पुनरीक्षा करने तथा उनके सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए" नयी रेलवे अभिसमय समिति अगस्त, 1977 में गठित कर दी गयी थी। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट नवम्बर, 1977 में संसद के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 1977-78 और 1978-79 में देय लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामलों के बारे में सिफारिशें की गयी थीं इन सिफारिशों में कहा गया था कि वर्ष 1976-77 में जो रियायतें दी गयी, वे रियायतें उक्त दो वर्षों में भी जारी रहें। संसद् ने इसका अनुमोदन कर दिया है और 1978-79 का बजट उसी के अनुसार बनाया गया है।

बजट अनुमान, 1978-79

11. अब मैं 1978-79 के बजट अनुमानों का उल्लेख करना चाहूंगा। आगामी वर्ष में यातायात से कुल प्राप्ति का अनुमान 2220 करोड़ रुपये लगाया गया है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 88 करोड़ रुपये अधिक है। आशा है कि राजस्व उपार्जक माल-यातायात 2220 लाख मीटरिक टन होगा, जो चालू वर्ष के 2140 लाख मीटरिक टन के संशोधित लक्ष्य की तुलना में 80 लाख मीटरिक टन अधिक है। यात्री यातायात तथा उससे होने वाली आमदनी में भी 5 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।

संचालन-व्यय

12. जहां तक संचालन-व्यय का सम्बन्ध है, इस मद में खर्च का अनुमान 1701 करोड़ रुपये लगाया गया है। यह राशि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 90 करोड़ रुपये अधिक है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि संचालन व्यय में यह वृद्धि मुख्यतः कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त, विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों के रात्रि ड्यूटी भत्ते की दरों में संशोधन, लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटे के नियम से सम्बन्धित आश्वासन को कार्यान्वित करने तथा नियोजन काल विनियमों के सम्बन्ध में श्रम अधिकरण के निर्णय को स्वीकार करने के फलस्वरूप हुई है। रेल-पथ और चल-स्टाक के बेहतर अनुरक्षण तथा यातायात में प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने के लिए अपेक्षित अधिक ईंधन पर खर्च के लिए भी अधिक राशि की व्यवस्था करनी पड़ी है।

13. रेलवे अभिसमय समिति, 1977 ने अपनी पहली रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 145 करोड़ रुपये का विनियोग किया जाये। सदन

पिछले सत्र में इस सिफारिश को अपना अनुमोदन दे चुका है। इस प्रकार चालू वर्ष में इस निधि में 5 करोड़ रुपये का अधिक विनियोग होना है। 1978-79 के लिए पेंशन निधि में विनियोग की राशि भी, चालू वर्ष के 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये की जा रही है।

14. संचालन-व्यय में वृद्धि और निधियों में अधिक विनियोग, जिसका कि मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है, के परिणामस्वरूप 1978-79 के बजट में शुद्ध अधिशेष 1977-78 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा कुछ कम रहने की संभावना है। इस वर्ष शुद्ध अधिशेष की राशि 65.43 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यदि कर्मचारियों पर अतिरिक्त खर्च और मूल्यह्रास एवं पेंशन निधियों में अधिक व्यवस्था को भी हिसाब में लिया जाये, तो 1978-79 का अधिशेष, चालू वर्ष के अधिशेष की तुलना में, कहीं अधिक बैठेगा।

रेलों की देनदारी

15. 1978-79 में प्रत्याशित अधिशेष के फलस्वरूप, सामान्य राजस्व को रेलों की देनदारी कम करने में सहायता मिलेगी अर्थात् मार्च, 1978 के अन्त में 368.68 करोड़ रुपये की देनदारी मार्च, 1979 के अन्त में घटकर 345.37 करोड़ रुपये रह जायेगी। रेलों को एक अर्थक्षम इकाई के रूप में काम करना है, ताकि विकास और आधुनिकीकरण की विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ की जा सकें और इसी उद्देश्य से 1976-77 और 1977-78 में अर्जित तथा 1978-79 में सम्भावित अधिशेष के बावजूद इस दिशा में हमें अभी काफी दूरी तय करनी है। मैं, वित्त मंत्रालय के परामर्श से, कुछ ऐसे उपाय निकालने का प्रयास कर रहा हूं जिनसे कि इस देनदारी के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सके। यह भी आवश्यक है कि रेलों को अधिक अधिशेष अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये ताकि रेलों की विकास योजनाओं में उसका इस्तेमाल किया जा सके। मैं एक समिति द्वारा रेलों की पूंजी संरचना की गहराई से जांच कराने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा हूं, जैसा कि रेलवे अभिसमय समिति 1971 ने सिफारिश की थी।

16. माननीय सदस्य जानते ही हैं कि सामाजिक दायित्व के रूप में रेलें काफी अतिरिक्त खर्च उठाती आ रहीं हैं। सम्भवतः अब समय आ गया है जब कि इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए और इस दायित्व का कुछ बोझ सामान्य राजस्व द्वारा उठाया जाना चाहिए। सामाजिक दायित्व की पूर्ति के रूप में चालू वर्ष में लगभग 170 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। इसमें से लगभग 69 करोड़ रुपये कुछ वस्तुओं को लागत से भी कम दर पर ढोने और लगभग 21 करोड़ रुपये अलाभप्रद शाखा लाइनों के संचालन पर खर्च होंगे तथा शेष रकम कम दूरी के यातायात और उप-नगरीय यात्री यातायात से होने वाली हानि के फलस्वरूप खर्च करनी होगी। मैंने हाल ही में रेलवे अभिसमय समिति, 1971 की सिफारिशों के अनुसार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है, जो सामाजिक दायित्वों से सम्बद्ध कुछ मामलों की जांच करेगी।

पांचवीं योजना और अनवरत योजना

17. योजना आयोग ने पांचवीं योजना के लिए रेलों को 2152 करोड़ रुपये की रकम दी थी। इस में महानगर परिवहन परियोजना सम्बन्धी योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की रकम शामिल नहीं है। सरकार के विनिश्चय के अनुसार, पांचवीं योजना अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पहले अर्थात् चालू वित्त वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायेगी। 31 मार्च, 1978 तक महानगर परिवहन परियोजनाओं पर 33 करोड़ रुपये के खर्च के अलावा, रेलों पर योजना व्यय के रूप में लगभग 1551 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

18. पांचवीं योजना के शुरू में संचालित यातायात की तुलना में, मार्च 1978 के अन्त तक रेलों द्वारा संचालित यात्री यातायात 28 प्रतिशत अधिक तथा माल यातायात (प्रारंम्भिक भाड़ा यातायात के हिसाब से) 30 प्रतिशत अधिक होने की सम्भावना है। इस प्रकार, उपार्जक और अनुपार्जक दोनों प्रकार का प्रारंम्भिक माल यातायात मार्च, 1978 के अन्त में लगभग 2400 लाख मीटरिक टन तथा 1978-79 के अन्त में लगभग 2480 लाख मीटरिक टन हो जायेगा। माल यातायात के ये आंकड़े मूल पांचवीं योजना के प्रत्याशित आंकड़ों के प्राय: समतुल्य हैं, क्योंकि उस समय 1978-79 के अन्त में माल यातायात 25 00 लाख मीटरिक टन तक पहुंच जाने का अनुमान था।

19. 1978-79 से 1982-83 तक की अवधि के अगले पांच वर्षों के लिए अनवरत योजना तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और आगामी पांच वर्षों में रेल परिवहन की जरूरतों का अनुमान लगाने तथा अपेक्षित विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए योजना आयोग ने जिस कार्यकारी दल का गठन किया है, रेलें उस दल के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तथापि, 1978-79 की अन्तिम रूप से तैयार वार्षिक योजना में, रेलों के लिए 535.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें महा-नगर परिवहन परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अलावा निर्यात आर्डरों के लिए धन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से संचालन पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की भी व्यवस्था की गयी है। गत वर्ष के 488.55 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय से यह राशि 51.75 करोड़ रुपये अधिक है। 1978-79 के लिए जो राशि आवंटित की गयी है, उसमें चल-स्टाक के लिए चालू वर्ष के संशोधन परिव्यय से 5 करोड़ रुपये अधिक अर्थात् 236 करोड़ रुपये और नयी लाइनों के लिए चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय से 5 करोड़ रुपये अधिक अर्थात् 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है।

रेलों का विकास कार्यक्रम

नयी लाइनें, आमान-परिवर्तन, और सर्वेक्षण

20. रेलें देश के आर्थिक विकास के आधार-भूत ढांचे का एक अभिन्न अंग हैं। अतएव विकास शील अर्थ-व्यवस्था में वे गतिहीन नहीं रह सकतीं। आबादी बढ़ी है। औद्योगिक और कृषि उत्पादन भी बढ़ा है। इसलिए रेलों को बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। यात्री जनता और औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए जहां परिवहन की सुविधाएं नहीं हैं, वहां रेलों को ये सुविधाएं सुलभ करनी होंगी तथा जहां ये सुविधाएं अपर्याप्त हैं, वहां इनमें वृद्धि करनी होगी।

21. चालू वित्त वर्ष में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण और उखाड़ी गयी लाइनों को फिर से बिछाने की 28 योजनाएं हाथ में हैं। इन्हें पूरा करने के लिए अभी भी हमें लगभग 180 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अत्यन्त सीमित मात्रा में धन उपलब्ध होने के कारण मेरा प्रयास यह रहा है कि बहुत सी परियोजनाओं पर थोड़ा-थोड़ा खर्च करने की बजाय कुछ योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करके उन्हें पूरा कर लिया जाये। इस नीति के परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष में 7 परियोजनाओं पर सभी दृष्टियों से काम पूरा करना सम्भव हो सका है। अब अगले वर्ष के बजट में इनके लिए व्यवस्था नहीं करनी होगी। तीन और लाइनों को भी अंशत: यातायात के लिए खोलना सम्भव हो सका है। यही नीति अगले वित्तीय वर्ष भी जारी रहेगी और अगले वर्ष चार और परियोजनाओं को पूरा करना सम्भव हो सकेगा। उन मामलों में भी, जिनमें समूची परियोजना को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, हमारी योजना यह है कि काम को इस प्रकार चरणबद्ध रूप में किया जाये कि परियोजना के कुछ खण्डों को चालू किया जा सके और बाद में जैसे-जैसे और धन उपलब्ध हो, वे उत्तरोत्तर उपार्जक होते जायें।

22. अगले वित्त वर्ष में कर्नाटक राज्य में हसन-मेंगलूर लाइन के सकलेशपुर से सुब्रह्मण्य रोड तक के शेष खंण्ड, केरल और तमिलनाडु में तिरुवनन्तपुरम-तिरुनेलवेलि-कन्याकुमारी लाइन के तिरुवनन्तपुरम-नगर कोइल खण्ड, उत्तर प्रदेश में शाहदरा-सहारनपुर लाइन के बागपत रोड शामली खंड तथा हरियाणा में रोहतक-भिवानी लाइन के लगभग आधे भाग का काम पूरा करना संभव हो जायेगा। आन्ध्र प्रदेश में नड़िकुड़े-बीबीनगर और भद्राचलम मंगुरु लाइनों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केरला रोड-जयन्त लाइन, उड़ीसा में जखपुरा-बांसपानी लाइन तथा पश्चिमी बंगाल में हावड़ा-आमता लाइन के निर्माण में भी तेजी लायी जायेगी। इस्पात और खान मंत्रालय के अनुरोध पर उड़ीसा के जोरुरि स्थान पर, उस क्षेत्र में भारी मात्रा में उपलब्ध लौह अयस्क खदानों के उत्खनन के लिए साइडिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी विचार है।

23. संसद में रेलों पर होने वाली प्रत्येक बहस में माननीय सदस्यों ने अनेक पिछड़े क्षेत्रों में रेल सुविधाओं के अभाव के विषय में चिन्ता व्यक्त की है। इस संबंध में उनकी तरह मैं भी चिन्तित हूं। सरकार विशेष रूप से पिछड़े इलाकों में अधिक से अधिक नयी रेल लाइनें बनाने के लिए उत्सुक है। मैं इसके लिए योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से अधिक धन प्राप्त करने के सभी साधन खोज निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं ताकि और अधिक संख्या में नयी रेल लाइनों का निर्माण शुरू किया जा सके। सरकार इस संबंध में एक दीर्घकालिक नीति अपनाने का प्रयास कर रही है।

24. जब तक कि नयी रेल लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित समग्र नीति निर्धारित न हो जाये तब तक रेल मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में निम्नलिखित रेल लाइनों के निर्माण का काम शुरू करने का विचार रखता है:—

(1) आप्ता से मंगलूर तक प्रस्तावित वेस्ट कोस्ट कोंकण रेलवे के प्रथम चरण के रूप में आप्ता से रोहा तक एक नयी रेल लाइन, जिससे महाराष्ट्र, गोआ और कर्नाटक आपस में जुड़ जाएंगे तथा केरल और तमिलनाडु के बीच सीधा सम्पर्क कायम हो जायेगा;

(2) पश्चिमी बंगाल में कल्याणी से कल्याणी टाउनशिप तक संपर्क लाइन; और

(3) गुजरात में कपड़बंज के रास्ते नडियाद-मोडासा बड़ी लाइन।

25. देश में धीरे-धीरे एक ही आमान की रेलवे लाइन रखने के उद्देश्य से मीटर आमान और छोटे आमान की लाइनों को जिनका उपयोग चरम सीमा तक पहुंच चुका है, बड़े आमान की लाइन में बदलने की नीति इस वर्ष भी जारी रही। इस समय आमान परिवर्तन को तेरह परियोनाओं पर काम हो रहा है। इस मामले में भी हम एक साथ सभी परियोजनाओं को अधूरी रखने की बजाय कुछ परियोजनाओं को पूरा करने की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस नीति के परिणामस्वरूप, केरल में एर्णाकुलम्—तिरुवनन्तपुरम् आमान परिवर्तन परियोजना को पूरा करना संभव हो सका है। राजस्थान और पंजाब में सूरतगढ़-भटिंडा परियोजना भी पूरी होने वाली है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाराबंकी-समस्तीपुर खण्ड और गुजरात में वीरमगाम-ओखा खण्ड के आमान परिवर्तन के काम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इन खण्डों पर काम में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। असम में बोंगाईगांव-गुवाहाटी परियोजना तथा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में गुन्तकल्लु-बेंगलूरु परियोजना के काम में भी अच्छी प्रगति हुई है। इस वर्ष महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में मनमाड-पुर्ली बैजनाथ आमान-परिवर्तन परियोजना के मनमाड- औरंगाबाद खण्ड पर भी काम शुरू किया जायेगा। 1978-79 के बजट में बिहार में बरौनी-कटिहार लाइन के आमान परिवर्तन का काम शामिल किया गया है। यह लाइन एक परिचालनिक आवश्यकता है और इसके तैयार हो जाने पर उत्तरी बिहार के विकास में गति आयेगी।

26. अगले वित्त वर्ष में, पश्चिमी बंगाल में बजबज-नामखाना लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, पश्चिमी बंगाल में दोमोहानी-चंग्रबंधा लाइन को फिर से बिछाने के लिए यातायात

सर्वेक्षण; तथा बिहार और मध्य प्रदेश में बरवाडीह-करौंजी लाइन; उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद-बलरामपुर और कोंज-जालौन लाइनों तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खजुरोहो, सतना और रीवा के रास्ते ललितपुर-सिंगरौली लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

27. पूर्वोत्तर परिषद ने सदस्य राज्यों के लिए कुछ छोटी-छोटी रेल लाइनों के निर्माण का भी प्रस्ताव किया है। योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति इन प्रस्तावों की जांच कर रही है और इनके संबंध में शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा।

महानगर रेल परिवहन परियोजनाएं

28. महानगर रेल परिवहन परियोजनाओं के लिए 1978-79 तक की पांच वर्ष की अवधि में 50 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इसमें से 41 करोड़ रुपये कलकत्ता में 16.5 किलोमीटर लम्बी भूगत लाइन के निर्माण पर खर्च किये जा रहे हैं। अब अनुमान लगाया गया है कि इस परियोजना पर 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सिविल इंजीनियरी संबंधी निर्माण कार्यों, चलस्टाक, सिगनल व्यवस्था, वायु संचार आदि के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी का विकास और परीक्षण किया जा रहा है। सिविल इंजीनियरी संबंधी निर्माण का काम चरणबद्ध रूप में प्रगति पर है। यदि पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होता रहा तो आशा है कि यह लाइन 1986 तक तैयार हो जायेगी। सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास को प्रस्तावित भूगत रेलवे के लिए चल-स्टाक के प्रोटोटाइप तैयार करने का आर्डर दे दिया गया है। बम्बई में, पश्चिम रेलवे की मन्द लाइनों को मध्य रेलवे की बन्दरगाह शाखा लाइनों के साथ जोड़ने के लिए एक रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी दी गयी है। इससे बांद्रा के उत्तर में रिहायशी क्षेत्र तथा विक्टोरिया टर्मिनस के निकटवर्ती केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र के बीच दैनिक यात्रियों का आनाजाना सुगम हो जायेगा। दिल्ली और मद्रास के लिए कुछ ऐसी समेकित परियोजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से छान-बीन की जा रही है, जिनसे कि रेल और सड़क दोनों परिवहन प्रणालियों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

यात्री सुविधाएं और नयी गाड़ियां

29. जून 1977 में रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय मैंने सदन को यह सूचना दी थी कि लम्बी दूरी की श्रेणी-रहित अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की एक नयी संकल्पना को मूर्त रूप दिया जायेगा। इस प्रकार की गाड़ियों में केवल दूसरे दर्जे का स्थान होगा। ऐसी कुछ गाड़ियां चलनी शुरू भी हो चुकी हैं जैसे सप्ताह में तीन बार चलने वाली टाटानगर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, सप्ताह में दो बार चलने वाली काचेगुड़ा-अजमेर एक्सप्रेस, तिरुपति--हैदराबाद रयालसीमा एक्सप्रेस और मद्रास-मदुरै बैगई एक्सप्रेस।

30. गद्दीदार सीटों और शायिकाओं वाली एक नयी किस्म की जनता गाड़ी चलाकर इस व्यवस्था में और सुधार किया गया है। इस किस्म की पहली गाड़ी नवम्बर 1977 में गीतांजलि एक्सप्रेस के नाम से बम्बई और हावड़ा के बीच चलायी गयी है। इस वर्ष दूसरे दर्जे के लगभग 80 और गद्दीदार शयन-यान बनाये जा रहे हैं जिन्हें पाँच अतिरिक्त गाड़ियों में लगाया जायेगा। ऐसे ही लगभग 400 डिब्बे अगले वर्ष बनाये जायेंगे और उन्हें तेज चलने वाली कई एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाया जायेगा। इन डिब्बों में गद्दीदार शायिकाओं और पीठिकाओं के अलावा कई अतिरक्ति सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:--चौंध रोकने के लिए खिड़कियों में रंगीन शीशे, भोजन की थालियों को साफ-सुथरे स्थान पर रखने के लिए अतिरिक्त रैक, पीने के पानी के बर्तन रखने के लिए स्थान तथा मांगने पर यात्रियों को चद्दरें और बिस्तर देने की व्यवस्था।

31. अगले वित्त वर्ष में मैं दूसरे दर्जे के यात्रियों की यात्रा की स्थिति सुधारने के लिए एक और कदम उठाना चाहूंगा। दूसरे दर्जे के शयन-यानों में गद्दीदार शायिकाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त हमने अब यह निर्णय किया है कि तेज़ चलने वाली अन्तर्नगरीय गाड़ियों के दूसरे दर्जे के सभी साधारण डिब्बों में गद्दीदार सीटें लगायी जायें।

32. इसके अलावा मद्रास के सवारी डिब्बा कारखाने में दूसरे दर्जे के तीन टीयर शयन यान का एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है जो वर्तमान शयन-यान से कुछ बड़ा होगा और उसमें 4 की बजाय 6 शौचालय, अधिक पंखे तथा पानी की बेहतर व्यवस्था होगी।

33. जनता गाड़ियाँ चलाने की इस संकल्पना को और तेज़ी से साकार करने तथा समृद्ध वर्गों की अपेक्षाओं की तुलना में आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मैंने यह निश्चय किया है कि अब पहले दर्जे के वातानुकूल स्थान में और वृद्धि नहीं की जायेगी और धीरे-धीरे उसे समाप्त कर दिया जायेगा। भविष्य में पहले दर्जे के अतिरिक्त नये वातानुकूल डिब्बे नहीं बनाये जायेंगे। यह संसद की लोक लेखा समिति की सिफारिश के अनुरूप भी होगा।

34. जून 1977 में बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि प्रोटोटाइप परीक्षणों के बाद दूसरे दर्जे के दोमंजिले डिब्बों के प्रयोग का उत्तरोत्तर विस्तार करने के बारे में विचार किया जायेगा। बड़ी लाइन के दूसरे दर्जे के दोमंजिले डिब्बों का एक प्रोटोटाइप मद्रास-जोल्लारपेट्टै और बम्बई पुणे खण्डों पर परीक्षण के तौर पर चलाया गया था। आशा है, इस वर्ष सवारी डिब्बा कारखाने से बड़ी लाइन के बारह दोमंजिले सवारी डिब्बे बनकर आ जायेंगे और अप्रैल 1978 से उन्हें निर्दिष्ट मार्गों पर चलाना शुरू कर दिया जायेगा।

35. अप्रैल 1977 के बाद से 108 नयी गाड़ियाँ चलायी गयी हैं और 74 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है। इसके बावजूद गाड़ियों में भीड़-भाड़ की गम्भीर समस्या बनी हुई है जिसको कि तत्काल हल किया जाना अपेक्षित है। टर्मिनल और लाइन क्षमता सीमित होने के कारण मुख्य रेल मार्गों पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की सभी माँगों को, माल यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूरा करना संभव नहीं हो पाया है। यात्रियों को अधिकतम राहत देने के उद्देश्य से अब यह विनिश्चय किया गया है कि उपयोग में लाये जाने वाले सवारी डिब्बों का युक्तिकरण करके तथा प्रत्येक गाड़ी में लगने वाले सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाकर, यात्री ले जाने वाली वर्तमान गाड़ियों की वहन क्षमता बढ़ायी जाये। इस समय 14 किस्म के सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अब कुछ समय के लिए केवल तीन मुख्य किस्म के सवारी डिब्बों के निर्माण के आर्डर दिये जायेंगे अर्थात् दूसरे दर्जे के पैडयुक्त गद्दीदार तीन-टियर शयन-यान गद्दीदार सीटों वाले दूसरे दर्जे के साधारण सवारी डिब्बे और 46 शायिकाओं वाले दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयन-यान। दूसरे दर्जे का ऐसा प्रत्येक वातानुकूल शयन-यान पहले दर्जे के दो साधारण सवारी डिब्बों की जगह लेगा। इस तरह लम्बी दूरी की वर्तमान गाड़ियों में, प्रतिगाड़ी 200 से 300 तक अतिरिक्त यात्रियों के लिए स्थान सुलभ हो सकेगा।

36. रेलों की योजना के अनुसार, अगले दो या तीन वर्षों में देश की लम्बी दूरी वाली सभी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में पैडयुक्त गद्दियों वाले और बेहतर सुविधाओं वाले दूसरे दर्जे के तीन-टियर सवारी डिब्बे चलने लगेंगे। परिणामतः पहले दर्जे के अधिकांश यात्री दूसरे दर्जे में यात्रा करना पसंद करेंगे और अन्ततोगत्वा लम्बी दूरी की गाड़ियों में मुख्यतः एक ही किस्म के स्थान की व्यवस्था करने का हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा अर्थात रेलों से धीरे-धीरे विभिन्न दर्जे समाप्त हो जायेंगे।

37. यात्री सुविधा के हमारे नियमित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, कुछ चुने हुए स्टेशनों पर रोशनी, शौचालय, भोजनालय आदि की बहतर सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं यात्री सुविधाओं के लिए 4 करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा हूं।

आरक्षण प्रणाली का सरलीकरण

कम्प्यूटर व्यवस्था का परीक्षण

38. आरक्षण व्यवस्था में भ्रष्टाचार को दूर करने और कार्यविधि को सरल बनाने के उपाय किये गये हैं। बुकिंग और आरक्षण कार्यालयों से इस बुराई को मिटाने के अभियान के एक भाग के रूप में मैंने यह निर्णय किया है कि अब सामान्य नीति यह होनी चाहिए कि बड़े-बड़े बुकिंग कार्यालयों में आरक्षण/बुकिंग क्लर्क और पर्यवेक्षक के रूप में केवल महिलाओं को नियुक्त किया जाए। यह शुरुआत महानगरों से की जायेगी। ऐसा करने पर, संभव है, हम पर यह आरोप लगाया जाय कि हम महिलाओं के साथ पक्षपात कर रहे हैं लेकिन हमारा यह अनुभव है कि जिन आरक्षण काउण्टरों पर महिलाएं नियुक्त की गयी हैं, वहाँ भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत कम होता है।

39. रेल गाड़ियों में स्थान आरक्षण के बृहद् एवं जटिल काम को सरल और कारगर बनाने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के उद्देश्य से मैं चार महानगरों में यात्री-आरक्षण व्यवस्था में कम्प्यूटर के प्रयोग का भी इरादा रखता हूं। इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से सबसे पहले इस प्रणाली को दिल्ली क्षेत्र में लागू करने की व्यवहारिकता का पता लगाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि मशीन की याँत्रिक भूलें मनुष्य की कमजोरीयों का स्थान नहीं लेंगी।

गाड़ियों में 'जनता खाना'

40. सस्ती दर पर भोजन सप्लाई करने की यात्रियों की माँग को देखते हुए रेलों ने अब यह निश्चय किया है कि लम्बी दूरी की सभी प्रमुख गाड़ियों में प्रति पैकेट 1 रुपये की दर से "जनता खाना" सप्लाई किया जाए। मुझे विश्वास है कि सभी वर्गों के यात्री, विशेष रूप से वे जिनकी आय कम है, इस व्यवस्था का स्वागत करेंगे। देश के विभिन्न भागों के लोगों की रुचि के अनुकूल गाड़ियों में तीन किस्म के भोजन पैकेट बेचे जायेंगे। इस समय गाड़ियों और स्टेशनों पर खान-पान की जो सामान्य व्यवस्था मौजूद है, यह व्यवस्था उसके अतिरिक्त होगी।

रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां

41. विभिन्न स्तरों पर गठित वर्तमान रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों की सदस्य संख्या बहुत बढ़ गई थी। अतः उन्हें भंग कर दिया गया। हाल में क्षेत्रीय और मण्डल स्तर पर अपेक्षाकृत छोटी तथा यथोचित प्रतिनिधित्व वाली नयी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है।

दावों का निपटारा

42. जून 1977 में रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय मैंने सदन को यह आश्वासन दिया था कि दावों के निबटारे में गुणात्मक सुधार किया जायेगा। जून 1977 में हमारे पास लगभग 13,500 दावे ऐसे थे जो तीन महीने या इससे अधिक समय से बकाया थे। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गत सात महीनों में यह संख्या घटकर 6,347 रह गयी है। इन दावों का निबटारा भी इसलिए रुका हुआ है कि दावेदार प्रलेख प्रस्तुत करने अथवा स्वामित्व सिद्ध करने की शर्त का पालन नहीं कर पायें हैं।

दावा निबटान अधिकारियों के अधिकार बढ़ाकर और उनका विकेन्द्रीकरण करके दावों के निबटारे की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस अभियान के फलस्वरूप, दावों के निबटारे में लगने वाला औसत समय अब घटकर 48 दिन रह गया है और शीघ्र ही हम दावों को 6 हफ्ते के भीतर निबटाने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

रेल यात्रा में संरक्षा

43. संसद् के पिछले सत्र में इस सदन के साथ-साथ दूसरे सदन के सम्मानित सदस्यों ने भी हाल की उन रेल दुर्घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी, जिनमें से कुछ में भारी संख्या में लोग हताहत हुए थे। इस चिन्ता में मैं भी पूरी तरह उनके साथ हूं। जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है, 1968 के बाद से दुर्घटनाओं की स्थिति की पुनरीक्षा करने तथा उनकी रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एस० एम० सीकरी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त दुर्घटना जाँच समिति नियुक्त की जा चुकी है।

44. रेल दुर्घटनाओं पर बहस के दौरान तथा अन्य अवसरों पर मैंने यह जानकारी दी थी कि दुर्घटनाओं को रोकने और रेल यात्रा को अधिक निरापद बनाने के लिए रेल प्रशासन ने क्या-क्या उपाय किये हैं। सिगनल और अन्तर्पाश के उपकरणों का उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण करने, स्वतः चेतावनी प्रणाली लागू करने, ट्रैक सर्किटिंग, रेल पथ और चल स्टाक के बेहतर अनुरक्षण, पहियों, धुरों और पटरियों के लिए अल्ट्रासानिक पता डिटेक्टर और सतर्कता नियंत्रण जैसे उपाय लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लायी गयी है। उपस्कर तथा संरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण के अलावा यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि रेल परिचालन के काम में लगे रेल कर्मचारियों को शिक्षित किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाये और साथ ही उन्हें पर्याप्त आराम दिया जाये ताकि उनकी थकान दूर हो। रेलों के संरक्षा संगठन के काम में तेजी लायी गयी है और गाड़ी परिचालन से सम्बद्ध कर्मचारियों को संरक्षापरक गहन प्रशिक्षण देने का काम भी तेज किया गया है। विभिन्न श्रमिक यूनियनों ने भी इस संरक्षा अभियान में काफी रुचि ली है।

45 कर्मचारियों को आराम के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि गाड़ी चालन से संबंधित परिचालन कोटियों में (रनिंग कर्मचारियों को छोड़कर) 10,000 तक अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की अनुमति रेलों को दे दी जाये ताकि नियोजन काल विनियमों में संशोधन से संबंधित मियाभाय अधिकरण की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके।

46. जहां तक रनिंग कर्मचारियों का संबंध है, सभी डाक एवं एक्सप्रेस गाड़ियों तथा 85 प्रतिशत माल गाड़ियां पहले से ही, एक बार में 10-घंटे की ड्यूटी की अनुसूची के अनुसार चलायी जा रही हैं। अब यह विनिश्चय किया गया है कि रेलों को 2,700 तक अतिरिक्त रनिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करने की अनुमति दी जाए ताकि यात्री तथा माल दोनों प्रकार की सभी गाड़ियों में, यथासंभव कम से कम समय में, 10-घंटे के नियम का पूरी तरह से पालन किया जा सके।

47. इस समय भारतीय रेलों पर सड़क वाहनों के उपयोग के लिए 36,000 समपार हैं, जिनमें से 22,000 समपारों पर चौकीदार नहीं हैं। चौकीदार रहित समपारों को चौकीदार वाले समपार में बदलने का काम इस समय सड़क प्राधिकारियों की लागत पर किया जाता है अर्थात राजमार्गों पर राज्य सरकारें, नगरपालिका की सीमा में आने वाली सड़कों पर नगरपालिकाएं और नगर निगम तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर केन्द्रीय सरकार इनका खर्च उठाती है। समपारों पर होने वाली अनेक दुर्घटनाओं तथा अधिक संरक्षा की जरूरत को देखते हुए, मैंने अब यह निर्णय किया है कि

चौकीदार रहित जो समपार यात्रियों की संरक्षा के लिए संभावित खतरा बन सकते हैं, उन्हें भविष्य में चरणबद्ध रीति से चौकीदार वाले समपार में बदलने का काम पूरी तरह रेलवे के खर्चे पर कर लिया जाये ।

48. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, पिछले दिनों समाज-विरोधी तत्वों द्वारा रेलपथ से छेड़-छाड़ के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं। नवम्बर-दिसम्बर, 1977 में स्थिति अत्यन्त गंभीर हो गई थी क्योंकि उन महीनों में भारतीय रेलों पर तोड़-फोड़ की 51 घटनाएं हुईं। बहुत से मामलों में तो यथासमय की गयी कार्रवाई के फलस्वरूप गंभीर दुर्घटनाएं टल गयीं, लेकिन कुछ मामलों में, तोड़-फोड़ करने वाले गाड़ियां गिराने में सफल हो गए। रेल पथ की सुरक्षा करने में सिविल/पुलिस प्राधिकारियों की सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा दल के 11,000 कर्मचारी तथा 14,000 गैंगमैन तैनात किये गये हैं, जो स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय रखकर भेद्य क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं। गश्त लगाने की इस व्यवस्था पर रेलें प्रतिदिन लगभग 1 लाख रुपये खर्च कर रही हैं। इन उपायों को लागू करने के बाद कई ऐसे मामले पकड़े गये जिसमें तोड़-फोड़ का संदेह था और इस प्रकार दुर्घटनाएं होने से बच गयीं। पिछले दो महीनों में स्थिति में सुधार हुआ है।

49. शरारती लोग फिश-प्लेटें निकाल देते हैं। रेल की पटरियों में फिश-प्लेट लगाने की आवश्यकता ही न रहे, इस उद्देश्य से रेलें मुख्य मार्गों पर लम्बी तथा कम दूरी की झली हुए पटरियां लगा रही हैं। अब तक 32,000 किलोमीटर रेल-पथ में झली हुई पटरियों लगायी जा चुकी हैं।

50. भारतीय रेलों का जाल 61,000 मार्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि रेलों के लिए हर इंच पटरी को सुरक्षित रखना प्रायः असम्भव होगा। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह उन समाज-विरोधी तत्वों का पता लगाने तथा उन्हें पकड़ने में सरकार की मदद करे जो राष्ट्र की जीवन-रेखा रेलवे लाइन को तोड़ने-फोड़ने में लगे हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों और उनके माध्यम से सभी सामाजिक संगठनों तथा सार्वजनिक संस्थाओं से अपील करूंगा कि वे अपराधियों को पकड़ने तथा दुर्घटनाओं की जोखिम से निर्दोष यात्रियों को बचाने में रेलों की सहायता करें। राज्य सरकारों ने भी रेल-पथ और रेल संस्थापनाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये हैं।

51. मैं इस बात के लिए भी चिन्तित हूं कि सुरक्षित एवं कुशल रेल परिचालन के हित में रेल-पथ के नवीकरण का बकाया काम यथाशीघ्र पूरा किया जाए। जो काम बाकी पड़ा है और अगले पांच वर्षों में जो काम करना होगा, उसे देखते हुए कुल मिलाकर 14,850 किलोमीटर रेल-पथ का नवीकरण अपेक्षित है। इस काम पर लगभग 560 करोड़ रुपये लागत आयेगी। अतः इस समय जितना खर्च हो रहा है, उसकी अपेक्षा अधिक राशि की व्यवस्था करना अपरिहार्य लगता है। हमने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि 1978-79 में इस प्रयोजन के लिए और अधिक राशि आबंटित की जाये ।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

52. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में मैंने 6 दिसम्बर, 1977 को सदन में एक वक्तव्य दिया था । मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पुनर्गठन से संबंधित कार्रवाई निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 31 दिसम्बर, 1977 तक पूरी कर ली गयी है। पहले रेलवे बोर्ड में पांच नियमित सदस्य तथा आठ अपर सदस्य थे। अब इसमें केवल पांच सदस्य हैं। उनकी सहायता के लिए तीन सलाहकार, हैं, जो बोर्ड में शामिल नहीं हैं।

53. रेलवे बोर्ड की सदस्य संख्या कम हो, इससे भी महत्वपूर्ण बात है––बोर्ड के अधिकांश अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने के निर्णय को कार्यान्वित करना। तदनुसार महाप्रबन्धकों को और अधिक अधिकार सौंप दिये गये हैं ताकि निर्णय करने से संबंधित प्रक्रिया तेज हो । महाप्रबन्धकों से मण्डल अधीक्षकों को अधिकार प्रत्यायोजित करने की दिशा में भी कार्रवाई शुरू की गयी है और इसके लिए ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। आशा है, यह कारवाई अगले दो महीनों में पूरी हो जायेगी ।

54. मण्डल स्तर पर संगठन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मैं इस बात पर भी विचार कर रहा हूं कि क्षेत्रीय मुख्यालयों से ऊंचे ग्रेड के कुछ पदों को मण्डल कार्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया जाय ताकि मण्डल के प्रशासन में अभी जिस स्तर के अधिकारी हैं उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी वहां लगाये जा सकें और मण्डल स्तर के संगठनों को जिन अधिक अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जायेगा, उनका कारगर ढंग से प्रयोग किया जा सके।

55. क्षेत्रीय रेलों के कार्यभार, उनकी परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं और आर्थिक तथा प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकार-क्षेत्रों के गठन पर बराबर नजर रखी जाती है। मामूली समायोजन करके दक्षिण-मध्य रेलवे का शोलापुर मण्डल मध्य रेलवे के साथ और दक्षिण रेलवे का गुन्तकल्लू मण्डल दक्षिण-मध्य रेलवे के साथ मिला दिया गया है। दक्षिण-मध्य रेलवे पर हैदराबाद मीटर लाइन मण्डल नाम से एक नया मण्डल बनाया गया है और दक्षिण रेलवे पर भी शीघ्र ही एक नया मण्डल बनाने का प्रस्ताव है, जिसका मुख्यालय तिरुवनन्तपुरम में होगा।

भारतीय रेलों की परामर्श सेवाएं

56. मैं रेल मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की दो कम्पनियों अर्थात रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज (राइट्स) तथा इंडियन रेलवज कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इरकान) के कार्यों के बारे में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। केवल 10 लाख रुपये की चुकता पूंजी वाली राइट्स कम्पनी अपने कारोबार में सफल रही है और उसने लाभ अर्जित किया है। पिछले दो वर्षों में इसने 12 प्रतिशत और 25 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है। इस कम्पनी ने जिन ठेकों का काम सफलतापूर्वक पूरा किया है, वे इस प्रकार हैं : ईरान में 350 किलोमीटर बिजलीकृत दोहरी लाइन परियोजना का प्रारंभिक इंजीनियरी सर्वेक्षण ; ईरान में ही ज़ाहेदन से मीरजावेह तक बड़ी लाइन की क्षमता बढ़ाने के अर्थोपाय का अध्ययन; सीरिया में कुल मिलाकर 550 किलोमीटर लम्बी तीन नयी रेलवे लाइनों के लिए प्रारंभिक व्यावाहारिकता एवं आर्थिक अध्ययन; घाना रेलवे की परिचालन कुशलता और उसके अनुरक्षण का स्तर सुधारने के लिए प्रणाली अध्ययन; नाइजीरिया में तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन और वहां की रेलवे लाइन के आमान को मानक आमान में बदलने के लिए सर्वेक्षण।

57. इस समय भारतीय रेलों के विशेषज्ञ दल फिलीपीन नेशनल रेलवे, घाना नेशनल रेलवे तथा ज़ाइरे नेशनल रेलवे की सहायता कर रहे हैं। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही है कि हाल में इस कम्पनी को कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा के बावजूद घाना रेलवे में कर्मचारी व्यवस्था तथा प्रबन्ध सम्बन्धी अध्ययन के लिए विशेषज्ञ भेजने का एक ठेका प्राप्त हुआ है।

58. इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी देश के अन्दर कतिपय परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसके अलावा, उसे हाल में ईरानी रेलों पर रेल-पथ के अनुरक्षण में सहायता प्रदान करने का भी एक ठेका प्राप्त हुआ है । इस कम्पनी के सहयोग से राइट्स ने ईराक में एक प्रमुख निर्माण परियोजना के लिए टेंडर भेजे हैं, जिन पर विचार हो रहा है।

59. इन विकासशील देशों से एक के बाद एक ठेकों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय रेलों में सुविज्ञता तथा तकनीकी ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा है। साथ ही यह इस बात का शुभ शगुन है कि भविष्य में विकासशील देशों के साथ सहयोग और भी बढ़ेगा।

उत्पादन कारखानों का कार्य

60. तीनों उत्पादन कारखाने अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आशा है, चालू वर्ष में चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाना 89 रेल-इंजन तैयार कर लेगा जबकि पिछले वर्ष इस कारखाने ने 76 रेल-इंजन तैयार किये थे। इसी प्रकार संभावना यह है कि वाराणसी का डीजल रेल-इंजन कारखाना इस वर्ष 24 "पावर पैक" और 2 डीजल जनित्र सेटों के अलावा 114 रेल-इंजन तैयार कर लेगा जबकि पिछले वर्ष इस कारखाने ने 98 रेल-इंजन तैयार किये थे। सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास द्वारा इस वर्ष पूर्णतः सुसज्जित 652 सवारी डिब्बे बनाये जाने की संभावना है। पिछले वर्ष इस कारखाने ने 575 सवारी डिब्बे बनाये थे।

61. सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास को उगांडा रेलवे से 20 सवारी डिब्बों, नाइजीरिया से 32 सवारी डिब्बों तथा फिलीपीन नेशनल रेलवे से 30 सवारी डिब्बों के आर्डर मिले हैं। डीजल रेल-इंजन कारखाना, वाराणसी ने तंजानिया का मीटर लाइन के 15 रेल इंजनों का निर्यात आर्डर पूरा कर लिया है। इनमें से अन्तिम छः रेल इंजन चालू वित्त वर्ष में जहाज द्वारा तंजानिया भेज दिये गयें।

थोक में अनाज का भंडारण तथा परिवहन

62. हमने बहुतायत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को अनाज की ढुलाई को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह विनिश्चय किया गया है कि विश्व बैंक के ऋण से भारतीय खाद्य निगम जो भण्डार परियोजना शुरू कर रहा है, उसमें रेलें भी अपना सहयोग दें। इस परियोजना के अंतर्गत रेलवे साइडिगों पर अनाज की खत्तियों सहित विभिन्न किस्म के गोदाम बनाये जायेंगे। भण्डारण परियोजना के अंतर्गत अनाज की थोक ढुलाई की पायलट योजना में भी रेलों ने शामिल होने का निर्णय किया है। इस पायलट योजना से रेलें यह जान सकेंगी कि अनाज की थोक ढुलाई में किस प्रकार के माल डिब्बों और उपस्करों की आवश्यकता होगी तथा अनाज उतारने-चढ़ाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाने होंगे, जिससे कि अनाज के यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन

63. पिछले वर्ष रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय मैंने जो आश्वासन दिया था, उसके अनुसार भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की पुनरीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। इस पुनरीक्षा के परिणामों पर आधारित विधेयक के अन्तिम मसौदे पर इस समय विधि मंत्रालय विचार कर रहा है। प्रारंभिक कार्रवाई पूरी होते ही इस विधेयक को संसद् के समक्ष रखने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

औद्योगिक संबन्ध

रेल कर्मचारियों के प्रति नया रवैय्या

64. मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रेलों पर औद्योगिक सम्बन्ध कुल मिलाकर अत्यन्त सन्तोषजनक और रेलवे के कुशल कार्य-संचालन के अनुकुल बने रहे। पिछले कुछ महीनों के दौरान मैंने मान्यता प्राप्त फैडरेशनों के प्रतिनिधियों और रेलवे ट्रेड यूनियनों से

सम्बद्ध कुछ संसद् सदस्यों के साथ रेलों की समस्याओं तथा ट्रेड यूनियनों की बकाया मांगों के बारे में विचार-विमर्श किया है। इस विचार-विमर्श से मुझे बड़ा लाभ पहुंचा है क्योंकि इससे सभी अनिर्णीत प्रश्नों को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता मिली है। जब से नयी सरकार ने कार्य सम्हाला है, कई ऐसे निर्णय किये गये हैं जिनसे कि कर्मचारियों को अधिकाधिक सन्तोष हो। मैं इस दिशा में किये गये उपायों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा:—

(i) मई, 1974 की हड़ताल के दौरान नौकरी से बर्खास्त किये गये अथवा हटाये गये कर्मचारियों की बहाली तथा उन्हें दी गयी सज़ा रद्द करने से सम्बन्धित कार्रवाई निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली गयी है।

(ii) आपात स्थिति के दौरान जिन कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया गया था, उनके मामलों की पुनरीक्षा भी पूरी कर ली गयी है।

(iii) जो कर्मचारी सीधे रेल परिचालन से सम्बद्ध हैं, उनके सम्बन्ध में पदों के सृजन पर लगा हुआ प्रतिबंध सरकार ने पूरी तरह उठा लिया है और अब निर्धारित मानदण्ड के अनुसार इस प्रकार के पद सृजित किये जा सकते हैं।

(iv) केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ रेल कर्मचारियों को भी 1 सितम्बर, 1977 से मंहगाई भत्ते की एक और किस्त दे दी गयी है।

(v) अनिवार्य जमा योजना, जो अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ रेल कर्मचारियों पर भी लागू थी, समाप्त कर दी गयी है।

(vi) 10 घंटे कार्य का नियम लागू करने के लिए जिन उपायों का उल्लेख मैंने पहले किया है, उनके अलावा लोको रनिंग कर्मचारियों तथा अन्य सामान्य रनिंग कर्मचारियों के ग्रेड तथा सेवा की शर्तों में सुधार किया गया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

(क) डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए (जिनका पदनाम विशेष ग्रेड ड्राइवर होगा) 550-750 रुपये और डाक एवं एक्सप्रेस गाड़ियों के गार्डों के लिए (जिनका पदनाम विशेष ग्रेड गार्ड होगा) 425-640 रुपये के नये वेतन-मान स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) 'सी' ग्रेड ड्राइवरों के 10 प्रतिशत पदों के लिए 425-600 रुपये का प्रवरण ग्रेड शुरू किया गया है।

(ग) द्वितीय फायरमैन (फायरमैन 'सी') का वेतन-मान 200-250 रुपये से बढ़ाकर 210-270 रुपये कर दिया गया है।

(घ) फायरमैन 'बी' से फायरमैन 'ए' कोटि में पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ङ) सभी रनिंग कर्मचारियों के रनिंग भत्ते की दरों में संशोधन किया जा रहा है जिससे उनकी परिलब्धियां बढ़ जायेंगी।

(च) 'सी' ग्रेड गार्डों के संशोधन वेतनमान का ग्रेड बढ़ा दिया गया है और उस वेतनमान का अधिकतम स्तर 480 रुपये से बढ़ाकर 530 रुपये कर दिया गया है।

(छ) रनिंग कर्मचारियों को अब नैमित्तिक अवकाश की अवधि के दौरान भी उसी तरह से रनिंग भत्ता दिया जायेगा जिस तरह कि उन्हें औसत वेतन पर छुट्टी के दौरान दिया जाता है ।

(vii) यह विनिश्चय किया गया है कि 31-3-1978 तक निकलने वाली लिपिक ग्रेड की 50 प्रतिशत रिक्तियां लिपिक-अप्रेंटिसों से भरी जायेंगी ।

(viii) गत वर्ष रेलवे बजट पर बहस के दौरान मैंने सदन को सूचित किया था कि कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार करने के उद्देश्य से मैं रेलों के विभिन्न संवर्गों की स्थिति की पुनरीक्षा करूंगा और सबसे पहले न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संवर्गों की पुनःरीक्षा होगी। इस निर्णय के अनुरूप पिछले 125 वर्षों में पहली बार चौथी श्रेणी के 50,000 कर्मचारियों को प्रवरण ग्रेड दिया गया है। इनमें सफाई वाले, चपरासी, अस्पताल के परिचर, गैंगमैन और गेटमैन शामिल हैं।

(ix) अब यह निर्णय किया गया है कि श्रेणी III के लगभग 500 पदों का ग्रेड बढ़ाकर उन्हें श्रेणी II में कर दिया जाये। मुझे विश्वास है कि इस निर्णय से तीसरी श्रेणी के अनेक कर्मचारियों को, विशेष रूप से वरिष्ठ पर्यवेक्षण कोटियों के कर्मचारियों को, सन्तोष मिलेगा क्योंकि इससे उनकी पदोन्नति के अवसर अब काफी बढ़ जायेंगे।

(x) रेलों पर श्रेणी II के अधिकारियों की श्रेणी I में पदोन्नति का कोटा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

(xi) गाड़ियों और भोजनालयों में खान-पान सेवा में सुधार करने और कमीशन के आधार पर काम करने वाले बेयरों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए अब यह निर्णय किया गया है कि इन बेयरों को निर्धारित वेतन-मान में नियमित रेल कर्मचारियों के रूप में समाहित कर लिया जाए। यह कार्य उनकी सेवा अवधि के आधार पर, चरणबद्ध रूप में, किया जायेगा।

(xii) रेलों पर कर्मचारी कल्याण व्यवस्था को गतिशील बनाया गया है ताकि कर्मचारियों की शिकायतों को शीघ्र और कारगर ढंग से दूर किया जा सके। रेलवे बोर्ड स्तर पर तथा क्षेत्रीय एवं मंडल स्तर के मुख्यालयों में अलग-अलग शिकायत कक्ष खोले गये हैं ताकि कर्मचारियों और आम जनता से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर अविलम्ब कार्रवाई की जा सके।

(xiii) जून, 1977 में बजट पेश करते समय मैंने प्रस्तावित समवेत उद्यम दल के गठन का उल्लेख किया था, जिसमें क्षेत्रीय स्तरों पर प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे। मैं प्रसन्नतापूर्वक सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि इस तरह के क्षेत्रीय समवेत उद्यम दलों ने जुलाई, 1977 से काम शुरू कर दिया है। अब रेल प्रशासनों से कहा गया है कि वे इसी प्रकार प्रत्येक मण्डल में मण्डल समवेत उद्यम दलों की स्थापना करें।

(xiv) रेलवे की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों द्वारा 48 संयुक्त परिषदों और ऐसे 170 कारखानों में कारखाना परिषदों की स्थापना की गयी है जहां 500 या इससे अधिक श्रमिक काम करते है।

(xv) कर्मचारियों से लगातार इस बात की शिकायत आती रही है कि उन्हें दी जाने वाली वर्दियां फिट नहीं बैठतीं और समय पर भी नहीं दी जातीं। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गयी है कि उन्हें मौसम के अनुसार समुचित वर्दी समय पर

मिल जाये। इसके अलावा मैंने यह भी निर्णय किया है कि कुछ मानक माप की वर्दियां सप्लाई करने की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसके स्थान पर रेल कर्मचारियों की वर्दियां प्रत्येक कर्मचारी के माप के अनुसार सिलवाई जायें।

(xvi) नकदी सुरक्षित रूप से और जल्दी भेजने और साथ ही कर्मचारियों को बैंकों के माध्यम से वेतन एवं पेंशन लेने की सुविधा देने के उद्देश्य से रेलों ने यह नीति अपनायी है कि रेलवे स्टेशनों और रेल कार्यालयों की परिसीमा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोली जायें।

(xvii) जून, 1977 में बजट पेश करते समय मैंने यह भी कहा था कि उन सभी मामलों की मैं पुनरीक्षा करूंगा, जिनमें कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षिता प्राप्त करने की तारीख से बहुत पहले ही सेवा-वृद्धि मंजूर कर दी गई थी। इस पुनरीक्षा के फलस्वरूप अनेक सेवा-वृद्धियां रद्द कर दी गयीं और कुछ ऐसे मामलों में, जिनमें कर्मचारी पहले ही अपने बढ़े हुए सेवा-काल में कार्यरत थे, उनका कार्य-काल 31 मई, 1977 से खत्म कर दिया गया। अब यह एक सामान्य नीति बना दी गयी है कि अधिवर्षिता की आयु के बाद कर्मचारियों का सेवा-काल न बढ़ाया जाए ताकि जो कर्मचारी निचली सीढ़ी पर है, उन्हें अपेक्षाकृत पदोन्नति का शीघ्र अवसर मिले।

(xviii) पिछली सरकार ने सामान्य नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके श्रेणी III और श्रेणी IV के जिन मामलों में तदर्थ नियुक्तियां की थीं, वे सभी रेल सेवा आयोगों और जांच समितियों को भेज दिये गये हैं।

(xix) विभिन्न क्षेत्रों में रेल कर्मचारियों की प्रशंसनीय सेवाओं को मान्यता देते हुए सरकार ने कर्मचारी कल्याण के कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपये की तदर्थ राशि मंजूर की है। यह राशि उस रकम के अलावा है जिसकी कि बजट में व्यवस्था की गयी है। क्षेत्रीय रेलों ने प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के क्षेत्रीय समवेत उद्यम दलों के परामर्श से यह निर्णय किया है कि यह राशि किन-किन कल्याण योजनाओं पर खर्च की जाये।

65. रेल कर्मचारियों की कुछ और मांगों पर भी विचार किया जा रहा है और उन पर यथा समय उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

66. कर्मचारियों के प्रति इस रवैय्ये के पीछे मेरी यह जनतांत्रिक आस्था रही है कि रेल कर्मचारियों और उनकी ट्रेड यूनियनों के पूरे सहयोग से रेल प्रशासन का काम चलाया जाये।

रेल दर जांच समिति

67. मार्च, 1977 में अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि लोक लेखा समिति (1974-75) की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने माल भाड़े और किराये की दर संरचना का अध्ययन करने और इस सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि रेल दर संरचना जांच समिति नियुक्त की जा चुकी है और इस समिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। हमें इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी।

किराये और भाड़े की दरों में कोई वृद्धि नहीं

68. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, 1978-79 के बजट में किराये और भाड़े की संरचना में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव मैं नहीं रख रहा हूं। बल्कि, इस सदन को और रेल-उपयोगकर्ताओं को मैं कुछ शुभ समाचार देना चाहता हूं।

यात्रियों के लिए रियायतें

69. मेरा सदा से यह विश्वास रहा है कि रेलों की समृद्धि में रेल कर्मचारियों और रेल उपयोगकर्ताओं को भी हिस्सा मिले। मैं पहले ही कर्मचारियों तथा रेल उपयोगकर्ता दोनों के लाभ के लिए गिये गये उपायों का उल्लेख कर चुका हूं, लेकिन इसके साथ ही मैंने दूसरे दर्जे के यात्रियों को कुछ राहत देने के प्रश्न पर भी विचार किया है। इसके लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहा हूं :—

(i) दूसरे दर्जे के यात्रियों से इस समय तीन-टियर और दो-टायर शयन-यान, दोनों में पहली रात के लिए 5 रुपए तथा तीन टियर और दो-टियर शयन-यानों में बाद की प्रत्येक रात के लिए क्रमशः 3 रुपए और 5 रुपए प्रभार लिया जाता है। अब इस प्रभार में कमी करके पूरी यात्रा के लिए केवल 5 रुपये प्रभार लिया जायेगा, भले ही यात्रा में कितनी ही रातें पड़ती हों।

(ii) सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे के यात्रियों से लिया जाने वाला अधिप्रभार 1.60 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया जायेगा। जो सुपर फास्ट गाड़ियां अब सुपर फास्ट नहीं रह गयी हैं, उनमें अधिप्रभार पूर्णतः समाप्त कर दिया जायेगा।

(iii) दूसरे दर्जे में बैठने तथा सोने के लिए स्थान आरक्षित कराने का प्रभार 50 पैसे से घटाकर 25 पैसे कर दिया जायेगा।

(iv) 1975 से पहले विशिष्ट पहाड़ी स्टेशनों के लिए किराये में जो रियायत दी जाती थी उसे फिर से शुरू कर दिया जायेगा। निर्दिष्ट पहाड़ी स्टेशनों के लिए जो रियायत अब, जुलाई से मार्च तक के नौ महीनों के लिए तथा जम्मू तवी और गंगटोक के लिए वर्ष भर दी जाती है, वह भविष्य में ऐसे सभी पहाड़ी स्टेशनों के लिए वर्ष भर उपलब्ध रहेगी। मुझे आशा है कि इससे देश में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

(v) मैं कुछ ऐसी रियायतों का भी उल्लेख करना चाहूंगा जो जनता के विभिन्न वर्गों जैसे विद्यार्थियों, अध्यापकों, युवकों, पर्यटकों और पत्रकारों को या तो इस वर्ष के दौरान दी जा चुकी है, अथवा जिन्हें बजट वर्ष में देने का प्रस्ताव है :

(क) सामान्य नियमों के अंतर्गत, मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापक जब चार या इससे अधिक की टोली में शैक्षणिक दौरे पर जाते हैं तो उन्हें रेल यात्रा में रियायत दी जात है। शैक्षणिक दौरे के लिए अब यह रियायत व्यक्तिश, अध्यापकों को भी दी जाती है बशर्ते कि वे सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी का अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(ख) यह भी निर्णय किया गया है कि जिन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या दस से कम हैं, उनमें शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को भी रेल रियायत की कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएं। लेकिन शर्त यह है कि इस प्रकार के दलों में पांच से कम विद्यार्थी न हों और ऐसे संस्थानों का प्रधान यह प्रमाणित करे कि इस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या दस से कम है।

(ग) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भाग लेने के लिए युवकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अब मैंने यह निर्णय किया है कि जब भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक संगठन विद्यार्थियों तथा युवकों के लिए

कार्य-शिविरों का आयोजन करें, तब विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों से भिन्न अन्य युवकों को उन कार्य-शिविरों में भाग लेने के लिए यात्रा सम्बन्धी वही रियायतें दी जायेंगी, जो शैक्षणिक दौरे के लिए विद्यार्थियों को दी जाती हैं।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलों ने विदेशी पर्यटकों के लिए 'इण्डरेल' पास योजना लागू की है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं लेकिन इसमें किराये का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होता है। ये टिकट 7 से 90 तक की अवधि के लिए होते हैं। और इस अवधि के दौरान पर्यटक जहां-कहीं भी और जिस किसी भी उपयुक्त या सुविधाजनक गाड़ी से चाहें, यात्रा कर सकते हैं।

(ङ) समाचार-पत्रों के अधिकृत संवाददाताओं को अब तक पहले दर्जे में यात्रा के लिए 15 प्रतिशत और दूसरे दर्जे में यात्रा के लिए 50 प्रतिशत की रियायती दर पर रेल यात्रा कूपन दिये जाते रहे हैं। रेल यात्रा कूपन का मूल्य 250 किलोमीटर के औसत किराये पर निश्चित किया जाता था। संवाददाताओं की यह शिकायत रही है कि 'टैलीस्कोपिक किराया प्रणाली' के कारण, अधिक लम्बी यात्राओं के संदर्भ में रियायत का कोई तत्व रह ही नहीं जाता। उनकी शिकायत को दूर करने के लिए, यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त रियायत की व्यवस्था जारी रखते हुए पहली मार्च, 1978 से उन्हें नकद मूल्य के कूपन दिये जायें। ये कूपन टिकट पर अंकित मूल्य के बदले दिये जा सकेंगे और इस तरह पहले प्राप्य रियायत सुलभ रहेगी चाहे कितनी भी दूरी की यात्रा की गयी हो।

मितव्ययिता के उपाय

70. परिहार्य खर्च को कम करने के लिए मितव्ययिता के कुछ कड़े उपाय भी किये जायेंगे जो इस प्रकार हैं :—

(i) भारतीय रेलों अनेक खण्डों पर उत्तरोत्तर डीजल या बिजली से गाड़ियां चलायी, जाने लगी हैं। कुछ लोको शेडों के उपयोग के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन से पता चला है कि जिन क्षेत्रों में अनिवार्यतः डीजल या बिजली से गाड़ियां चल रही हैं, वहां भाप-चालित रेल इंजनों के अनेक शेड अनावश्यक हो जायेंगे, तदनुसार, सभी सभी क्षेत्रीय रेलों को ये अनुदेश दिये गये हैं कि ऐसे क्षेत्रों में स्थित इन लोको शेडों को क्रमशः बन्द कर दिया जाये। आशा है कि इससे पर्याप्त बचत होगी।

(ii) तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि रेलों पर विशिट अधिकारियों के बंगलों पर चपरासी नियुक्त करने की परिपाटी समाप्त कर दी जानी चाहिए। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस मामले की जांच करायी है। इस समिति के निष्कर्षों पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायेगा।

(iii) निरीक्षण यानें, जिन्हें प्रायः सैलून कहा जाता है, का उपयोग पहले ही सीमित कर दिया गया है। मैं इस आशय के एक सुझाव पर विचार कर रहा हूं कि पर्यटन यानों के अलावा इस तरह के निरीक्षण यानों में से भी कुछ यान यात्रा के लिए पर्यटकों को दे दिये जायें। इससे अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

(iv) बिल-फार्मों आदि के उपयोग के बारे में शीघ्रतापूर्वक पूरे किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि इन फार्मों की संख्या और आकार कम कर देने से काफी बचत हो सकती है। फार्म, लेखन-सामग्री आदि पर खर्च घटाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि कागज के उपयोग और छपाई के खर्चे में कमी करके पर्याप्त बचत की जा सके।

(v) ड्यूटी पर यात्रा करने वाले रेल अधिकारी आजकल अपने पूरे परिवार को साथ ले जाने के हकदार हैं। आम जनता को अधिक स्थान सुलभ रहे, इस उद्देश्य से मैंने यह निर्णय किया है कि भविष्य में अधिकारियों के साथ ड्यूटी-पास पर उनके बच्चे गाड़ी में यात्रा न करें।

(vi) टेलीफोन, बिजली, स्टाफ कार के उपयोग, नेमी निरीक्षणों पर खर्च, ईंधन की खपत आदि के सम्बन्ध में मितव्ययिता बरतने के लिए कड़े आदेश दिये गये हैं। रेलों को यह हिदायतें दी गयी हैं कि वे अन्य क्षेत्रों जैसे सामान सूची, गैर-परिचालनिक कर्मचारी, फुटकर खर्च आदि मदों में न केवल मितव्ययिता बनाये रखें बल्कि उसकी मात्रा भी बढ़ायें ।

71. मितव्ययिता के उपर्युक्त उपाय अपनाकर मैं चाहूंगा कि खर्च और विशेषाधिकारों में कटौती की जाए और उसका लाभ-रेल-उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से दूसरे दर्जे के यात्रियों को पहुंचे।

72. मैं इस बात के लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं कि जब से नयी सरकार ने कार्यभार सम्हाला है, लगातार दूसरे वर्ष, बिना किराया-भाड़ा बढ़ाये वर्ष 1978-79 के लिए भी 65.43 करोड़ रुपये की बचत का बजट प्रस्तुत किया जा सका है। सभी कोटियों के रेल कर्मचारियों की कड़ी मेहनत तथा रेल परिचालन को सुधारने में उनके हार्दिक सहयोग से ही यह सब संभव हुआ है। चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल कर्मचारियों के प्रशंसनीय कार्य ने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया है कि केवल आपात्काल के दौरान थोपे गये अनुशासन से ही बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। हमारा यह सतत प्रयास रहेगा कि राष्ट्र की यह प्राण-वाहिनी सर्वाधिक दक्षता से कार्य करती रहे ताकि देश के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास का यह एक प्रभावकारी साधन बन सके। मुझे विश्वास है कि अपनी रेलों को और अधिक सेवापरायण और लाभकारी बनाने में मुझे सभी माननीय सदस्यों, रेल उपयोगकर्ताओं और समस्त रेल कर्मचारियों का सहयोग और सदभाव मिलता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन के सम्मुख अपने पिछले वायदों को पूरा करने तथा भावी आश्वासनों के बारे में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है तथा 2 बजे पुनः समवित होगी।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दोपहर के दो बजे तक के लिए स्थगित की गई।

The Lok Sabha Then adjourned for lunch till Fourteen Hours of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद दोपहर के दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवित हुई।
The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बम्बई के निकट एयर इंडिया के जम्बों विमान को दुर्घटनाग्रस्त होना

श्री प्रद्युम्न बाल (जगतसिंह पुर) : मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"बम्बई के निकट समुद्र में वर्ष 1978 के पहले दिन एयर इंडिया के जम्बो विमान के, जिसमें 213 यात्री और चालक दल सवार थे, के घटनाग्रस्त होने का समाचार"

The Minister of Tourisum and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) :Sir, It is with profound sorrow that I have to make a Statemtent in the House about the tragedy that over-took Air India's Boeing 747 aircraft VT-EBD resulting in the death of 213 persons (including 23 members of the crew). The aircraft crashed in the sea off Bandra coast on the evening of January 1, 1978. The aircraft was completely destroyed and there were no survivors.

The aircraft VT-EBD "Emperor Ashoka" arrived from New York at 11.00 A.M. on December 31, 1977. It was followed by training blying from 14.00 hours to 16.50 hours. On inspection of the aircraft, it was found that due to a bird hit, the right hand inboard trailing edge mid-flap was damaged to the extent of a depression of 6"×8" This required minor repair and this aircraft which was scheduled to operate the flight AI-855 Bombay-Dubai at 07.15 hours on 1st January, 1978 was rescheduled at 19.15 hours.

The chocks of this flight were removed at 19.35 hours, 20 minutes after it was rescheduled to depart, the 25 minutes delay being due to cargo loading. The aircraft was pushed back from the parking bay by means of a tractor. When the Commander raised power to taxi forward, he found that the throttle of No. 1 engine was sluggish. He therefore requested the Engineer to put the 'chocks' on so that he could check the throttle while stationary. Having satisfied himself that the throttle responded satisfactorily during the subsequent check, the aircraft taxied to the take off point and took off at 2012 hours. One and half minutes after it took off, the aircrafts lost contact with the Control Tower and Radar and crashed into the sea off Bandra Coast.

The aircraft was delivered in Bombay in April 18, 1971 and has flown 21,811 hours so far. The four engines have flown from 13,209 to 15,462 hours. The aircraft was under the command of Capt. M. L. Kukar and the Co-Pilot was Capt. I. Virmani. Their experience and other details are as follows :

(a) Commander : **Capt. M. L. Kukar.**

ALTP (Airline Transport Pilots) Licence No. 254 valid up to 7-1-1978.

FRTO (Flight Radio Telephone Operator) Licence No. 483 valid up to 7-1-1978

Total No. of hours flown	17912
No. of hours on 707	4489
No. of hours on 747	2481

Capt. Kukar had finished his route checks in November and was due to take his instrument rating test on January 18, 1978.

(b) Co-Pilot—**Capt. I. Virmani.**

ALTP Licence No. 843 valid up to 6-1-1978.

FRTO Licence No. 2180 valid up to 6-1-1978.

Total no. of hours flown	4663
No. of hours on 707	242
No. of hours on 747	89

The Flight Engineer was Shri A. Faria with Licence valid up to 12-12-78 with a total flying experience of 6088 hours on 707 and 1055 hours on 747.

In order to ensure an impartial high level inquiry, a Court of Inquiry under Shri Justice M.N. Chandurkar of the Bombay High Court has been appointed by the Government of India to investigate into the accident. Capt. P.A. Williams of Indian Airlines, Air Commondore P.S. Bere of Air Headquarters, Shri A.V. Vartak, Retired Deputy Director General of Civil Aviation, and Shri R. Varadarajan, Project Co-ordinator & Incharge Design Bureau, Hindustan Aeronautics Ltd., have been appointed as assessores. The Court is expected to submit its report to the Government by 31st March, 1978. All concerned and in fact anybody who wishes to give evidence to the Court of Inquiry can do so.

Part of the wreakage has been found. The Flight Data Recorder which was recovered was sent by the Court of Inquiry to the National Transport Safety Board in Washington and a 'read-out' has been received which is in the custody of the Court of Inquiry. The Cockpit Voice Recorder was also recovered subsequently and has been sent by the Court of Inquiry to the National Transport Safety Board in Washington for its read-out.

As regards compensation to the dependants of the crash victims, as on 17th February, 1978, claims in respect of 163 deceased passengers have been received, offers of compensation have been sent in 71 cases and final payment to the tune of Rs. 12.29 lakhs has been made in respect of 9 cases.

As regards crew members, out of 23 cases, 17 cases involving payment of Rs. 19.57 lakhs have been settled.

The House will share my deep sense of shock and profound sorrow and join me in expressing sympathies to the bereaved families.

श्री प्रद्युम्न बाल : माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है उससे स्पष्ट है कि विमान में उड़ान भरने से पहले ही कुछ खराबी थी। जब उड़ान भरने के समय ही इसके इंजन में गड़बड़ी हो गई थी तो संचालन प्राधिकारियों को इसके बारे में तुरन्त सतर्क हो जाना चाहिए था। उड़ान भरने के केवल 1½ मिनट बाद ही विमान का नष्ट हो जाना काफी संदेहात्मक है तथा इसके बारे में लोगों के मन में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। विमान द्वारा यात्रा करना अब देश में खतरे से खाली नहीं समझा जाता। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में दुर्घटना का वर्णात्मक ब्यौरा तो दे दिया है परन्तु उन्होंने यह बिल्कुल नहीं बताया कि वह इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठा रहे हैं? जीवन बीमा निगम को मुआवजे के रूप में 9 करोड़ रुपये की धनराशि देनी पड़ेगी। इन सभी बातों से प्रश्न यह उठता है कि सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने जा रही है।

श्रीमानजी एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को विदेश से कोई गुप्त टेलीफोन आया था जिसके अनुसार उन्हें इस विमान में यात्रा करने से रोका गया। इसके परिणाम स्वरूप 120 यात्रियों ने अपनी टिकटें बदलवा लीं, इसके बारे में वास्तविक स्थिति क्या है। क्या यह भी सही है कि एयर इंडिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों को काफी अधिक कार्य करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उन्हें अपेक्षित आराम नहीं मिल पाता? क्या यह भी सही है कि भारतीय विमानों का रखरखाव भी ठीक नहीं है? भारतीय विमान सेवा के विमान प्रायः विलम्ब से उड़ते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मंत्री महोदय को देना चाहिए।

Shri Purshotham Kaushik : It is correct that it is the probably the most serious air crash of civil aviation's history of this Country. We all have got sympathy with the victims and we are also doing our utmost to provide their families all possible assistance. After the findings of the Court of Inquiry are received, all the other necessary steps would be taken to check the recurrence of such Crashes. I may once again remind the hom. Member

that on that day some passengers did not turn up. Consequently passengers from waiting list were accommodated. It is not correct to say that any informations regarding likelihood of the incident was received from Dubai etc. because of which the passengers cancelled their journeys.

I may once again submit that appropriate action would be taken against those found guilty in the findings of Court of Inquiry. Corrective measures will also be taken thereafter, if required.

A refrence has also been made about the overwork among the crew members. In this connection, I may submit that the crew members are never over worked. Nobody is being forced to work beyond prescribed period of work.

Regarding delay in flights, it is correct that during the last few days, the position is tight. One aircraft has to operate on 3-5 routes as more and more places are being linked with the air service. But at the same time I may submit that before every flight, the aircraft is technically checked.

Regarding the bird hitting the aircraft, I may submit that no damage was done to the engine of the aircraft. After the necessary repairs our engineers were of the view that the plane was fit for flight. It was only after that that the flight was undertaken.

Shri Kacharulal Hemraj Jain (Balaghat) : Sir, deep concern has been expressed by the hon. Minister over the crash of an Air India plane near Bombay. So many details have been given of the aircraft but it is surprising that no action has been taken against the high ups is responsible for this fatal accident. The news regarding cancellation of reservations by 126 people has not been contradicted by the Minister. It has also been reported that the aircraft lost its contact with the airport immediately after flight. But rather than to come out with any substantial plan for helping those associated with the crew, the Minister has simply expressed his concern. My submission is that some sort of guarantee sould be given to the families of victims for providing employment to their children.

Shri Purshottam Kaushik : I well come the sentiments of the hon. Member. I must make it clear that I being the Minister incharge for Civil Aviation to take the responsibility of this accident myself. But I may once again make it clear that I am all out to help the families of victims of this accident. The Honourable Member has said so many things which are mainly based on newspaper reports. I must make it clear that nothing can be said with authority before the receipt of report of enquiry. With regard to hon. Members contention of aircraft being moved by trolly tractor, I must mention for his infomation that aircrafts are usually brought out of their sheds by tractors up to their runway. After the receipt of inquiry report, we will deliberately take necessary actions against the persons found to be guilty or responsible for this incident. All possible steps are being taken to provide all sort of help to the families of victims.

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक

DEPOSIT INSUARNCE CORPORATION (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL

वित्त, राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्यय गारण्टी देने की आवश्यकता की अच्छी तरह से पूर्ति करने के उद्देश्य से क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन और अन्तरण का और निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने तथा उससे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्यय गारण्टी देने की आवश्यकता की अच्छी तरह से पूर्ति करने के उद्देश्य से क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन और अन्तरण का और निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTER UNDER RULE 377

(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना देने का समाचार

श्री वयालार रवि (चिरयींकील) : नियम 377 के अन्तर्गत आप द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर मैं सदन का ध्यान सरकारी कर्मचारियों द्वारा आरम्भ किये जाने वाले आन्दोलन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारियों ने 23 मार्च, 1978 को धरना देने का निर्णय किया है क्योंकि काफी लम्बे समय से उनकी अनेक मांगें अविलम्बित पड़ी हुई हैं। केन्द्रीय सरकार के 30 से अधिक कर्मचारी संघों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय किया है।

इसी प्रकार रेल कर्मचारियों के भी बोनस सहित अनेक मामले लम्बित पड़े हुए हैं। डाक तथा तार विभाग के सम्बन्ध में वेतन आयोग की कई सिफारिशें समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं की गई है। डाक तथा तार विभाग के 30 प्रतिशत कर्मचारी गैर विभागीय कर्मचारी हैं तथा उनको परिलब्धियां बहुत कम हैं। उनकी स्थिति दयनीय है। अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें स्थाई बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिएं।

मंहगाई भत्ते को वेतनमान में मिलाना न्यायोचित है। 1968 में उत्पीड़न के कई मामले हुए थे जिन्हें अभी तक निपटाया नहीं गया है। कुछ वर्गों में सीधी भर्ती के कारण अवरोध उत्पन्न हो गया है। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सभी मामलों की ओर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिए तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जानी चाहिए।

(दो) नेपाल को चोरी छिपे पटसन भेजने का समाचार

Shri L.L. Kapoor (Purnia) The production of jute in the country is much below our requirements. With a view to keep jute mills running and keep the workers in employment, jute is being imported from Thailand and other countries of the South East and is being supplied to the mill owners at subsidized rates. On the other hand, a large quantity of our jute production is being smuggled to Nepal, particularly from Purnea and Saharsa districts of Bihar, in collusion with the customs employees. Attempts made by the officers of J.C.I. to prevent this had failed and jute worth six crores of Rupees had been smugglled out of India. This should be pevented with the help of the Border Security Force with a view to avoid loss of foreign exchange.

(तीन) फरीदाबाद और दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में कथित श्रमिक अशान्ति

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर): मैं प्रक्रिया नियम के नियम 377 के अधीन सभा का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"फरीदाबाद में और दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र में कथित श्रमिक अशांति"

इस सम्बन्ध में 'टाईम्स आफ इंडिया' के फरवरी, 1978 के अंक में भी समाचार छपा था। डी०एस०पी० तथा पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वे उनके कारखाने को बचाने के लिए अन्य कारखानों का सहयोग भी लेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस को वे अपना नौकर समझते हैं।

समाचारों के अनुसार एक अन्य कारखाने में श्रमिक आंदोलन का कारण उनके सहयोगियों को नौकरी से निकालना था। फरीदाबाद के सेक्टर 6 में स्थित एक दूसरे कारखाने में जो आन्दोलन चल रहा है उसका कारण तीन कर्मचारियों को निलम्बित करना था। टाप स्टायल नामक कारखाने के कर्मचारी संघ के एक सदस्य की मारपीट की गयी।

इस प्रकार फरीदाबाद औद्योगिक काम्प्लेक्स में आतंक का राज्य है। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हजारों श्रमिक भयभीत हो गये हैं।

मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने तथा यह आश्वासन देने का अनुरोध करता हूं कि वे कर्मचारियों के दिल में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए उचित कदम उठायें।

(चार) सासाराम के निकट रेपुया में हरिजन को जिन्दा जलाये जाने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): एक खेदजनक तथा दर्दनाक समाचार यह आया है कि 15 फरवरी, 1978 को सासाराम (बिहार) के निकट एक हरिजन को जिन्दा जलाया गया।

हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें तुरन्त रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए।

बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक

CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का और संशोधन करने तथा भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में कुछ परिणामिक संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधयक का उद्देश्य लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना है। इसमें यह व्यवस्था भी की गयी है कि इसके अन्तर्गत सभी अपराधों की भारतीय दंड संहिता के अधीन पुलिस द्वारा जांच हो।

विवाह की आयु का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। इस प्रश्न का सीधा प्रभाव देश की बढ़ती जनसंख्या पर भी पड़ता है। इस समस्या को कुछ सीमा तक हल करने हेतु लड़कों तथा लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना जरूरी हो गया है।

अतः इस विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि विवाह के लिए लड़कों के आयु बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष की जाये।

जब तक विधेयक के अंतर्गत अपराधों को दंडनीय नहीं बनाया जाये उस समय तक यह कानून पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। अतः व्यवस्था यह की गयी है कि अपराधों को दंडनीय बनाया जाये तथा पुलिस द्वारा इनकी जांच हो। पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती ।

हमारा उद्देश्य लोगों के इन सुधारों के बारे में शिक्षित करना होना चाहिए।

श्री वयालार रवि (चिरयींकील) : इस विधेयक को लाने का एक कारण बढ़ती जनसंख्या को रोकना भी है। सरकार इस समस्या से पूर्णतः परिचित है और इस दिशा में यथासंभव प्रयास कर रही है।

युवा वर्ग ने मतदान की आयु घटाने की मांग भी की है । मध्य प्रदेश तथा गुजरात की सरकारों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है।

अतः जब इस देश के एक नागरिक को 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार है तो सरकार कैसे उसे कानून द्वारा 18 वर्ष की आयु में शादी करने से रोक सकती है।

इस बात का कोई तर्क नहीं है कि पुरुष के लिए शादी की आयु 21 वर्ष रखी गई है जबकि महिला के लिए 18 वर्ष । पुरुषों के लिए भी यह 18 वर्ष होनी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बराबर आयु होनी चाहिए।

जनसंख्या को रोकने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि सरकार यह आश्वासन देती है कि एक या दो बच्चों वाले परिवारों को कोई सामाजिक दर्जा दिया जायगा और किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायगी, तो इससे काफी सहायता मिलेगी क्योंकि प्रत्येक परिवार अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचत करना चाहता है। अतः इस विधेयक द्वारा इस उपाय पर विचार किया जाना चाहिए कि देश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार का हो।

***श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** (नवद्वीप) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । विधि मंत्री ने कहा है कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जनसंख्या वृद्धि कुपोषण, निरक्षरता और जीवन के निचले स्तर से सम्बन्धित है। जनसंख्या आर्थिक स्तर और शिक्षा के बढ़ने के अनुपात के विपरीत अनुपात से बढ़ती है। जन साधारण के जीवन स्तर को उठाने और उचित शिक्षा देने के बिना कानूनों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकना बेकार का प्रयत्न है। अतः इस विधेयक का उद्देश्य गलत बताया गया है।

विधेयक का एकमात्र उद्देश्य भारत में महिलाओं का स्तर उठाना और ऐसा सामाजिक वातावरण बनाना होना चाहिए जिसके आधार पर पुरुष और स्त्री समान रूप से स्वस्थ्य जीवन बिता सकें । भारतीय महिलाओं की उन्नति में बाल विवाह और अवांछनीय बच्चों का होना एक

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

रुकावट है। मैं विधेयक का स्वागत करती हूं क्योंकि यह महिलाओं के स्तर को बढ़ाता है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बौद्धिक प्रबुद्धता और आर्थिक उत्थान में मदद करता है। संक्षिप्त रूप में यह कहा जा सकता है कि इसका उद्देश्य राष्ट्र के हित में महिलाओं का पूर्ण विकास करना है।

बाल विवाह अनवरत रूप से एक सामाजिक बुराई चल रही है जोकि महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है। शारदा अधिनियम 1929 में पास हुआ था और उस विधान के होते हुए भी यदि हमारे देश में महिलाओं की यही दशा है तो यह इस बात का द्योतक है कि यह कितनी गंभीर समस्या है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक तत्वों ने सामूहिक रूप से बाल विवाह की समस्या को जन्म दिया है।

निरक्षरता तथा बाल विवाह साथ-साथ चल रहे हैं। पता चला है कि महिलाओं में शिक्षा के प्रसार से बाल विवाह के मामलों में कमी आई है। देश में बाल विवाह को रोकने के लिए व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी का हार्दिक सहयोग लिया जाना चाहिए और वह भी विशेषकर महिला संगठनों से। महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी भारतीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि एक सांविधिक स्वायत्त आयोग गठित किया जाना चाहिए जो कि सामाजिक संगठनों के सभी तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्र करें जिनका कि महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है। उनके मूल अधिकारों को महसूस किया जाना चाहिए और यह आयोग वर्तमान नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें।

हमारी 70 प्रतिशत आबादी गरीबी के स्तर से भी नीचे के स्तर की है। और बहुत से सब लोग अशिक्षित हैं। इन्हीं लोगों में ही बाल विवाह प्रथा प्रचलित है। इन्हीं लोगों में ही आबादी अधिक है। इन दो समस्याओं को सुलझाने के लिये हमें क्रांतिकारी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने होंगे, गांवों में जमीन बहुत ही थोड़े लोगों के हाथों में है और जब तक हम भूमि सुधार लागू नहीं करते हम इस देश में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को दूर नहीं कर सकते और न ही जनसंख्या की वृद्धि ही रोकी जा सकती है।

Km. Maniben Vallabhbhai Patel (Mehsana) : This law should be made applicable uniformly to all people irrespective of their caste or creed. Such measures of social reform should cover all communities. This legislation, which has a very limited objective, will not achieve its end unless it is enforced strictly. Some kind of social climate should be created to achieve the social reform which this legislation seeks to do. These days provocative atmosphere is prevailing all around for young men and it has got to be changed. All measures of social reform should be made applicable to all communities without any discrimination.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर): मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं। मात्र ऐसा विधेयक लाने से बाल-विवाह को रोकने में सहायता नहीं मिलेगी। जो संकुचित दृष्टिकोण यहां अपनाया गया है उससे यह विधेयक केवल संविधिक पुस्तक तक ही सीमित रह जायेगा। हमें यह बात समझनी चाहिये कि हम लड़कियों के लिये विवाह की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष कर रहे हैं लेकिन विवाह की अवस्था पर पहुंचने से पहले उनके मानसिक विकास के लिये समुचित अवसर प्रदान किये जाने चाहियें। दूसरे शब्दों में शिक्षा प्रणाली के पुनर्विन्यास की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस समस्या को देश की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक अन्य क्षेत्रों में प्रगति नहीं होती तब तक हम विधेयक के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।

फिर विवाहों के पंजीकरण का भी प्रश्न है क्योंकि यह इस समस्या के साथ सम्बद्ध है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह इस विधेयक के अनुरूप इस परिवेश्य के अनुरूप विवाहों के पंजीकरण के संबंध में बहुत शीघ्र ही एक विधेयक लायें। इस तरह के खण्डशः विधान का कुछ लाभ नहीं

होगा । कुछ व्यापक विधेयक होना चाहिये । हमें अपने लोगों को शिक्षा देकर उनके सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना चाहिये ताकि वह इस विधेयक का महत्व समझ सकें । केवल जनसंख्या नियंत्रण पर ही बल नहीं दिया जाना चाहिये । सामाजिक सुरक्षा के पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि बच्चों को बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है अतः ऐसे सामाजिक सुधारों को ईमानदारी से लागू करने के लिये एक समग्र नीति की आवश्यकता है ।

Shri Ram Kishan (Bharatpur): There is no provision in this Bill which can be opposed and so this Bill should be unanimously adopted. This measure has a limited objective of checking the growth of population. But is a wider question, and so, unless redical changes are brought about in our social and economic conditions, there will not be much improvement in the situation. This problem cannot be tackled merely by Legislative measures, because so many other issues are associated with it. In my opinion, even the present age as proposed is on the low side. The minimum age of marriage for males should be fixed at 25 years and for female it should be fixed at 18 years some kind of social consciousness should be aroused specially among the rural people to make them realise the evils of larger families. At the same time, legislation should be enacted to ban the marriages of widows and widowers with a view to controlling the growth of population.

The law Minister has stated that police will investigate into the cases of violation of this law. But it is difficult for the rural people to furnish the documentary evidence of the age of marrying parties. Therefore, the Village Panchayats should be instructed to keep a register for births so that they can certify in the case of dispute.

However, this Bill deserves all support but at the same time, steps should be taken to educate our youth so that they may realise their responsibilities in this regard. In my opinion, the minimum age for marriage prescribed in this Bill should be given preference in public services. Similarly, all facilities should be withdrawn from those who have more than three children.

***श्री ए० सुन्ना साहिब** (पालघाट) : इस विधेयक में मांग की गई है कि महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की जाये और पुरुषों के लिये 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाये । मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं क्योंकि देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अत्यन्त आवश्यकता है । यदि इस विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये तो विवाहित जीवन की समयावधि कम होने के कारण वृद्धि दर में अवश्य कमी होगी और इससे मां और बच्चे का स्वास्थ्य और अच्छा होगा।

इस विधेयक के उपबन्धों से सम्पूर्ण समाज प्रभावित होगा चाहे वे ग्रामीण लोग हों या शहरी लोग । शहरी लोग अपने परिवारों को स्वयं सीमित रखना चाहते हैं ।

हमारे देश की बहुसंख्या भोले भाले अपढ़ ग्रामीणों की है । यह लोग पुराने रीति रिवाजों के कारण कष्ट उठा रहे हैं । वे आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं । उनके उद्धार के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सुधार अपेक्षित हैं । उन्हें छोटे परिवार की आवश्यकता समझाई जानी चाहिये । बच्चे उनके कार्य में योग देते हैं । इससे छोटे परिवार संबंधी सरकारी प्रयत्न विफल हो जाते हैं ।

आज भी मुस्लिम कन्याओं का विवाह 10 से 14 वर्ष की आयु में हो जाता है । हमारे देश में कन्याओं का विवाह करना माता-पिता का पुनीत कार्य माना जाता है । कानून के साथ अन्य उपाय भी करने चाहिये ताकि लोग अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह जल्दी न करें।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised transiated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मेरा सुझाव है कि कन्याओं की विवाह आयु 21 वर्ष तथा लड़कों की 25 वर्ष की जानी चाहिये । देर-सवेर सरकार को यह कदम उठाना चाहिये ।

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : I congratulate the Law Minister for bringing forward such a welcome measure aiming at curbing of population. The Bill has a limited purpose to create a happy family. For that purpose it is essential that both bridegroom and bride are able and understand everything about marriage.

It is very essential for the boys and also for the girls to become able educationally and physically and they should fully understand the implications of marriage. In order to achieve the objective some sort of consciousness shoud be aroused among the youths so that they might realize the rseponsibilities before going for marriage steps should also be taken to make them self reliant.

Physical beauty may be the aim of marriage in the western countries but in India virtues are the aim of marriage.

It is appreciable that violation of this law has been made cognizable offence. But at the same time it must be seen that any lacuna in the implementation of this measure should be removed.

Formerly barbers or Brahmins used to settle matches. In many cases the lives of boys or girls used to be spoiled. There should be freedom in the selection of life partners No marriage should take place unless the boys or girls are self reliant. The age fixed for girl marriage at 18 years is all right.

The child marriage is deplorable. The mothers used to settle marriages of their prospective childrens even before their births.

The marrige age of girls and boys was fixed at 14 years and 18 years in 1929. In 1949 the minimum age for girls marriage was raised to 15 years. But in spite of these laws the child marriage continue even today.

I agree that in our society it is considered secure if the member of children is more. If the Government can provide work for the unemployed and also old age protection the number of children can be reduced. The films and film songs do a lot of harm to our youth.

I am surprised to find that the Bill proposes to amend Hindu Marriage Act and Christian Marriage Act only and it will not be applicable to other communities.

श्री शान्ति भूषण : मूल अधिनियम सभी धर्मों पर लागू होता है। यह संशोधन भी सभी व्यक्तियों की विवाह संबंधी आयु पर लागू होता है ।

Shri Om Prakash Tyagi : In view of that I welcome the Bill.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagour): I oppose this Bill because the Bill provides to give right to the police to intervene. In our villages there are three stages of marriage, first being settlement of marriage, marriage and 'Gona'. The actual departure of bride takes place at the third stage. By then the girls and the boy are of marriage able age. The Bill should adversely affect the rural population . Under this measure, the violation of this law has been made a congnizable offence but in the case of a dispute it should be difficult for the rural people to produce correct evidence of age. This kind of social reforms cannot be implemented through the police machinery. The rural people are poor and there is every likelihood of their harassment in the enforcement of this law. The objective of this Bill is to curb the growth of population. It is appreciable yet there is likelihood of harrassment of rural poeple in the implemention of this law.

I, therefore oppose this Bill.

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): It is a welcome measure as it applies to all communities in the country. The confusion arose as there is mention of Hindu Marriage Act 1955 and Christian Marriage Act 1872. The clarification of the Hon. Minister has removed the doubts.

This Bill has a limited objective of curbing the growth of population but it cannot be achieved unless other measures to bring about radical changes in our social system are properly brought about. Stringent laws should be enacted to check the dowry system so as to make our youth conscious of the evils of larger families and early marriages. Some kind of social revolution has to be brought about to achieve that objective. However, I welcome this Bill and whole heartedly support it.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : यह एक छोटा विधेयक है परन्तु इसमें महत्वपूर्ण समस्या को लिया गया है ।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार का सामाजिक कानून महत्वपूर्ण है । यह सही है कि इस प्रकार के कानून को हमारे बड़े देश में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित करना अत्यन्त कठिन है । यदि इस कानून द्वारा कल्याणकार्य करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे । इन समाज सुधार कार्यों को आरम्भ करने के लिए हमें न केवल श्री शारदा को अपितु राजा राम मोहन राय के समय से आरम्भ हुए समाज सुधारकों का भी आभार मानना चाहिये।

मुझे खुशी है कि जनता सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को जारी रखने का निर्णय किया है । आपात काल में परिवार नियोजन कार्यक्रम का बलपूर्वक लागू किया जाना निन्दनीय था।

जन संख्या वृद्धि बीसवीं शताब्दी की एक प्रमुख समस्या है । शिक्षा एवं कानूनी उपायों द्वारा हमें जनता को जन संख्या नियंत्रण के लिए तैयार करना चाहिये । बिना दण्ड का उपयोग किये भी यह कार्य किया जा सकता है । समाज हितैषी कार्यों के लिए हम प्रोत्साहन और इनाम दे सकते हैं । आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए छोटे परिवार की उपयोगिता दर्शा कर इस बारे में जनमत पैदा किया जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने विवाह आयु की सीमा 25 वर्ष अथवा 30 वर्ष रखने का सुझाव दिया है जोकि युक्त नहीं है । यह खतरनाक सिद्ध हो सकता है । ग्रामों में इसे क्रियान्वित करना कठिन है । यह कार्य पुलिस, मजिस्ट्रेटों द्वारा ही नहीं अपितु सामाजिक अभिकरणों द्वारा किया जाना चाहिए । गरीबी और अज्ञान ने हमारे देश में अधिक समस्याएं पैदा कर दी हैं।

मैं समझता हूं कि समाज के सभी समुदायों के लिए एक समान कानून होना चाहिए ताकि हम सही अर्थों में धर्म-निर्पेक्ष राज्य बना सकें । यह कहना पर्याप्त नहीं है कि भारत में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षण मिलता रहा है । ऐसा सुरक्षण शास्त्रों में सिद्धांत रूप से ही अधिक रहा है । व्यवहार में कम । इस विधेयक द्वारा कन्याओं को माता-पिता के प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने का यत्न किया गया है । इस विषय पर अधिक व्यापक रूप से विचार किये जाने की आवश्यकता है । मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस बारे में व्यापक कानून लायेंगे तथा महिलाओं का विशेषतः पिछड़े वर्ग की महिलाओं का कल्याण होगा।

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं ।

इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि यह विधेयक सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होता है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि शारदा अधिनियम तथा बाल-विवाह रोक अधिनियम का ठीक प्रकार से पालन नहीं हुआ है । यह सही है कि इन अधिनियमों का शत प्रतिशत पालन नहीं हुआ है । परन्तु यदि 30–40 वर्ष में इस दिशा में हुई प्रगति पर विचार किया जाये तो पता चलता है कि बाल-विवाह निरन्तर कम होते जा रहे हैं ।

वास्तव में शिक्षा सामाजिक सजगता राजनीतिक जागरण से क्रमशः विवाह की आयु बढ़ती जा रही है। कई मामलों में इन नियमों का उल्लंघन हुआ है। जब भी कानूनों का उल्लंघन होता है उसका प्रसारण किया जाता है जब कि कानूनों के पालन की चर्चा नहीं की जाती। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि कानून का कोई लाभ नहीं है। इसलिए 18 वर्ष से कम आयु की लड़की शादी वह स्वयं नहीं करती अपितु अन्य लोग कर देते हैं। यह आवश्यक है कि लड़की की विवाह करने की आयु 18 वर्ष कर दी जानी चाहिए। मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। यद्यपि इससे जनसंख्या को बढ़ने से रोकने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी फिर भी जन्म दर में अवश्य कुछ कमी होगी।

सभापति महोदय: इस विधेयक पर चर्चा करने का निर्धारित समय समाप्त हो गया है।

Shri Hukum Chand Kachwai: (Ujjain) We should also be given chance to speak on this Bill.The entire house wants to increase time for discussing this Bill.

सभापति महोदय : क्या मंत्री जी को कोई आपत्ति है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मुझे कोई आपति नहीं है।

Shri Durga Chand (Kangra): The Bill is welcome. With the spread of education there is new awakening in the Country. The provisions of the Bill are in consonance with the changed atmosphere in the Country.

The Government should pay special attention to the question of educating the people about the usefulness of this legislation so that a proper atmosphere is created for proper implementation of its provisions. Advantages of late Marriages can be propagated by making suitable changes in curricula in our educational institutions.

Marriages should be registered. In rural areas Panchayats can maintain records of marriages with age of both the boys and girls at the time of marriage. This will also help in propagating the provisions of this law.

श्री के० मायातेवर (डिंडोगल) : कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का उद्देश्य जन्म पर नियंत्रण करना कहा है। कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाओं के कारण शारदा अधिनियम असफल रहा। मैं चाहता हूँ कि पुरुषों के विवाह की आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष की जानी चाहिए तथा लड़कियों के विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जानी चाहिए। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्योमैट्री ढंग से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन गणित के अनुसार बढ़ता है। कभी ऐसा समय भी आयेगा कि किसी को नौकरी, खाना और रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। मेरा सुझाव है कि पुरुष के विवाह की आयु 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी जानी चाहिए। केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें इस बारे में लोगों को शिक्षित करना होगा। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद जन्म दर में वृद्धि हो गई। आप उन कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर कीजिए।

मेरा एक सुझाव है कि हाई स्कूल स्तर से देर से शादी करने के बारे में कुछ अनिवार्य पाठ आरम्भ किए जायें और ये पाठ सभी स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाये जायें।

हमारे देश में लोग अन्य वस्तुओं की अपेक्षा बच्चा पैदा करना अधिक पसन्द करते हैं।

विधि मंत्री से मेरा सुझाव है कि वह जन्म नियंत्रण के लिए एक विधेयक पेश करें। यदि किसी सरकारी कर्मचारी के तीन से अधिक बच्चे होते हैं तो उसके वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। हम यह समझते हैं कि केवल कानून से सब कुछ नहीं बदला जा सकता लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को कानूनों का पालन करना चाहिये। अतः लोगों में सुधार करने के लिए कानून भी

आवश्यक हैं । केवल कानून से ही कुछ नहीं होगा । हमें लोगों के चिंतन में भी परिवर्तन करना होगा । अत: यह आवश्यक है कि सभी हाई स्कूलों तथा कालेजों में जन्म नियंत्रण के बारे में पाठ पढ़ाया जाना चाहिये । इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे । चाहे किसी भी जाति का विवाह हो सभी विवाहों को आवश्यक रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए ।

Shri Ramji Lal Suman (Ferozabad): The Legislation before the House, if implemented, will produce verv good fruits. It is necessary for the Government to take steps to ensure implementation of the provisions of this Bill. Our experience in the past has been that even good measures do not achieve desirable results because they are not implemented.

There is need for educating the people and changing their mental outlook so as to loosen the stranglehold of old beliefs and traditions. We have to create proper atmosphere for successful implementation of the present measure. It is not enough to providing for enhancing the age of marriage. The problem of dowry and other problems connected with marriage have also to be attached.

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम): मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन काल में विवाह कम आयु में हो जाया करते थे । उदाहरण के लिए श्री राम तथा सीता जी का विवाह तब हो गया था जबकि श्री राम की आयु 16 वर्ष की थी और सीता जी की आयु केवल 12 वर्ष थी । खैर तबसे हम बहुत आगे पहुंच गये । किन्तु फिर भी 19 वीं शताब्दी के आठवें दशक में गांधी जी की शादी बालकपन में ही हो गई थी और यह प्रथा 20 वीं शताब्दी के सातवें दशक तक चलती रही। हम इस बारे में तब से वहीं गुजर रहे हैं बल्कि उन दिनों से इस विषय पर विचार कर रहे हैं जबकि श्री हरविलास शारदा ने पहला विधेयक पेश किया था । और उन्हें इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था क्योंकि उस समय समाज की राय सर्वथा उनके विचारों के विपरीत थी । हिन्दू समाज पुराने ही तरीकोंको अपना रहे थे तथा रूढ़िवादी थे और प्राचीन रीतियों का अनुसरण कर रहे थे । इसलिए लगभग समूचे देश ने उनका विरोध किया । आज के भारत की विचारधारा इस विधेयक के अनुकूल है। सामाजिक प्रथाओं तथा सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन हो चुका है ।

भारत की जनसंख्या 1911 में केवल 25 करोड़ थी । स्वतन्त्रता के समय भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी । अब यह बढ़कर लगभग 62 करोड़ हो चुकी है । इससे पता चलता है कि देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या कितनी विकट है । इसी कारण से यह विधान अधिनियमित करने की ही आवश्यकता पड़ी है । परिवार नियोजन की शिक्षा तथा अन्य साहित्य स्कूलों की पुस्तकों के माध्यम से अथवा अन्य तरीकों से विवाहित लोगों को दी जानी चाहिए । चाहे उनका विवाह 21 वर्ष की आयु में हुआ हो अथवा 18 वर्ष की आयु में ।

दूसरा तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण विचार यह प्रकट किया गया है कि लड़कों के लिए विवाह की आयु 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए । विवाह की व्यवस्था को बढाना भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। हम चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से निवृत्त हो तो तब तक उसके सभी बच्चे अपने पांवों पर खड़े हो जाएं । इस विधेयक के द्वारा ऐसा ही करने का प्रयास किया गया है और लोग इसका स्वागत भी करेंगे।

Shri Hukum Chand Kachwai: The Minister deserves congratulations for bringing forward this good measure. It has to be realised that law alone is not sufficient to achieve desired results. There is need for proper education of the people. They shold be taught about the ill effects of child marriages.

The Government should also take steps to spread education more and more. Our experience is that child marriages are fewer in those areas where people are more educated. States where people are more educated. States where child marriages are more prevalent

should be advised to take steps to disuade people from resorting to child marriage. Of course there should be no harassment of people but they should be influenced through persuasion. Also people should be advised to marry their sons after they get employment.

Shri Hakum Deo Narain Yadav (Madhubani): The age of a boy at the time of marriage should be 25. Our old system of "Varunashvam" laid stress on observing "Brahmacharya" upto the age of 25. That is realty a desirable basis for advising boys to marry after the age of 25.

So far as population control is concerned, the present measure will not render much help. If we really want to control population all married couples who have three children should have, compulsory sterilization. Also we should educate the people about their duty towards society. It will be really just to increase the age of marriages for boys to 25 and for girls to 21.

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): It is gratifying that the Bill has received wide support from all sections of the House. It has been rightly stressed that unless there is social revolution problems of the country can not be tackled.

I have referred to population control in the beginning because I want to dispel the impression that Janata Government does not believe in population Control, Janata Party had opposed the inhuman way in which family planning was enforced during the emergency. We want to pursue this programme through pursuasion. The question of population control is very important and vitalitylinked with economic and social problems, we have to undertake all possible measures to control our population.

It has been pointed out that birth rate has increased during Janata Party regime but this is not correct.

Some of the hon. Ministers have pointed out that offences under this Bill have been made cognizable and likely to harass the people in the rural areas. Provision has been made in the Bill that although violation of the law would the cognizable offence but police could not make arrest without the orders of a magistrate.

It has been rightly said that legislation alone would not be enough for achieving the desired results. It has to be realised that social legislation and social awakening has to go hand in hand for tackling social problems.

Suggestions have been made to increase the marriage age still further. We have to realise that it will not be advisable to take a long jump in such matters all at once. After making the present measure a success we can think of doing more in this matter.

This Bill is applicable to people belonging to all religions. It will uniformally apply to all citizens.

Reference was also made to status of women. The Government is alive to this problem and is taking steps to do whatever is necessary to ensure proper status for women.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का और संशोधन करने तथा भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 और हिन्दू विवाह, अधिनियम, 1955 में कुछ परिणामिक संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खंड वार चर्चा करते हैं ।

खंड 2

श्री शांति भूषण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,—

'Sixteen' (सोलह) शब्द **के स्थान पर** 'Eighteen' (अठारह) शब्द **रख दिया जाए।**

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'Sixteen' (सोलह) शब्द **के स्थान पर** 'Eighteen' (अठारह) शब्द **रख दिया जाये।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended, was added to this Bill

खंड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 3 to 6 were added to the Bill.

अनुसूची

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 4 पेश करती हूं।

श्री आर० वेंकटारामन : मैं अपना संशोधन संख्या 5 तथा 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शांति भूषण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 और तीन—क्रमशः पंक्ति 19 से 39 और 1 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

'THE SCHEDULE

[See section 6]

Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1872 . . .	15	The Indian Christian Marriage Act, 1872	In Section 60, — (i) in condition number (1), for the words "eighteen years" and "fifteen years" the words "twenty-one years" and "eighteen years" shall respectively be substituted; (ii) the proviso shall be omitted.

(1)	(2)	(3)	(4)
1955	25	The Hindu Marriage Act, 1955	(1) In section 5,— (1) in clause (iii), for the words "eighteen years" and "fifteen years", the words "twenty-one years" and "eighteen years" shall respectively be substituted; (ii) clause (vi) shall be omitted. (2) Section 6 shall be omitted. (3) In Section 12, in sub-section (1) in clause (c), for the words and figure "is required under section 5" the words, figures and brackets "was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978" shall be substituted. (4) In section 18,— (i) for the brackets, letters and word "(v) and (vi)", the word, brackets and letter "and (v)" shall be substituted; (ii) in clause (b), the word "and" occurring at the end shall be omitted; (iii) clause (c) shall be cmitted' (No. 8)

(Shanti Bhushan)

'अनुसूची'

(धारा 6 देखिए)

वर्ष	संख्याक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3	(4)
1872	15	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872	धारा 60 में,— (i) शर्त संख्यांक (1) में, "अठारह वर्ष" और "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "इक्कीस वर्ष" और "अठारह वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; (ii) परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
1955	25	हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955	(1) धारा 5 में,— (i) खण्ड (iii) में "अठारह वर्ष" और "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "इक्कीस वर्ष" और "अठारह वर्ष" शब्द रखे जायेंगे। (ii) खण्ड (vi) का लोप किया जायेगा। (2) धारा 6 का लोप किया जायेगा। (3) धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में धारा 5 के अधीन अर्जीदार के विवाहा "संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी उस रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो" शब्द और अंक रखे जाएंगे। (4) धारा 18 में,— (i) "(5) और (6)" कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "और (5)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे। (ii) खण्ड (ख) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा; (iii) खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा। (संख्या 8)

(श्री शांति भूषण)

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4, 5, 6 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

Amendment Nos. 4, 5 and 6 were put and negatived

श्री शांति भूषण : संशोधन संख्या 8 माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधनों से भिन्न है।

श्री आर० वेंकटारामन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया है।

श्री आर० वेंकटारामन : आपने नहीं सुना।

सभापति महोदय : श्री शांति भूषण के संशोधन के अनुसार सारी अनुसूची बदल गयी है। अतः यह एक भिन्न संशोधन है। आपके संशोधन को सभा ने अस्वीकार कर लिया है।

श्री आर० वेंकटारामन : यह भिन्न संशोधन नहीं है।

सभापति महोदय: अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री आर० वेंकटारामन: जी नहीं ।

सभापति महोदय: सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया है । इस पर पुनः चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय: गणपूर्ति की घंटी बजायी जाये.....

श्री आर० वेंकटारामन: मेरे संशोधन को अस्वीकार किया गया । इसे पुनः नहीं रखा जा सकता। इसका निर्णय आप अपने ढंग से करें ।

श्री शांति भूषण: दोनों संशोधनों का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है । माननीय सदस्य के संशोधन का उद्देश्य बहुत ही सीमित था, वास्तव में दोनों ही संशोधनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न थे।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

पृष्ट 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 19 से 39 और

1 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ।

'THE SCHEDULE

[See section 6]

Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1872 .	15	The Indian Christian Marriage, Act, 1872.	In section 60,— (i) in condition number (1) for the words "eighteen, years" and "fifteen years", the words "twenty-one years" and "eighteen years" shall respectively be substituted; (ii) the proviso shall be omitted.
1955	25	The Hindu Marriage, Act, 1955	(1) In section 5,— (i) in clause (iii), for the words "eighteen years" and "fifteen years", the words "twentyone- years" and "eighteen years" shall respectively be substituted; (ii) clause (vi) shall be omitted. (2) Section 6 shall be omitted.

1	2	3	4
			(3) In section 12, in sub-section (1) in clause (c), for the words and figure "is required under section 5", the words, figures and brackets "was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978" shall be substituted. (4) In section 18,— (i) for the brackets, letters and word "(v) and (vi)", the word, brackets and letter "and (v)" shall be substituted; (ii) in clause (b), the word "and" occurring at the end shall be omitted; (iii) clause (c) shall be omitted.' (No. 8)

(Shri Shanti Bhushan)

'अनुसूची

[धारा 6 देखिए]

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4
1872	15	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872	धारा 60 में,— (i) शर्त संख्यांक (1) में, "अठारह वर्ष" और "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "इक्कीस वर्ष" और "अठारह वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; (ii) परन्तुक का लोप किया जाएगा।
1955	25	हिन्दू विवाह अधिनियम 1955	(1) धारा 5 में,— (i) खण्ड (iii) में "अठारह वर्ष" और "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "इक्कीस वर्ष" और "अठारह वर्ष" शब्द रखे जाएंगे। (ii) खण्ड (vi) का लोप किया जायेगा।

1	2	3	4
			(2) धारा 6 का लोप किया जायेगा।
			(3) धारा 12 की उपधारा (i) के खण्ड (ग) में धारा 5 के अधीन अर्जीदार के विवाह 'संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी उस रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
			(4) धारा 18 में,—
			(i) "(5) और (6)" कोष्ठकों, अंकों और शब्द के स्थान पर "और (5)" शब्द, कोष्टक और अंक रखे जायेंगे।
			(ii) खण्ड (ख) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;
			(iii) खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा'।
			(संख्या 8)
			(श्री शांति भूषण)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

The schedule, as amended, was added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1977" के स्थान पर "1978" रख दिया जाये (संख्या 2)

(शांति भूषण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

संशोधित किया गया :

पृष्ठ, 1, पंक्ति 1,

"Twenty eight" (अठाईस) शब्द **के स्थान पर**
"Twenty Ninth" (उन्तीस) शब्द **रख दिया जाए** (संख्या 1) (शांति भूषण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
The enacting formula, as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The title was added to the Bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को मैंने बड़े ध्यान से सुना है । खेद है कि विवाह की रजिस्ट्रेशन संबंधी हमारी ओर से दिये गये सुझावों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है ।

मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार नहीं किया लेकिन उसी उद्देश्य पर अपना संशोधन लाये ।

श्री शांति भूषण : दिये गये सुझावों के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं । मैंने सभी प्राप्त सुझावों का स्वागत किया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

11वां प्रतिवेदन

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 11वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा बुद्धवार, 22 फरवरी, 1978 /3 फाल्गुन, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

MGIPRRND—33 LSS/77—III-D—17-4-78—210

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]